हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण निर्माण मण्डल नाहन, जिला सिरमौर के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 04/2020 से 03/2022

भाग–एक

1 प्रस्तावना

(क) हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण अधिनियम–2004 की धारा 28(3) के अन्तर्गत विहित प्रावधानों व हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्याः एच0एस0जी0–4(डी)1–1/922 दिनाँक 13.09.2004 के अन्तर्गत आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण के लेखाओं के अंकेक्षण एवं निरीक्षण हेतु निदेशक, हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग को अधिकृत किये जाने के दृष्टिगत आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण, निर्माण मण्डल नाहन, जिला सिरमौर हि0प्र0 के लेखाओं अवधि 04/2020 से 03/2022 का अंकेक्षण कार्य हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा निष्पादित किया गया।

अंकेक्षण अवधि 04/2020 से 03/2022 के दौरान निम्न अधिकारी एवं अधिशाषी अभियन्ता द्वारा हिमुडा मण्डल नाहन के आहरण एवं संवितरण अधिकारी के पद का कार्य निष्पादित किया गया।

क्र. सं.	आहरण एवं संवितरण अधिकारी का नाम	अवधि
1	ई. अजय कुमार शर्मा, अधिशाषी अभियन्ता	01.04.2020 से 31.10.2020
2	ई. विनोद रघुवंशी, अधिशाषी अभियन्ता (कार्यकारी)	02.11.2020 से 18.02.2021
3	ई. गिरीश शर्मा, अधिशाषी अभियन्ता	19.02.2021 से 31.03.2022

(ख) हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण निर्माण मण्डल नाहन के लेखाओं अवधि 04/2020 से 03/2022 के अंकेक्षण प्रतिवेदन में उल्लेखित गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त विवरण

क्र. सं.	गम्भीर अनियमितता का संक्षिप्त विवरण	पैरा संख्या	राशि लाखों में ₹
1	रखरखाव प्रभार व जल प्रभार का संदिग्ध गबन/दुर्विनियोजन	8(क)	10.13
2	संविदाकारों से अग्रिम की वसूली न करना	12	32.50
3	सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना संस्था स्तर पर नियुक्त कर्मचारियों के वेतन पर मण्डल निधि से अनाधिकृत व्यय करना	13(ख)	23.30
4	निक्षेप कार्यों (Deposit works) के विरूद्ध विभिन्न विभागों से राशि का वसूली हेतु शेष पाया जाना	14	553.87

5	विभिन्न आवास बस्तियों से रख–रखाव प्रभार राशि का वसूली हेतु शेष पाया जाना	15	135.94
6	जल प्रभार राशि का वसूली हेतु शेष पाया जाना	16(क)	4.24
7	गत वर्ष के अन्त शेष को आगामी वर्ष के प्रारम्भिक शेष में अग्रेषित न करना	19	129.57
8	34 माह से अधिक अवधि के उपरान्त भी संविदाकार को जारी स्टील की वसूली न करना।	20(क)	2.48
9	एक मद की दो बार गणना (Double Counting) करने के कारण संविदाकार को अधिक भुगतान दर्शाया जाना	20(ख)	0.71
10	गलत गणना के कारण संविदाकार को अधिक भुगतान करना	20(ग)	1.87
11	कटिंग इन अर्थ वर्क के क्रॉस सैक्शन)Wrong calculation of the area of cross section in Cutting in earth work) की गलत गणना के कारण संविदाकार को अधिक भुगतान करना।	23(क)	0.40
12	Approved Drawing की तुलना में Breast wall का अतिरिक्त निष्पादन करने के कारण संविदाकार को अतिरिक्त/अनियमित भुगतान करना।	24(क)	0.57
13	ई.पी.एफ. की कटौती न करने के कारण संविदाकार को अधिक भुगतान करना	28	29.27
14	4 से 11 माह के उपरान्त भी सीमेंट बैग को स्टॉक में दर्शाया जाना व विभिन्न निर्माण कार्य को जारी करके अनियमित समायोजन करना	29	9.78
15	सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त किये बिना ही विभिन्न निर्माण कार्यों मदों को (DNIT) अनुबन्ध प्रमात्रा से अधिक निष्पादित करने (Deviation) के कारण संविदाकारों को अनियमित भुगतान करना	32	25.86
16	निर्माण कार्य बिल में निष्पादित अतिरिक्त मद (Extra item) की सक्षम अधिकारी से पूर्व स्वीकृति/अनुमोदन के बिना ही संविदाकार को अनियमित भुगतान करना।	33	0.94
17	संविदाकारों को जारी सीमेंट व स्टील की वसूली/समायोजन न करना	34	32.69
18	संविदाकारों के निर्माण कार्यों बिलों से काटे गए वस्तु एवं सेवाकर, बिक्री कर, आयकर, श्रमकर व रॉयल्टी को सम्बन्धित विभाग में जमा न करना	39	6.40
19	Deposit Works के निष्पादन में Administrative Approval & Estimate Sanctioned से अधिक व्यय करना।	44	57.02
20	सम्बन्धित विभाग से प्राप्त राशि की तुलना में Deposit Works के सन्दर्भ में अधिक व्यय करना	45	65.28
21	विभिन्न निर्माण कार्यों में आउटसोर्स आधार पर नियुक्त विविध श्रेणियों के कर्मचारियों की नियुक्तियों पर किये गये भुगतान के	47	11.93

	सम्बन्ध में सक्षम अधिकारी का अनुमोदन प्रस्तुत न करना		
22	निर्माण कार्य हेतु प्रयोग में लाई गई लकडी के सम्बन्ध में संविदाकार को बिना बिल के अनियमित भुगतान करना	48	2.17
23	चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के रूप में अनियमित/अधिक भुगतान करना	55	0.48

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन

गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के उपरान्त पैरों की नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में संलग्न **परिशिष्ट–''क''** में दर्शाई गई है। वर्ष 04/1988 से 03/2020 तक मण्डल से सम्बन्धित 134 पैरे शेष हैं, जिनका वर्षवार विवरण निम्न प्रकार से हैः–

क्र0 संख्या	वर्ष	पैरों की संख्या
1	1988–89	2
2	1989–90	1
3	1990–91	2
4	1991–92	1
5	1992–93	1
6	1993–94	2
7	1994–95	4
8	1995–96	11
9	1996–97	3
10	1997–98	6
11	1–4–1999 से 15–01–2001	6
12	04/2015 से 03/2016	1
13	04/2016 से 03/2017	10
14	04/2017 से 03/2018	44
15	04/2018 से 03/2019	35
16	04/2019 से 03/2020	5
	कुल योग	134

अंकेक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के लम्बित पैरों पर संस्था द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है, जोकि चिन्ताजनक है। अतः परामर्श दिया जाता है कि लम्बित पैरों के निपटारे हेतु विशेष अभियान/कार्रवाई उपरान्त पैरों का निस्तारण करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

भाग—दो

2 वर्तमान अंकेक्षण

आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण निर्माण मण्डल नाहन के अवधि 01.04.2020 से 31.03.2022 के लेखाओं का अंकेक्षण श्री सन्तोष कुमार, अनुभाग अधिकारी (ले0प0) तथा श्री देविन्द्र कुमार व श्री विक्की कुमार कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनाँक 14.09.2022 से 27.10.2022 तक श्री अनिल शर्मा, संयुक्त—निदेशक, हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला—09 के पर्यवेक्षण में हिमुडा मण्डल नाहन स्थित कार्यालय में निष्पादित किया गया। अंकेक्षण हेतु आय व व्यय की विस्तृत जाँच के लिए माह 10/2020 तथा 01/2022 के लेखों का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैरों में समाविष्ट किया गया है।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण, अधिशाषी अभियन्ता, आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण निर्माण मण्डल नाहन द्वारा प्रस्तुत/उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं के आधार पर किया गया है। संस्था द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत अथवा उपलब्ध ही न करवाये जाने की अवस्था में इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किभी भी प्रकार के प्रभाव हेतु हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क

हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण के निर्माण मण्डल नाहन के लेखाओं अवधि 04/2020 से 03/2022 का अंकेक्षण करने के शुल्क की राशि को जमा करवाने हेतु निदेशालय, हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा सचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण शिमला—02 को अलग से अनुरोध किया जाएगा।

4 (क) बैंक समाधान विवरणी

अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एसके—एसओ/स्टेट ऑडिट—2022—23—102 दिनाँक 18.08.2022 के सन्दर्भ में निर्माण मण्डल नाहन द्वारा प्रस्तुत बैंक खातों के अन्त शेष व बैंक समाधान विवरणी का विवरण दिनाँक 31.03.2022 को निम्न अनुसार था जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट—"ख"** में भी दिया गया है।

	Statement showing the detail of Bank account as on 31-03-2022 in R/o HIMUDA Division Nahan, Distt. Sirmour H.P.	
1	**UCO Bank Nahan, Distt. Sirmour H.P. A/C No. 04440210001073 (Current Account)**	
	Particular	**Amount**
	Balance as per as Cash Book as on 31-03-2022	**8820389.20**
	Balance As per as Pass Book as on 31-03-2022	**8855000.20**
	Difference	**-34611.00**
	Bank reconciliation statement	
	Balance as per as Cash Book as on 31-03-2022	**8820389.20**
	Less: Cheque Deposit on date 31.3.2022 vide Ch. No 002896 but credited on 2.4.2022	**7000.00**
	Add: Cheque issued on dated 3.3.2022 vide Ch. No 000630 but Debited on date 26.4.2022	**41611.00**
	Balance as per as bank Pass Book as on 31.3.2022	**8855000.20**
2	**AXIS Bank, Nahan, Distt. Sirmour H.P. A/C No. 919020092902199 (Current Account)**	
	Particular	**Amount**
	Balance as per as Cash Book as on 31-03-2022	**2446112.52**
	Balance as per as Bank Pass Book as on 31-03-2022 (Including FDR)	**3296959.52**
	Difference	**-850847.00**
	Bank reconciliation statement	
	Balance as per as Cash Book as on 31-03-2022	**2446112.52**
	Add: Cheque issued on dated 31-3-2022 vide Ch. No 000033 but Debited on 2-4-2022	**736813.00**
	Add: Cheque issued on dated 31-3-2022 vide Ch. No 000034 but Debited on 27-5-2022	**9800.00**
	Add: Cheque issued on dated 31-3-2022 vide Ch. No 000035 but debited on 1-6-2022	**27000.00**
	Add: Cheque issued on dated 31-3-2022 vide Ch. No 000036 but Debited on 27-5-2022	**77234.00**
	Balance as per bank Pass Book as on 31.03.2022	**3296959.52**
3	**IDBI Bank Nahan, Distt. Sirmour H.P. A/c No. 1933104000033248 (Current Account)**	
	Particular	**Amount**
	Balance as per as Cash Book as on 31-03-2022	**1730739.00**
	Balance as per as Bank Pass Book as on 31-03-2022	**1730739.00**
	Difference	**0.00**
4	**HDFC Bank Nahan, Distt. Sirmour H.P. A/C No. 50100180653871 (Current Account)**	
	Particular	**Amount**
	Balance as per as Cash Book as on 31-03-2022	**4278290.75**
	Balance as per as Bank Pass Book as on 31-03-2022	**4296413.75**
	Difference	**-18123.00**
	Bank reconciliation statement	
	Balance as per as Cash Book as on 31-03-2022	**4278290.75**

	Add: Cheque issued on dated 09.12.2021 vide Ch. No 000033 but not Debited till 30-4-2022 and taken back in cash book.	**22340.00**
	Less: Cheque Deposit on date 30.3.2022 vide DD no. 132518 but credited on Dated 4-4-2022.	**4217.00**
	Balance as per bank Pass Book as on 31.03.2022	**4296413.75**
5	**HP State Co-op Bank Nahan, Distt. Sirmour H.P. A/C No 57210102268 (Saving Account)**	
	Particular	**Amount**
	Balance as per as Cash Book as on 31-03-2022	**7486.00**
	Balance as per as Bank Pass Book as on 31-03-2022	**7486.00**
	Difference	**0.00**
6	**Indasland Bank Solan, Distt. Solan 251772623005 (Current Account)**	
	Particular	**Amount**
	Balance as per as Cash Book as on 31-03-2022	**1579485.00**
	Balance as per as Bank Pass Book as on 31-03-2022	**1579485.00**
	Difference	**0.00**

5 (क) बैंक द्वारा सावधिक जमा की परिपक्वता पर ₹0.01 लाख का कम ब्याज देना

संस्था द्वारा अंकेक्षण में यथा **परिशिष्ट ''ग''** अनुसार प्रस्तुत अभिलेख/सूचनाओं की जाँच में पाया गया कि निम्नलिखित प्रकरणों में बैंक द्वारा सावधिक जमा की परिपक्वता/पुर्ननिवेश पर वर्णित ब्याज दर की अपेक्षा ₹1406 का कम ब्याज दिया गया था। वर्णित प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एसके–एसओ/स्टेट ऑडिट–2022–23–129 दिनाँक 01.10.2022 द्वारा संस्थाध्यक्ष के ध्यानार्थ वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था जिसके प्रत्युतर में संस्था द्वारा अंकेक्षण के दौरान चर्चा में आश्वस्त किया गया कि प्रकरण के सन्दर्भ में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। अतः उक्त के सम्बन्ध में सम्बन्धित बैंक से मामला उठाकर कम प्रदत ब्याज की राशि को प्राप्त करके निधि में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ख) सावधि जमा ₹200.40 लाख को निजी बैंक में निवेशित करना

हि0प्र0 सरकार, वित विभाग के पत्र संख्याः फिन–आईएफ(ए)1–68/83–II दिनाँक 29–4–2020 तथा फिन–आईएफ(ए)1–68/83–II दिनाँक 3.3.2021 द्वारा पीएसयूज (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम)/बोर्ड व सार्वजनिक क्षेत्र एजेन्सी ईत्यादि को अतिरिक्त निधियों (Surplus Funds) को सावधि जमा में निवेश करने बारे निर्दिष्ट किया गया है जिसमें स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया गया है कि सावधि जमा में निवेश की जाने वाली राशि को किसी एक ही बैंक में निवेश न किया जाए तथा वित्तीय जोखिम व अधिकतम प्रत्याय को ध्यान में रखते हुए सावधि जमा में निवेश करने हेतु उक्त उपक्रमों/संस्थाओं द्वारा बैंकों से कुटेशन/कम्पीटिटिव बीड्ड प्राप्त करके अधिकतम ब्याज दर के आधार पर 60% भारत में निगमित राष्ट्रीय बैंक/अनुसूचित वाणिज्यिक सार्वजनिक क्षेत्र बैंक

में व 26% भारत में निगमित अनुसूचित वाणिज्यिक निजि क्षेत्र बैंक तथा 14% भारत में निगमित अनुसूचित अन्य वाणिज्यिक निजि क्षेत्र बैंक में निवेश किया जाना अपेक्षित है। अंकेक्षण को यथा **परिशिष्ट "ग"** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार संस्था के सावधि जमा खाते में दिनाँक 31.3. 2022 को ₹2,40,00,000 निजी बैकों (एक्सीज बैंक व एचडीएफसी बैंक) में जमा थी। वर्णित प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एसके–एसओ/स्टेट ऑडिट–2022–23–129 दिनाँक 01.10.2022 द्वारा संस्थाध्यक्ष के ध्यानार्थ वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था जिसके प्रत्युतर में संस्था द्वारा अंकेक्षण के दौरान चर्चा में आश्वस्त किया गया कि प्रकरण के सन्दर्भ में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। अतः सुझाव दिया जाता है कि उक्त पत्र में वर्णित निर्देशों के दृष्टीगत नियमानुसार सावधि जमा में राशि को निवेशित व परिपक्वता तिथि को भुनाना या पुनः निवेशित किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

6 (क) सावधि जमा में यथासमय निवेश न करने के कारण ब्याज के रूप में अपेक्षित अतिरिक्त आय ₹6.30 लाख की वित्तीय हानि।

अंकेक्षण को यथा **परिशिष्ट ''घ''** पर उपलब्ध करवाई गई सूचनानुसार दिनाँक 01.04.2021 को संस्था के बचत जमा/चालू खाते में विभिन्न अवधियों के दौरान राशि अनुपयुक्त जमा थी यदि संस्था द्वारा अनुपयुक्त राशि को यथासमय सावधि जमा में निवेश किया जाता तो ब्याज के रूप में ₹623804.30 की अतिरिक्त आय प्राप्त हो सकती थी।

S. N.	Financial Year	Average Amount in Saving/Current Account (Approx.)	Expected amount to be deposited	Applicable Interest rate as per FDR Statement	Expected return	Expected Interest
1	2020-2021	1,00,00,000.00	60% = 60,00,000.00	5.10%	6311902.15	3,11,902.15
2	2021-2022	1,00,00,000.00	60% = 60,00,000.00	5.10%	6311902.15	3,11,902.15
Total						**₹6,23,804.30**

वर्णित प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एसके–एसओ/स्टेट ऑडिट–2022–23–129 दिनाँक 01.10.2022 द्वारा संस्थाध्यक्ष के ध्यानार्थ वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था जिसके प्रत्युतर में संस्था द्वारा अंकेक्षण के दौरान चर्चा में आश्वस्त किया गया कि प्रकरण के सन्दर्भ में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। अतः इस सम्बन्ध में परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में इतनी बड़ी राशि को बचत खाते में जमा रखने की अपेक्षा संस्था की वित्तीय आश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अल्प व दीर्घकालिक सावधि जमा में

निवेशित करने की सम्भावना को तलाशा जाए अथवा अनुपयुक्त राशि को हिमुडा मुख्यालय को प्रत्यर्पण किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(ख) सावधि जमा रजिस्टर का संधारण/अनुरक्षण नियमानुसार न करना।

अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत सूचनाओं/अभिलेख की जाँच में पाया गया कि संस्था द्वारा सावधि जमा में निवेशित राशि से सम्बन्धित अभिलेख/रजिस्टर का अनुरक्षण/संधारण नियमानुसार व निर्धारित प्रारूप अनुसार नहीं किया गया था जबकि संस्था द्वारा समय–समय पर लाखों की राशि सावधि जमा में निवेश की गई थी। वर्णित प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एसके–एसओ/स्टेट ऑडिट–2022–23–129 दिनाँक 01.10.2022 द्वारा संस्थाध्यक्ष के ध्यानार्थ वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था जिसके प्रत्युतर में संस्था द्वारा अंकेक्षण के दौरान चर्चा में आश्वस्त किया गया कि प्रकरण के सन्दर्भ में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। अतः अविलम्ब सावधि जमा रजिस्टर का संधारण **परिशिष्ट–"ग"** अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7 रोकड बही का संधारण नियमानुसार न करना व प्राप्त आय को अनियमित रूप से हस्तगत रखना

(क) हि0प्र0 वित्तीय नियमावली 1971 के नियम 2.2 अनुसार प्राप्त रोकड, चैक, ड्राफ्ट इत्यादि को उसी दिन अथवा आगामी कार्य दिवस को बिना किसी विलम्ब के बैंक खाते में जमा करवाया जाना तथा रोकड़ बही को नियमित रूप से लेखांकित करना, बंद करना, जोड की जाँच करना, सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित व नियमानुसार मिलान किया जाना अपेक्षित है परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि हिमुडा मण्डल नाहन द्वारा दैनिक आधार पर रोकड बही को बन्द नहीं किया गया था जिस कारण दैनिक/साप्ताहिक शेष की पुष्टि नहीं की जा सकी। संस्था द्वारा मासिक आधार पर रोकड़ बही को बन्द किया जा रहा था तथा राशि को भी बैंक खाते में दैनिक आधार पर जमा नहीं किया जा रहा था जोकि अनियमित ही नहीं आपतिजनक भी है तथा हि0प्र0 वित्तीय नियमावली 1971 के नियम 2.2 तथा हि0प्र0 वित्तीय नियमावली 2009 के नियम 10 की अवहेलना/उल्लंघना है। अंकेक्षण अवधि के दौरान हस्तगत रखी गई राशि का विवरण निम्न प्रकार से था :–

Name of Month	Detail of Cash in hand as per Cash Book (Last day of the month)	Cash Book Page No.
Cash in hand as on 01-0402021	145534	51
Apr-20	145534	53
May-20	135867	67
Jun-20	72902	83
Jul-20	75755	98

Aug-20	79910	112
Sep-20	85573	125
Oct-20	4659	148
Nov-20	65263	157
Dec-20	4022	169
Jan-21	69621	183
Feb-21	127133	198
Mar-21	90677	18
Apr-21	7086	30
May-21	131339	38
Jun-21	53469	50
Jul-21	55528	61
Aug-21	16641	73
Sep-21	34822	91
Oct-21	67445	109
Nov-21	98914	123
Dec-21	42126	145
Jan-22	62572	158
Feb-22	135575	170
Mar-22	11961	195
Total	**1819928**	

वर्णित प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एसके–एसओ/स्टेट ऑडिट–2022–23–129 दिनाँक 01.10.2022 द्वारा संस्थाध्यक्ष के ध्यानार्थ वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था जिसके प्रतिउतर में संस्था द्वारा अंकेक्षण के दौरान चर्चा में आश्वस्त किया गया कि नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। अतः परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में रोकड़ बही को हि0प्र0 वित्तीय नियमावली 1971 खण्ड–1 के नियम 2.2 व वित्तीय नियमावली 2009 के नियम 10 अनुसार तैयार करके सक्षम अधिकारी से सत्यापित करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ताकि किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता को नकारा जा सके।

(ख) उप–मण्डल स्तर पर प्राप्त रोकड़ ₹2.55 लाख को विलम्ब से मण्डल खाते में जमा करवाया जाना

उप–मण्डल नाहन के जल प्रभार और रख–रखाव से सम्बन्धित अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि उप–मण्डल स्तर पर प्राप्त आय ₹254860 को यथा **परिशिष्ट–"ड़"** अनुसार हस्तगत रखकर निर्माण मण्डल नाहन में विलम्ब से जमा करवाया गया था, जोकि वित्तीय नियमों के विरूद्ध होने के साथ–साथ प्राप्ति राशि का अस्थाई दुर्विनियोजन भी है तथा नियमित रूप से वित्तीय नियमों की अवहेलना के कारण एक गम्भीर अनियमितता है। वर्णित प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एसके–एसओ/स्टेट ऑडिट–2022–23–129 दिनाँक 01.10.2022 द्वारा संस्थाध्यक्ष के

ध्यानार्थ वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था जिसके प्रत्युतर में संस्था द्वारा अंकेक्षण के दौरान चर्चा में आश्वस्त किया गया कि प्रकरण के सन्दर्भ में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। अतः आय को देरी से जमा करवाए जाने का नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा भविष्य में हि0प्र0 वित्तीय नियमावली 1971–खण्ड–1 के नियम 2.2 तथा हि0प्र0 वित्तीय नियमावली 2009 के नियम 2.10 के अनुसार रोकड बही का संधारण किया जाना सुनिश्चित किया जाये ताकि किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता को नकारा जा सके।

8 (क) रखरखाव प्रभार व जल प्रभार ₹10.13 लाख का संदिग्ध गबन/दुर्विनियोजन

हिमुडा मण्डल नाहन के अन्तर्गत उप–मण्डल नाहन के अवधि 01.04.20 से 31.3.2022 की रख–रखाव व जल प्रभार की रसीदों के अंकेक्षण में पाया गया कि रसीद बुक संख्या 130401 से 130500 के अन्तर्गत **परिशिष्ट–"ड़"** अुनसार प्राप्त **₹10,13,299** (₹3,49,516+₹6,63,787) को न तो रोकड बही में लिया गया था और न ही बैंक खाते में जमा करवाया गया था जोकि रोकड के दुर्विनियोजन/गबन को दर्शाता है। राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा 03.01.2020 से 01.02.2020 के दौरान निष्पादित संस्था के गत अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2018 से 3/2019 के पैरा संख्याः 9 के अन्तर्गत भी ₹4,18,839 (रख–रखाव प्रभार ₹3,25,880 व जल प्रभार ₹92,959) के दुर्विनियोजन व गबन के सन्दर्भ में उल्लेखित किया गया था व अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2019 से 3/2020 के पैरा संख्याः 12 के अन्तर्गत पुनः ₹36,752 के दुर्विनियोजन/गबन बारे उल्लेखित किया गया था परन्तु तदोरान्त भी अंकेक्षण में प्रस्तुत अभिलेख अनुसार संस्थास्तर पर रोकड का दुर्विनियोजन 13. 10.2021 तक किया गया था जोकि नियमों की उल्लंघना के कारण एक गम्भीर अनियमितता है तथा संस्था की संदिग्ध कार्य प्रणाली को दर्शाता है। अंकेक्षण के दौरान रसीद बुक के संरक्षरण, जारी करने, रोकड की प्राप्ति व रोकड को रोकड बही व बैंक खाते में जमा करवाने के सन्दर्भ में निम्न अनियमितताएं पाई गईः–

1. वर्ष 2018 से 2021 तक जल व रखरखाव प्रभार से प्राप्त रोकड का दुर्विनियोजन किया गया था जबकि अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 2018–19 व 2019–2020 में भी रोकड के दुर्विनियोजन/गबन बारे उल्लेखित किया गया था परन्तु संस्था द्वारा न तो नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया गया और न ही अपेक्षित अभिलेख का संधारण किया गया था।

2. अंकेक्षण प्रतिवेदन में बारम्बार रोकड के दुर्विनियोजन/गबन के सन्दर्भ में अवगत करवाये जाने के उपरान्त भी सम्बन्धित कर्मचारी के कार्य आबंटन में परिवर्तन नहीं किया गया था जिससे सम्बन्धित अधिकारियों व कर्मचारियों की कार्यप्रणाली संदिग्ध प्रतीत होती है तथा नियमों की अवहेलना के कारण आपत्तिजनक ही नहीं अपितु एक गम्भीर अनियमितता है।

3. वर्णित जल व रखरखाव प्रभार **₹10,13,299** का दुर्विनियोजन/गबन 03/2020 से 10/2020 तक किया गया था परन्तु हि.प्र. राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा अवधि 17.03.2021 से 12.07.2021 के दौरान निष्पादित हिमुडा मण्डल नाहन के गत अंकेक्षण 04/2019 से 03/2020 में भी रसीदों को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया था जोकि हि0प्र0 वितीय नियमावली 2009 के नियम 26 की अवहेलना है तथा संस्था की संदिग्ध कार्यप्रणाली को दर्शाता है जिससे लगभग 3 वर्षों तक जल व रखरखाव प्रभार के वितीय दुर्विनियोजन/गबन को किया गया था।

4. एक ही क्रम की 3 रसीद बुकों को क्रम संख्या 130401 से 130500 के अन्तर्गत प्रिंट किया गया था तथा रखरखाव व जल प्रभार की वसूली हेतु तीनों रसीद बुक को एक साथ प्रयोग करके कुल ₹18,52,229 की रसीदों को जारी किया गया दर्शाया गया था जोकि एक गम्भीर अनियमितता है।

5. यथा **परिशिष्ट–** "ड़" अनुसार कुछ प्रकरणों में रसीदों के अन्तर्गत प्राप्त आय/रोकड को खाताबही में दर्ज ही नहीं किया गया था जिस कारण संस्था द्वारा आबंटियों से प्राप्ति हेतु शेष राशि को वर्णित प्रविष्टियों से समायोजित किये बिना ही आगामी वर्ष के लिये सही शेष को अग्रेषित नहीं किया गया था जिससे एक ओर जहाँ वितीय लेखे सही वित्तीय स्थिति परिलक्षित नहीं करते वहीं दूसरी ओर आबंटियों से पुनः राशि की वसूली की संभावना को भी नकारा नहीं जा सकता है।

6. **परिशिष्ट–"ड़"** के क्रम संख्या 42 व 44 अनुसार कुछ प्रकरणों में दो–दो बार आबंटियों से रखरखाव प्रभार की वसूली की गई थी जोकि नियमों के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित है परन्तु संस्थास्तर पर कोई भी कार्यवाही व जाँच नहीं की गई थी।

7. आबंटियों को एक समय–अवधि के लिए दो से तीन रसीदें जारी की गई थी जोकि गम्भीर अनियमितता है।

8. जल एवं रखरखाव की गबन की गई राशि हेतु संस्था द्वारा कोई लेखांकन/प्रावधान (Provision) नहीं किया गया था अर्थात नियमानुसार संस्था स्तर पर किये गये गबन की राशि को आबंटियों पर पुनः प्रभारित न करके संस्था द्वारा वसूली गई राशि को outstanding amount of maintenance charges से समायोजित किया जाना अपेक्षित था जिससे वितीय लेखे आबंटियों से प्राप्ति हेतु शेष सही राशि को परिलक्षित करे परन्तु संस्था द्वारा न तो आवश्यक प्रावधान किया गया था और न ही सम्बन्धित आबंटियों से प्राप्त हेतु शेष राशि का उचित समायोजन किया गया था।

9. **परिशिष्ट–"ड़"** के क्रम संख्या 48 व 58 के पश्चात् दिये गये नोट अनुसार रसीद बुक के अन्तर्गत 40 से 50 रसीदों को रद्द किया गया था परन्तु सक्षम अधिकारी द्वारा न तो इसे सत्यापित किया गया था और न ही सक्षम अधिकारी द्वारा किसी रजिस्टर व अभिलेख में अपेक्षित टिप्पणी से सम्बन्धित अभिलेख को अंकेक्षण में प्रस्तुत किया गया।

10. रसीद बुक को संस्थास्तर पर ही मुद्रित (Print) किया गया था परन्तु रसीद बुक को मुद्रित करने हेतु सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति व नियमानुसार अपेक्षित अभिलेख को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया।
11. संस्थास्तर पर वर्ष 2018–19 से माह सितम्बर 2022 तक मुद्रित की गई रसीदों, संस्थास्तर पर प्राप्त रसीदों, सम्बन्धित अधिकारी व कर्मचारी को जारी की गई रसीदों व प्रयोग हेतु शेष रसीदों का अंकेक्षण में यथा **परिशिष्ट–"च"** अनुसार प्रस्तुत अभिलेखानुसार कोई भी अभिलेख/रजिस्टर संधारित नहीं किया गया था।
12. जारी की गई रसीदों में कटिंग, ओवरराईटिंग, अप्रयुक्त रसीदों व रदद् की गई रसीदों को सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित/प्रतिहस्ताक्षरित नहीं किया गया था।
13. उक्त कारणों व अंकेक्षण में प्रस्तुत अभिलेखानुसार संस्थास्तर पर रखरखाव प्रभार व जल प्रभार की प्राप्त आय व प्राप्ति हेतु शेष राशि की जॉच के सन्दर्भ में आंतरिक जॉच की कोई उचित व्यवस्था नहीं थी।
14. जल प्रभार व रखरखाव प्रभार की प्राप्ति हेतु संधारित रोकड बही, खाताबही व रसीद बुक को किसी भी अधिकारी/सक्षम प्राधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था।
15. जल प्रभार व रखरखाव प्रभार से प्राप्त राशि को लगभग एक से दो माह के पश्चात् जमा करवाया गया था परन्तु संस्थास्तर पर की गई किसी भी कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत नहीं करवाया गया।

वर्णित अनियमितताओं के कारण यह स्पष्ट नहीं हो सका की संस्था द्वारा अंकेक्षण अवधि तक कितनी रसीद बुक को प्रिंट व प्रयोग किया गया था, कितनी रसीद बुक को अंकेक्षण में प्रस्तुत किया गया, कितनी राशि वास्तविक रूप से आबंटियों से प्राप्त की गई थी व कितनी राशि को रोकड बही व बैंक खाते में जमा करवाया गया था। उपरोक्त कारणों से हिमुडा मण्डल नाहन के अभिलेखों में वसूली हेतु दर्शाई गई शेष राशि के सही होने की पुष्टि भी नहीं की जा सकी। वर्णित अनियमितताओं को अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एसके–एसओ/स्टेट ऑडिट–2022–23–121 व 124 दिनाँक 27.09.2022 व 30.09.2022 द्वारा संस्थाध्यक्ष के ध्यानार्थ उचित कार्यवाही हेतु लाया गया था परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई भी उतर अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः वर्णित राशि के हिमुडा खातों में जमा न करवाये जाने का या तो नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए या अन्यथा उचित स्त्रोत से ब्याज सहित राशि की शीघ्र वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। उक्त के अतिरिक्त यह प्रकरण संस्थाध्यक्ष के विशेष ध्यानार्थ संस्थास्तर पर आवश्यक जॉच/उचित छानबीन एवं सम्बन्धित अधिकारियों व कर्मचारियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही हेतु लाया जाता है ताकि गबन की गई राशि की सही गणना व लेखों में तदानुसार आवश्यक शुद्विकरण को सुनिश्चित किया जा सके।

(ख) वर्ष 2017–18 से 2021–22 के दौरान ₹19.97 लाख की संदिग्ध जमा (क्रेडिट) प्रविष्टियों का पाया जाना

संस्था द्वारा पत्र संख्याः हिमुडा/एनडी/एबी/अंकेक्षण 2020–22/2022–2406 दिनॉक 19.10.222 के अन्तर्गत यथा **परिशिष्ट–"च–1"** अनुसार प्रस्तुत किया गया कि निम्नविवरणानुसार खाता संख्याः 55910118006 तथा 20091489368 में वर्ष 2017–2018 से 2021–22 तक वेतन के अतिरिक्त कुल **₹19,96,557.00 (636200+1360357)** (क्रेडिट) जमा प्रविष्टियॉ पाई गई थी जिनके जल प्रभार व रखरखाव प्रभार की गबन की गई राशि से सम्बन्धित होने की संभावना है। अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत संदिग्ध प्रविष्टियों का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है।

Sr. No.	Account No.	Period of Transaction	Amount credited in account (Except Salary)	Remarks
1	55910118006, HP Co-Operative Bank Nahan. (Opening Balance as on 15-03-2018 was Nil & Closing Balance as on 09-10-2022 was Rs. 100 Cr.)	31-03-2018 to 05-10-2022	₹636200.00	The amount credited in the bank accounts during the period of embezzlement may be got verified by the enquiry committee As constituted vide Office Order No. HIMUDA/ND/CB/E-1/2022-Vol-IV-2173-76 dated 06-10-2022 and compliance of the same may be shown to audit.
2	20091489368, SBI Nahan. (Opening Balance as on 02-04-2017 was Nil & Closing Balance as on 08-10-2022 was Rs. 11.90 Cr.)	03-04-17 to 15-10-2022	₹1360357.00	
Total credited amount during the period			**₹1996557.00**	

उपरोक्त वर्णित खातों की बैंक विवरणी **(Bank Statement)** में दर्शाई गई अधिकतर प्रविष्टियॉ ऑनलाईन व ए.टी.एम. के माध्यम से निष्पादित की गई थी जिस कारण राशि किस स्त्रोत से प्राप्त हुई थी तथा किस प्रयोजन हेतु उपयोग/व्यय की गई थी इसकी जॉच अंकेक्षण के दौरान संभव नहीं हो सकी तथा हिमुडा मण्डल नाहन के अभिलेखों में प्राप्त व वसूली हेतु शेष दर्शाई गई राशि के सही होने की पुष्टि भी नहीं की जा सकी। वर्णित अनियमितताओं को अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एसके–एसओ/स्टेट ऑडिट–2022–23–121 व 124 से 126 दिनॉंक 27.09.2022 व 30.09.2022 द्वारा संस्थाध्यक्ष के ध्यानार्थ उचित कार्यवाही हेतु लाया गया था परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक कोई भी उतर अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः प्रकरण संस्थाध्यक्ष के विशेष ध्यानार्थ संस्थास्तर पर आवश्यक

जॉच / उचित छानबीन उपरान्त नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही हेतु लाया जाता है ताकि संदिग्ध प्रविष्टियों की पुष्टि उपरान्त तदानुसार लेखों में आवश्यक शुद्विकरण को सुनिश्चित किया जा सके।

9 नियमानुसार अपेक्षित रसीद बुक्स का मुद्रण व रसीद बुक्स रजिस्टर का संधारण न करना

संस्था द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एसके–एसओ / स्टेट ऑडिट–2022–23–121 व 124 दिनॉक 27.09.2022 व 30.09.2022 के सन्दर्भ में पत्र संख्याः हिमुडा / एनडी / एबी / अंकेक्षण 2020–22 / 2022–2291 दिनॉक 11.10.222 के अन्तर्गत यथा **परिशिष्ट–"च"** अनुसार सूचित किया गया कि रसीद बुक को किसी भी अधिकारी द्वारा जारी नहीं किया गया है तथा रसीद स्टॉक रजिस्टर संस्थास्तर पर संधारित नहीं किया गया है जिस कारण रसीद बुकों की प्राप्ति, निर्गमन, प्रयुक्त रसीद बुक तथा रसीद बुकों के अन्त शेष का सत्यापन नहीं किया जा सका। अंकेक्षण में यह भी पाया गया कि द्वारा सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना रसीद बुकस का मुद्रण किया गया था व किसी भी संख्या की रसीद बुक को कभी भी स्वेच्छानुसार उपयोग में लाया गया था तथा कौन सी रसीद बुक किस वित्तीय वर्ष के लिए जारी की गई है ईत्यादि को भी नहीं दर्शाया गया था जोकि नियमों की अवहेलना है तथा ऐसे में वित्तीय अनियमितता की सम्भावना को भी नकारा नहीं जा सकता। वर्णित अनियमितता को अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एसके–एसओ / स्टेट ऑडिट–2022–23–129 दिनॉक 01. 10.2022 द्वारा संस्थाध्यक्ष के ध्यानार्थ उचित कार्यवाही हेतु लाया गया था परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक कोई भी उतर अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः सुझाव दिया जाता है कि रसीद बुकों के हस्तगत स्टॉक का क्रमवार / संख्यावार इन्द्राज करके ही इन्हें प्रयोग में लाया जाए तथा संस्था स्तर पर आन्तरिक जाँच उपरान्त समस्त रसीद बुक को स्टॉक रजिस्टर में निम्न प्रपत्र अनुसार दर्ज करना सुनिश्चित करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण में अवगत करवाया जाये ताकि किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता की सम्भावना को नकारा जा सके।

Date of receipt of Receipt Book	No. of Receipt Book received (Printed)	Sr. No. of the Receipt Books	Signature of the custodian of Receipt Book	Date of Issue of Receipt Books
1	2	3	4	5
Sr. No. of the Receipt Book issued	Signature of official to whom receipt book issued	Balance	Signature of the verifying authority	Remarks
6	7	8	9	10

इसके अतिरिक्त सब–डिविजन स्तर पर वाटर चार्जिस व रखरखाव प्रभार की एवज में कॉटी गई रसीदों का पूर्ण विवरण एकत्रित राशि सहित मण्डल स्तर पर प्रेषित किया जाना भी सुनिश्चित किया जाये ताकि अवधि विशेष के दौरान कॉटि गई रसीदों व राशि का मिलान मण्डल स्तर पर किया जा सके व किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता को नकारा जा सके।

10 स्टॉफ अग्रिमों ₹1.00 लाख का समायोजन हेतु शेष पाया जाना

स्टॉफ अग्रिम से सम्बन्धित अभिलेख की जाँच में पाया गया कि निर्माण मण्डल नाहन के खातों में दिनाँक 31.3.2022 को यथा **परिशिष्ट–"छ"** अग्रिम ₹100000.00 समायोजन हेतु शेष थे तथा प्रदत अग्रिम में से समायोजित की गई राशि को भी अत्यधिक विलम्ब से समायोजित किया गया था जोकि नियमों के प्रतिकूल होने के कारण एक गम्भीर अनियमितता है। अंकेक्षण अवधि में पाये गये इस प्रकार के कुछ प्रकरणों का विवरण निम्न प्रकार से था।

Detail of Staff advance in R/O HIMUDA Division Nahan, Distt. Sirmour H.P. as on 31-03-2022								
Sr. No.	**Name of Party/Person**	**Ledger II, Page**	**Date of Issue of Advance**	**Amount**	**Date of Adjustment**	**Delay in Adjustment (In Months)**	**Amount**	**Amount still Recoverable**
1	Sh. Monoj Kumar JE	199	7/2021	**40000.00**	Not Adj. till 31-03-2-22	8		**40000.00**
2	Sh. Balbir Singh Clerk	355	4/2019	30000.00	1/2020	9	3075	
					5/2020	13	26925	
3	Sh. Madan Singh, Peon	188	12/2020	70000.00	8/2021	8	38992	
					9/2021	9	31008	
4	Sh. Madan Singh, Peon	197	12/2021	**60000.00**	Not Adj. till 31-03-2-22	3		**60000.00**
5	Sh. Vinod Kumar (JE)	200	7/2021	15000.00	3/2022	8	15000	
	Total:-			**215000.00**			**115000.00**	**100000.00**

वर्णित अनियमितता को अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एसके–एसओ/स्टेट ऑडिट–2022–23–129 दिनाँक 01.10.2022 द्वारा संस्थाध्यक्ष के ध्यानार्थ उचित कार्यवाही हेतु लाया गया था परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक कोई भी उतर अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः वर्णित अनियमितता का नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा अत्यधिक विलम्ब के पश्चात् भी राशि की वसूली न करने के कारण संस्था को हुई वित्तीय हानि हेतु सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी का उतरदायित्व निर्धारित करते हुए नियमानुसार कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये तथा भविष्य हेतु सुझाव दिया जाता है कि नियमानुसार ही अग्रिमों को जारी करना व यथासमय समायोजित/जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि वितीय नियमों की अनुपालना सुनिश्चित हो सके।

11 **Departmental Charges** की गणना व वसूली के सन्दर्भ में आवश्यक अभिलेख का संधारण न करना।

निर्माण मण्डल नाहन के के अंकेक्षण अवधि 04/2020 से 02/2020 के तलपट (Trial Baalnce) की जॉच में पाया गया कि Departmental Charges के रूप में दिनॉक 31.03.2021 को ₹3051713 तथा दिनॉक 31.03.2022 को ₹3532389 की प्राप्ति/वसूली दर्शाई गई थी। प्रबन्ध निदेशक हि0प्र0 कौशल विकास निगम के पत्र संख्याः HPKVN/1(124)/2016/573-574 दिनॉक 10.05.2019 के अनुसार निक्षेप कार्य (Deposit work) पर 9 प्रतिशत + 3% Contingency Charges तथा संस्था द्वारा अंकेक्षण के दौरान चर्चा में यह भी सूचित किया गया कि Self financing scheme पर 17 प्रतिशत + 3% Contingency Charges की वूसली की जानी अपेक्षित थी परन्तु संस्था द्वारा वसूली हेतु शेष राशि के सन्दर्भ में अपेक्षित अभिलेख/रजिस्टर को संधारित नहीं किया गया था जिस कारण वसूली हेतु शेष राशि की गणना नहीं की जा सकी जोकि एक गम्भीर अनियमितता है। अंकेक्षण अवधि मे प्राप्त Departmental Charges का विवरण निम्न प्रकार से था।

Sr No. as per trial Balance	Year	Particular of Head	Amount	Remarks
(P)	2020-21	Departmental Charges	3051713.00 Cr.	Detail of agencies not produced in audit.
(P)	2021-22	Departmental Charges	3532389.00 Cr.	

वर्णित अनियमितता को अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एसके–एसओ/स्टेट ऑडिट–2022–23–129 दिनाँक 01.10.2022 द्वारा संस्थाध्यक्ष के ध्यानार्थ उचित कार्यवाही हेतु लाया गया था जिसके प्रत्युतर में संस्था द्वारा अंकेक्षण में दौरान चर्चा में आश्वस्त किया गया कि प्रकरण के सन्दर्भ में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही उपरान्त आगामी अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। अतः संस्थास्तर पर बकाया राशि की गणना उपरान्त राशि की वसूली को सुनिश्चित किया जाए व तदानुसार अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

12 संविदाकारों को प्रदत अग्रिम ₹50.09 लाख में से अग्रिम ₹32.50 लाख की वसूली न करना

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि संस्था द्वारा समय–समय पर विभिन्न संविदाकारों को अग्रिम **₹5009127/-** जारी किया गया था जबकि CPWD Works Manual 2014 पैरा 32 के प्रावधानानुसार निम्न उद्देश्य/प्राथमिताओ के दृष्टिगत विहित औपचारिकताओं के आधार पर अग्रिम जारी किया जाना अपेक्षित था परन्तु अंकेक्षण में पाया गया कि संस्था द्वारा नियमों के विरूद्व/प्रतिकूल निम्नविवरणानुसार विविध संविदाकारों को निर्माण कार्य के विरूद्व अग्रिम जारी किये गये थे।

HIMUDA Division Nahan, Distt. Sirmour, H.P.								
Detail of advances adjusted after 1 to 49 Months								
S. N.	**Name of Contractor**	**Ledger - III, Page.**	**Date of Issue of Advance**	**Amount of Advance issued**	**Amount Adjusted**	**Date of Adjustment**	**Delay in adjustment of advance (in Month)**	**Still Recoverable amount as on 31-03-20**
1	Sh. Jeet Singh Thakur, Govt. Contractor.	5, 01	Mar-21	150000	150000	Nov-21	8	
		45	Feb-22	350000			2	
Total				**500000**	**150000**			**350000**
2	Sh. Gain Singh, Govt. Contractor.	102, 25, 13	Nov-19	50000	50000	Sep-20	10	
			Dec-19	2850			27	
Total				**52850**	**50000**			**2850**
3	Sh. Madan Singh, Govt. Cont.	19	Oct-21	150000	150000	Dec-21	2	
Total				**150000**	**150000**			**0**
4	Sh. Rajinder Singh, Govt. Cont.	21	Sep-21	100000	100000	Nov-21	2	
Total				**100000**	**100000**			
5	Sh. Suresh Kumar, Govt. Cont.	23	Mar-22	1000000			1	
Total				**1000000**	**0**			**1000000**
6	Sh. Ashwani Kumar, Govt. Cont.	25	Mar-22	200000			1	
Total				**200000**	**0**			**200000**
7	Sh. Des Raj Thakur, Govt. Cont.	27	Jan-22	750000			2	
Total				**750000**	**0**			**750000**
8	Sh. Yogesh Kumar Gupta, Govt. Cont.	46	Feb-22	750000	409055	Mar-22	2	
Total				**750000**	**409055**			**340945**
9	Sh. Ram Pal Saini, Govt. Cont.	47	Mar-22	606277			1	
Total				**606277**	**0**			**606277**
10	Sh. Mitter Singh, Govt. Contractor	101,23	Nov-19	100000	100000	Sep-20	10	
			Dec-19	150000	150000	Sep-20	9	
Total				**250000**	**250000**			**0**
11	M/s Bhoumic, Govt. Contractor.	31	Aug-20	650000	650000	Oct-20	2	
Total				**650000**	**650000**			**0**
G/Total				**5009127**	**1759055**			**3250072**

वर्णित अनियमितता को अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एसके–एसओ/स्टेट ऑडिट–2022–23–129 दिनाँक 01.10.2022 द्वारा संस्थाध्यक्ष के ध्यानार्थ उचित कार्यवाही हेतु लाया गया था जिसके प्रत्युतर में संस्था द्वारा अंकेक्षण में दौरान चर्चा में आश्वस्त किया गया कि प्रकरणों के सन्दर्भ में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही उपरान्त आगामी अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। अतः वर्णित अनियमितता का नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए व अत्यधिक विलम्ब के पश्चात् भी अग्रिम का समायोजन न करने के कारण संस्था को हुई वित्तीय हानि की प्रतिपूर्ति हेतु सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी का उतरदायित्व निर्धारित करते निमयानुसार कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये तथा सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में नियमानुसार अग्रिमों को जारी करना व यथासमय समायोजित/जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया।

13 (क) हिमुडा मण्डल नाहन एवं उप–मण्डल नाहन व सोलन द्वारा कार्यालय स्तर पर सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना ₹2.40 लाख का अनाधिकृत व्यय करना

हि0प्र0 वित्तीय नियमावली 2009 के नियम 170 तथा हि0प्र0 सरकार के पत्र संख्याः letter NO. Fin(C)-B(15)-8/2013, Government of Himachal Pradesh, Finance (Regulation) Department, Dated : Shimla -171002, दिनॉक 01/07/2017 के पैरा 1 द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अन्तर्गत किसी भी विभाग द्वारा केवल राज्य सरकार के अनुमोदन के पश्चात् ही आउटसोर्स के आधार पर सेवाओं को दिया जाना अपेक्षित था परन्तु हिमुडा मण्डल नाहन के अवधि 04/2020 से 03/2022 के व्यय वाउचर/समायोजन वाउचर में अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि संस्थास्तर पर निम्न विवरणानुसार कर्मचारियों को तैनात किया गया था जिसके सन्दर्भ में अपेक्षित अभिलेख को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया जोकि नियमों की अवहेलना के कारण एक गम्भीर अनियमितता है। व्यय वाउचर व अंकेक्षण में उपलब्ध करवाये गये अभिलेखानुसार तैनात कर्मचारियों पर किये गये व्यय में निम्न अनियमितताएं पाई गई।

1. संस्थास्तर पर ही सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों को नियुक्त किया गया था।
2. वर्णित कर्मचारियों के सन्दर्भ में कोई भी अनुबन्ध/स्वीकृति व अनुमति प्राप्त नहीं की गई थी।
3. सहायक अभियन्ता/कनिष्ठ अभियन्ता ईत्यादि द्वारा बिना किसी बिल व प्रमाणक के अग्रिम से अनाधिकृत भुगतान किया गया था।
4. निम्न सारणी के क्रम संख्याः 16,17 के अन्तर्गत एक ही अवधि व कार्य के लिये अग्रिम से ₹13200/– का भुगतान किया गया था जोकि दोहरे भुगतान को दर्शाता है।

5. संस्थास्तर पर कोई भी उपस्थिति रजिस्टर व मासिक आधार पर किये गये भुगतान की पुष्टि हेतु अपेक्षित अभिलेख का संधारण नहीं किया गया था जिस कारण दोहरे भुगतान की संभावना से भी ईन्कार नहीं किया जा सकता।
6. वर्णित समस्त भुगतान हिमुडा मण्डल/उप–मण्डल स्तर पर ही किये गये थे जबकि आउटसोर्स कर्मचारियों को किसी संस्था अथवा संविदाकार के माध्यम से नियमानुसार अपेक्षित अनुमोदन/स्वीकृति के उपरान्त ही रखा जाना अपेक्षित था।
7. संस्थास्तर पर विविध श्रेणियों के कर्मचारियों को नियुक्त करके प्रत्यक्ष भुगतान किया गया था जिससे भविष्य में उनके नियमितिकरण हेतु कानूनी उतरदायित्व की संभावना से भी ईन्कार नहीं किया जा सकता है।
8. वर्णित कर्मचारियों में से अधिकतर कर्मचारियों को लगभग 3 से 4 वर्ष पूर्व नियुक्त किया गया था।

अंकेक्षण अवधि के दौरान पाये गये इस प्रकार के कुछ प्रकरणों का विवरण निम्न प्रकार से है।

Statement showing the detail of unauthorised expenditure Out of Imprest at Divisionl/Sub-Divisional level.

Vide CEO-Cum secretary letter No. HIMUDA/Accounts-22/95(Del of Powers)-Vol-V 33833-39 Dated 31-10-2014 (the delegation of power approved by the board of Director HIMUDA vide item No.32(37) in 32nd meeting held on 22-07-2014 and further approval accorded by the Himachal Pradesh Govt. vide letter No. HSG-C(15)-1/2014 dt. 29-10-2014), the revised/enhanced power of AE was as under:-
Sr. No. 7. For payment ot daily waged staff, whole time or part time full powers to DDO level for daily waged/part time employee in position. No posts shall be created/filled without prior approval of Board of HIMUDA.
Given Note: For items not included above, the relevant provisions of HPFR/PWD Manual/ Govt. of HP's rules and regulations be followed.

Sr. No	Name of Employee/ Vr. No.	Designation	Sub. Vr. No./Date	Name of person to whom payment made.	Name of Expenditure	Amount
1	Sh. BR Raghuvanshi.	AE, Nahan Sub-Division	01/ 05-10-2020	Sh. Iqbal Mohmmad	Cleaning and Sweeping charges for 09-2020	2500
2	Jr. 03/ 10-2020		02/ 06-10-2020	Sh. Amreek Singh	Motar mate at Model Central Jail Nahan for 09/20	6600
3			05/ 06-10-2020	Sh. Chaman Lal	Chowkidar for Watch and Ward of HC Moginand for 09/20	6600
4			06/ 06-10-2020	Sh. Hem Dutt Joshi	Chowkidar for Watch and Ward of HC Jarja for 09/20	6600
5	Sh. BR Raghuvanshi.		07/ 06-10-2020	Sh. Dhiraj Kumar	Night Chowkidar at HIMUDA Office Nahan for 09/20	6600
6	Jr. 04/ 07-2020	AE, Nahan Sub-Division	03/ 04-07-2020	Sh. Hem Dutt Joshi	Chowkidar for Watch and Ward of HC Jarja 06/2020	6600
7			04/ 04-07-2020	Sh. Dhiraj Kumar	Night Chowkidar at HIMUDA Office Nahan for 06/20	6600
8			05/ 04-07-2020	Sh. Chaman Lal	Chowkidar for Watch and Ward of HC Moginand for 06/20	6600
9			11/ Nil	Sh. Rajender Singh	Meter Reader, Billing etc. for HC Shunhkhera for 05/20	6600

10	Sh. BR Raghuvanshi.	AE, Nahan Sub-Division	01/ Nil	Sh. Hem Dutt Joshi	Chowkidar Stock Storage Chowkidar HIMUDA Sub-Div. Nahan for 04/20	6600
11	Jr. 03/ 05-2020		02/ Nil	Sh. Chaman Lal	Chowkidar for Watch and Ward of HC Moginand for 04/20	6600
12			03/ Nil	Sh. Dhiraj Kumar	Night Chowkidar at HIMUDA Office Nahan for 04/20	6600
13			04/ Nil	Sh. Chaman Lal	Chowkidar for Watch and Ward of HC Moginand for 03/20	6600
14			05/ Nil	Sh. Rajender Singh	Meter Reader, Billing etc. for HC Shubhkhera for 03/20	6600
15			06/ Nil	Sh. Hem Dutt Joshi	Chowkidar Stock Storage Chowkidar HIMUDA Sub-Div. Nahan for 03/20	6600
16	**Double payment for same period**		**07/ Nil**	**Sh. Dhiraj Kumar**	**Night Chowkidar at HIMUDA Office Nahan for 03/20**	6600
17			**08/ Nil**	**Sh. Amreek Singh**	**Divisional Chowkidar in HIMUDA Office Nahan for 03/2020**	6600
	Total					**108100**
1	Sh. Sahil Dhiman., Jr. 05/ 10-2020	AE, Solan Sub-Division	20/ 02-11-2020	Miss. Toyba Khan	Preparation of water and maintenance charges bills of Basal Colony for 10/20	6600
2	Jr. 3/ 07-2020	AE, Solan Sub-Division	01/ 28-07-2020	Miss. Toyba Khan	Preparation of water and maintenance charges bills of Basal Colony for 07/20	6600
3	Jr. 13/01-2022	AE, Solan Sub-Division	10/03-02-2022	Miss. Priya Singh	Preparation of water and maintenance charges bills of Basal Colony for 01/22	8000
4	Jr. 2/05/2020	AE, Solan Sub-Division	01/ Nil	Miss. Toyba Khan	Preparation of water and maintenance charges bills of Basal Colony for 03/20	6600
	Total					**27800**
1	Sh. Girish Sharma, Jr. 01/07-2021	EE, Nahan	1/06-07-2021	Miss. Toyba Khan	AR & MO WSS at Shubhkhera, Data Enty Ope. for 06/2021	8000
2			2/06-07-2021	Sh. Dhiraj Kumar	Night Chowkidar at HIMUDA Office for 06/21	8000
3			3/06-07-2021	Sh. Chaman Lal	Chowkidar for Watch and Ward of HC Moginand for 06/21	8000
4			4/06-07-2021	Sh. Amreek Singh	Motar mate at Model Central Jail Nahan for 06/21	8000
5			5/06-07-2021	Sh. Iqbal Mohmmad	Cleaning and Sweeping charges for 06-2021	3500
6			6/06-07-2021	Sh. Hem Dutt Joshi	Chowkidar for Watch and Ward of HC Nahan for 06/21	8000
7			7/17-07-2021	Sh. Rajender Singh	Meter Reader, Billing etc. for HC Paonta for 05 & 06/21	9000
	Total					**52500**

1	Sh. Vinod Thakur, Jr. 09/ 01-2022	JE with charge of AE, Nahan Sub-Division	1/01-01-2022	Sh. Hem Dutt Joshi	Chowkidar for Watch and Ward of HC Nahan for 12/21	8000
2			2/01-01-2022	Sh. Amreek Singh	Motar mate at Model Central Jail Nahan for 12/21	8000
3			3/01-01-2022	Sh. Dhiraj Kumar	Night Chowkidar at HIMUDA Office for 12/21	8000
4			4/01-01-2022	Sh. Chaman Lal	Chowkidar for Watch and Ward of HC Moginand for 12/21	8000
5			5/01-01-2022	Sh. Iqbal Mohmmad	Cleaning and Sweeping charges for 12-2021	3500
6			6/01-01-2022	Miss. Toyba Khan	AR & MO WSS at Shubhkhera, Data Enty Ope. for 12/2021	8000
7			7/01-01-2022	Sh. Rajender Singh	Meter Reader, Billing etc. for HC Paonta for 11 & 12/21	9000
	Total					**52500**
	Total					**240900**

वर्णित अनियमितता को अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एसके–एसओ/स्टेट ऑडिट–2022–23–139 दिनाँक 15.10.2022 द्वारा संस्थाध्यक्ष के ध्यानार्थ उचित कार्यवाही हेतु लाया गया था जिसके प्रत्युतर में संस्था द्वारा अंकेक्षण में दौरान चर्चा में आश्वस्त किया गया कि प्रकरण के सन्दर्भ में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही उपरान्त आगामी अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। इस प्रकार नियमों के प्रतिकूल आउटसोर्स कर्मचारियों की नियुक्ति करना अनियमित ही नहीं अपितु एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता भी है। अतः हिमुडा निधि से किये गये अनाधिकृत व्यय का नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों का उतरदायित्व निर्धारित करते हुये उचित स्त्रोत से राशि की वसूली करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये तथा यह प्रकरण संस्थाध्यक्ष के विशेष ध्यानार्थ इस प्रकार के अन्य प्रकरणों की जॉच व नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही हेतु लाया जाता है ताकि किसी प्रकार की वितीय अनियमितता व वर्णित कर्मचारियों के नियमितिकरण हेतु कानूनी उतरदायित्व के उत्पन्न होने की संभावना को नकारा जा सके।

(ख) सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना संस्थास्तर पर नियुक्त कर्मचारियों के वेतन पर मण्डल निधि से ₹23.30 लाख का अनाधिकृत व्यय करना

अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एसके–एसओ/स्टेट ऑडिट–2022–23–139 दिनाँक 15.10.2022 के सन्दर्भ मे हिमुडा मण्डल नाहन द्वारा आउटसोर्स पर तैनात कर्मचारियों से सम्बन्धित अभिलेख की जॉच में पाया गया कि संस्थास्तर पर ही विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों को तैनात किया गया था जबकि हि0प्र0 वित्तीय नियमावली 2009 के नियम 170 तथा हि0प्र0 सरकार के पत्र संख्याः letter

NO. Fin(C)-B(15)-8/2013, Government of Himachal Pradesh, Finance (Regulation) Department, Dated : Shimla -171002, दिनॉक 01/07/2017 के अन्तर्गत जारी दिशा–निर्देशों के अन्तर्गत किसी भी विभाग द्वारा केवल राज्य सरकार के अनुमोदन के पश्चात् ही आउटसोर्स के आधार पर सेवाओं को दिया जाना अपेक्षित था जिसके सन्दर्भ में अपेक्षित सक्षम अधिकारी की स्वीकृति/अनुमोदन, नियुक्ति आदेश सम्बन्धि अभिलेख, वेतन रजिस्टर, उपस्थिति रजिस्टर, निजी नस्ति, अनुबन्ध प्रपत्र ईत्यादि को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया जिस कारण वास्तविक भुगतान व नियुक्त कर्मचारियों की संख्या की पुष्टि नहीं की जा सकी जोकि नियमों की अवहेलना के कारण एक गम्भीर अनियमितता है तथा ऐसे में संस्था पर निम्न कर्मचारियों के नियमितिकरण के दायित्व के उत्पन्न होने की संभावना को भी नकारा नहीं जा सकता है। यथा पैरा (क) के अनुसार वर्णित अनियमितताओं के कारण सही व वास्तविक भुगतान की गणना नही की जा सकी। संस्था द्वारा यथा **परिशिष्ट–"ज"** के अन्तर्गत प्रस्तुत सूचना अनुसार दिनॉक 31.03.2022 तक निम्न वर्णित कर्मचारियों को किये गये अनाधिकृत व्यय का विवरण निम्न प्रकार से है।

Statement showing the detail of Emplyee engagemd on Hand Receipt Basis, in r/o HIMUDA Division Nahan, Distt. Sirmour H.P.

Sr. No.	Name of Employee	Date of Joining	Designation	Amount paid up to 30-09-2022	Remarks
1	Sh. Iqbal Mohhamad	08-04-2020	Sweeper	157000.00	Sanction of competent authority not obtained and also no attendance, salary registers was maintained.
2	Sh. Dhiraj Kumar	06-01-2018	Night Chowkidar	368600.00	
3	Sh. Amreek Singh	02-12-2018	Mortar Mate	377800.00	
4	Miss. Toyba Khan	04-05-2019	Data Entry Operator	288200.00	
5	Sh. Hem Dutt Joshi	10-01-2017	Chowkidar	408600.00	
6	Miss. Priya Singh	18/5/2021	Billing Clerk, water	124666.00	
7	Sh. Rajinder Singh	Mar-19	Billing Clerk, water	163600.00	
8	Sh. Chaman Lal	01-09-2017	Chowkidar	441200.00	
Total				2329666.00	

वर्णित अनियमितता को अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एसके–एसओ/स्टेट ऑडिट–2022–23–139 दिनाँक 15.10.2022 द्वारा संस्थाध्यक्ष के ध्यानार्थ उचित कार्यवाही हेतु लाया गया था जिसके प्रत्युतर में संस्था द्वारा अंकेक्षण में दौरान चर्चा में आश्वस्त किया गया कि प्रकरण के सन्दर्भ में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही उपरान्त आगामी अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। इस प्रकार संस्थास्तर पर कर्मचारियों की नियुक्ति करना अनियमित ही नहीं अपितु एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता है। अतः हिमुडा निधि से किये गये अनाधिकृत व्यय का नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाना

सुनिश्चित किया जाये अन्यथा सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों का उतरदायित्व निर्धारित करते हुये उचित स्त्रोत से राशि की वसूली करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये तथा यह प्रकरण संस्थाध्यक्ष के विशेष ध्यानार्थ इस प्रकार के अन्य प्रकरणों की जाँच व नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही हेतु लाया जाता है।

14 निक्षेप निर्माण कार्यों (Deposit works) के विरूद्ध विभिन्न विभागों से ₹553.87 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना

हिमुडा निर्माण मण्डल नाहन द्वारा **परिशिष्ट "झ"** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार सितम्बर 2022 तक विभिन्न विभागों से निक्षेप निर्माण कार्यों के विरूद्ध ₹553.37 लाख वसूली हेतु शेष थे जिसका विवरण निम्न प्रकार से है।

DETAILS OF PHYSICAL AND FINANCIAL POSITION IN RESPECT OF HIMUDA DIVISION NAHAN, UPTO SEPTEMBER, 2022								
Sr. No.	**DIVISION**	**DEPARTMENT NAME**	**NAME OF WORK**	**Date of start**	**Date of completion**	**A/A & E/S in lacs**	**AMOUNT RECEIVED in lacs**	**Amount Receivable**
1	NHN	HPCOOP	C/o State Co-op. Bank Building New at Nahan, Distt. Sirmour(HP)	25.10.17	28.10.2019	565.68	480.94	84.74
2	NHN	HPCOOP	S/R of State Co-op. Bank Building at Sarahan, Distt. Sirmour(HP)	30.3.20	-	40.70	27.57	13.13
3	NHN	HPCOOP	S/R of State Co-op. Bank Building at Nahan(old), Distt. Sirmour(HP)	old work 2015	old work 2015	17.44	4.37	13.07
4	NHN	Horticulture	C/o Mashroom Unit at Chambaghat, distt. Solan(HP)			203.26	80.00	123.26
5	NHN	PCB	PCB at Shubkhera, Paonta Sahib, Distt. Sirmour(HP) (SH: C/o Residential Flats for staff.)	4.1.2018	30.6.2019	334.15	300.00	34.15
6	NHN	WCD Deptt.	C/o CDPO/T.W.O. Kalyan bhawan at Pachhad, Distt. Sirmour(HP)	-	-	194.16	94.16	100.00
7	NHN	Jogindra Bank	C/o Jogindra Bank building at Solan(HP)	-	-	393.00	250.00	143.00
8	NHN	Jail	C/o Distt. jail Type-II Staff Qtr. at Solan(HP)	-	-	94.40	70.00	24.40
9	NHN	EDUCATION	C/o 3 Nos Room Science Lab Library Art Craft/Cuture & Computer Room in GHS Panog. C/o Science Lab Library Art Craft/Culture & Computer Room at GHS Ronhat.	-	-	124.73	123.75	0.98
10	NHN	ANIMAL HUSBANDRY	Providing and fixing of Galvanized Steel Barbed Wire Fencing around the site.	-	-	39.81	22.67	17.14
Total receivable amount						**2007.33**	**1453.46**	**553.87**

वर्णित अनियमितता को अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एसके–एसओ/स्टेट ऑडिट–2022–23–139 दिनाँक 15.10.2022 द्वारा संस्थाध्यक्ष के ध्यानार्थ उचित कार्यवाही हेतु लाया गया था जिसके प्रत्युतर में संस्था द्वारा अंकेक्षण में दौरान चर्चा में आश्वस्त किया गया कि प्रकरण के सन्दर्भ में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही उपरान्त आगामी अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। अतः बकाया राशि की वसूली हेतु प्राथमिकता के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

15 विभिन्न आवास बस्तियों से रख–रखाव प्रभार ₹135.94 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना

हिमुडा मण्डल नाहन के रख–रखाव से सम्बन्धित अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि **परिशिष्ट–"ञ"** अनुसार विभिन्न आवास बस्तियों के मालिकों/फैक्टरी मालिकों/आबंटियों से दिनाँक 31.3.2022 को ₹13593724.00 वसूली हेतु शेष थी जिसमें प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है, जिसका विवरण निम्न प्रकार से था।

आवास बस्ती का नाम	दिनाँक 31.3.2022 को वसूली योग्य राशि
Housing Colony Subhkhera	2554200-00
Housing Colony Devinagar	3557020-00
Housing Colony Moginand	3575585-00
Housing Colony Jarja	135037-00
Housing Colony Basal Solan	2493358-00
Housing Colony Solan Phase-II	1272018-00
Housing Colony Solan Phase-I	6506-00
Total	**13593724-00**

उपरोक्त विवरणानुसार लम्बित राशि की वसूली हेतु संस्था द्वारा नियमानुसार कार्यवाही न करने से जहाँ एक ओर संस्था को वित्तीय हानि हुई है वहीं दूसरी ओर वसूली हेतु लम्बित दर्शाई गई रखरखाव प्रभार की राशि के संदिग्ध होने की संभावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है। अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एसके–एसओ/स्टेट ऑडिट–2022–23–129 दिनाँक 01.10.2022 के प्रत्युतर में संस्था द्वारा अंकेक्षण के दौरान चर्चा में आश्वस्त किया गया कि वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। अतः यह मामला उच्च अधिकारियों के विशेष ध्यानार्थ संस्थास्तर पर उचित जाँच उपरान्त राशि की सही गणना व शीघ्र वसूली हेतु लाया जाता है ताकि आवास बस्तियों से रख–रखाव प्रभार की लम्बित राशि की शत प्रतिशत वसूली सुनिश्चित हो सके।

16 जल–प्रभार की राशि की वसूली से सम्बन्धित अनियमितताएं

(क) जल प्रभार ₹4.24 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना

जल प्रभार से सम्बन्धित अभिलेखों की पड़ताल करने पर पाया गया कि आवास बस्तियों के मालिकों/फैक्टरी मालिकों/आबंटियों से यथा **परिशिष्ट–"ट"** अनुसार दिनाँक 31.3.2022 तक **₹424499.00** वसूली हेतु शेष थी, जोकि एक गम्भीर अनियमितता है। अंकेक्षण अवधि के अन्त तक वसूली हेतु बकाया राशि का विवरण निम्न प्रकार से था।

आवास बस्ती का नाम	दिनाँक 31.3.2022 को वसूली योग्य राशि (₹)
Housing Colony Subhkhera	199755.00
Housing Colony Devinagar	53245.00
Housing Colony Moginand	0.00
Housing Colony Jarja (WSS Under Process)	0.00
Housing Colony Solan Phase-I	0.00
Housing Colony Basal Solan	169647.00
Housing Colony Solan Phase-II	1852.00
Total	₹424499.00

उपरोक्त विवरणानुसार लम्बित राशि की वसूली हेतु संस्था द्वारा नियमानुसार कार्यवाही न करने से जहॉ एक ओर संस्था को वित्तीय हानि हुई वहीं दूसरी ओर वसूली हेतु लम्बित दर्शाई गई रखरखाव प्रभार की राशि के संदिग्ध होने की संभावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है। अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एसके–एसओ/स्टेट ऑडिट–2022–23–142 दिनाँक 19.10.2022 के प्रत्युतर में संस्था द्वारा अंकेक्षण के दौरान चर्चा में आश्वस्त किया गया कि वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। अतः यह मामला उच्च अधिकारियों के विशेष ध्यानार्थ संस्थास्तर पर उचित जाँच उपरान्त राशि की सही गणना व शीघ्र वसूली हेतु लाया जाता है ताकि आवास बस्तियों से रख–रखाव प्रभार की लम्बित राशि की शतप्रतिशत वसूली को सुनिश्चित किया जा सके।

(ख) उप–मण्डल नाहन के उपभोक्ताओं से जल प्रभार ₹0.13 लाख की कम माँग व वसूली करना

अंकेक्षण के दौरान जल प्रभार से सम्बन्धित अभिलेखों की जॉच में पाया गया कि उप–मण्डल नाहन द्वारा निर्धारित जल प्रभार की दरों (29th meeting of HIMUDA held on 1.8.2013 at 2:PM in the committee room of HIMUDA at Nigam Vihar , Shimla under the Chairman of Sh. Sudhir Sharma, Hon'ble Urban Development, Housing and TCP Minister –Cum – Chairman Himuda Shimla) से घरेलू उपभोक्ता को Up to 30000 Lt Rs.9/- Per 1000 Ltr, above 30000 ltr. 18/- per 1000 ltr. व

व्यवसायिक उपभोक्ता को Rs.36/- Per 1000 Ltr. पानी के बिलों को जारी कियां गया था व तदानुसार ही राशि की वसूली की गई थी जबकि (These revised charged are applicable W.e.f . 1st September 2013 with further revision @ 10% of the previous year W.e.f . 1st April every year) जलप्रभार की दरो में सितम्बर 2014 से 10 प्रतिशत वृद्वि के साथ जल प्रभार की वसूली की जानी अपेक्षित थी परन्तु संस्था द्वारा सही गणना न करने के कारण यथा **परिशिष्ट–"ट–1"** अनुसार ₹13495.67 की कम वसूली की गई थी। अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एसके–एसओ/स्टेट ऑडिट–2022–23–128 दिनाँक 01.10.2022 के प्रत्युतर में संस्था द्वारा अंकेक्षण के दौरान चर्चा में आश्वस्त किया गया कि वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। अतः जल प्रभार की कम/नियमानुसार माँग व वसूली न किए जाने को न्यायोचित ठहराया जाए तथा साथ ही वर्तमान में इन सभी उपभोक्ताओं से सही दरों/नियमानुसार जल प्रभार की वसूली की जानी सुनिश्चित की जाए। इसके अतिरिक्त इस प्रकार के अन्य सभी प्रकरणों की जाँच निर्माण मण्डल स्तर पर की जानी सुनिश्चित की जाए तथा संस्था को हो रही वित्तीय हानि की प्रतिपूर्ति उचित स्त्रोत से सुनिश्चित करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(ग) उप–मण्डल नाहन के उपयोक्ताओं से जल प्रभार ₹0.09 लाख की कम माँग व वसूली करना

निर्माण नाहन के अन्तर्गत उप मण्डल नाहन के जल प्रभार से सम्बन्धित अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि विभिन्न उपभोक्ताओं से जल प्रभार की कम माँग व वसूली की गई थी जिसके परिणामस्वरूप निर्माण मण्डल को ₹9400 की वितीय हानि हुई, जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

Detail of water bills less Claimed/Collected

S. N.	Name & Address /A/C No.	Ledger Page	Period	Bill Amount Received	Mininum Bill Amount Due as per as Instruction to Comsumers That 100 per month will be Charged in case non consumption of water condition no 8	Difference/ less amount claimed	Remaks
1	Sh. Inder Singh H/no 60 Devinagar (Paonta Sahib)	378 to 379 V 1	12/21 to 3/22	223	400	177	4 months
2	Sh. Rakesh wadhwa H/no 71 Devinagar (Paonta Sahib)	384 to 385 V 1	12/21 to 3/22	187	400	213	4 months
3	Superindant Post Office H/no 94 Devinagar (Paonta Sahib)	388 to 389 V 1	12/21 to 3/22	223	400	177	4 months

4	Sh. Rajnesh Kumar H/no 44 Devinagar (Paonta Sahib)	408 to 409 V 1	12/21 to 3/22	317	400	83	4 months
5	Sh. M. Y Ansari H/no 57 Devinagar (Paonta Sahib)	414 to 415 V 1	12/21 to 3/22	214	400	186	4 months
6	Smt. Geeta Devi H/no 68 Devinagar (Paonta Sahib)	418 to 419 V 1	12/21 to 3/22	279	400	121	4 months
7	Smt. Geeta Devi H/no 81 Devinagar (Paonta Sahib)	422 to 423 V 1	12/21 to 3/22	186	400	214	4 months
8	Sh. Khadak Singh H/no 86 Devinagar (Paonta Sahib)	428 to 429 V 1	12/21 to 3/22	279	400	121	4 months
9	Smt. Vanita Kumari Devi H/no 112 Devinagar (Paonta Sahib)	436 to 437 V 1	12/21 to 3/22	279	400	121	4 months
10	Sh. Bhagat Singh Tomer H/no 113 Devinagar (Paonta Sahib)	438 to 439 V 1	12/21 to 3/22	261	400	139	4 months
11	Sh. Om Prakesh H/ no 100 Devinagar (Paonta sahib)	450 to 451 V 1	12/21 to 3/22	205	400	195	4 months
12	Sh. Dharm Singh H/ no 63 Devinagar (Paonta sahib)	484 to 485 V 1	12/21 to 3/22	205	400	195	4 months
13	Sh. Mahesh Sharma H/ no 121 Devinagar (Paonta sahib)	510 to 511 V 1	12/21 to 3/22	130	400	270	4 months
14	Smt. Alka Rayjada H/ no 118 Shubhkhera (Paonta sahib)	68 to 69 V 2	12/21 to 3/22	223	400	177	4 months
15	Sh . Nitan Aggrwal H/ no 7 Shubhkhera (Paonta sahib)	86 to 87 V 2	2/22 to 3/22	93	200	107	2 months
16	Sh . Mohan Lal Bansal H/ no 103 Shubhkhera (Paonta sahib)	106 to 107 V 2	12/21 to 3/22	112	400	288	4 months
17	Sh. Jitender Kaur Plot no 46 Flat no 9 Shubhkhera (Paonta sahib)	128 to 129 V 2	12/21 to 3/22	93	400	307	4 months
18	Smt. Sheela Chauhan Plot no 46 Flat no 4 Shubhkhera (Paonta sahib)	134 to 135 V 2	12/21 to 3/22	279	400	121	4 months
19	Smt. Mamta Devi Plot no 46 Flat no 5 Shubhkhera (Paonta sahib)	136 to 137 V 2	12/21 to 3/22	186	400	214	4 months
20	Sh. Inderjeet Singh Plot no 46 Flat no 7 Shubhkhera (Paonta sahib)	140 to 141 V 2	12/21 to 3/22	317	400	83	4 months

21	Sh. Sushil Rana Plot no 46 Flat no 1 Shubhkhera (Paonta sahib)	144 to 145 V 2	12/21 to 3/22	224	400	176	4 months
22	Sh. Harinder Pal Singh Plot no 102 Shubhkhera (Paonta sahib)	150 to 151 V 2	12/21 to 3/22	205	400	195	4 months
23	Sh. Krishankant Booth Site no.5 Shubhkhera (Paonta sahib)	176 to 177 V 2	12/21 to 3/22	148	400	252	4 months
24	Sh. Baldev Tandan Plot no. 121 Shubhkhera (Paonta sahib)	588 to 589 V 2	12/21 to 1/22	93	200	107	2 months
25	Smt. Minakashi Batra Plot no. 146 Shubhkhera (Paonta sahib)	602 to 603 V 2	2/22 to 3/22	75	200	125	2 months
Total less recovery of water charges					**9400.00**		

अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एसके–एसओ/स्टेट ऑडिट–2022–23–128 दिनाँक 01.10. 2022 के प्रत्युतर में संस्था द्वारा अंकेक्षण के दौरान चर्चा में आश्वस्त किया गया कि वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। अतः जल प्रभार की कम/नियमानुसार माँग व वसूली न किए जाने को न्यायोचित ठहराया जाए तथा साथ ही वर्तमान में इन सभी उपभोक्ताओं से सही दरों/नियमानुसार जल प्रभार की वसूली की जानी सुनिश्चित की जाए। इसके अतिरिक्त इस प्रकार के अन्य सभी प्रकरणों की जाँच निर्माण मण्डल स्तर पर की जानी सुनिश्चित की जाए तथा संस्था को हो रही वित्तीय हानि की प्रतिपूर्ति उचित स्त्रोत से सुनिश्चित करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(ड) पानी के मीटर खराब/बन्द होने के कारण नियमानुसार कार्यवाही न करना तथा उपभोक्ताओं को औसत आधार पर पानी के बिल जारी करना।

अंकेक्षण के दौरान जल आपूर्ति से सम्बन्धित अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि यथा **परिशिष्ट–"ठ"** अनुसार उपभोक्ताओं के पानी के मीटर खराब या बन्द थे तथा उपभोक्ताओं को औसत खपत के आधार पर पानी बिल जारी किये गये थे जबकि पानी के बिल में वर्णित निर्देशों/शर्त अनुसार "Instructions to Consumers" की संख्याः 11 में स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया गया था कि "If the defective meter is not replaced with in 10 days from the date of issue of notice, the water supply to your premises shall be disconnected without issuing any further notice." परन्तु संस्था द्वारा वर्णित निर्देशों/नियमानुसार कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई थी। अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एसके–एसओ/स्टेट ऑडिट–2022–23–128 दिनाँक 01.10. 2022 के प्रत्युतर में संस्था द्वारा अंकेक्षण के दौरान चर्चा में आश्वस्त किया गया कि वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवा

दिया जाएगा। अतः मीटर खराब अथवा बन्द होने के कारण उपभोक्ताओं को औसत आधार पर पानी के बिल जारी करने का नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा यथाशिघ्र नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

17 समायोजन वाउचरों के माध्यम से अवधि 04/2020 से 03/2022 के दौरान ₹6.87 लाख के वाहन व्यय, वेतन व्यय, चिकित्सा प्रतिपूर्ति व्यय व यात्रा भत्ता व्यय को निर्माण कार्यों की लागत में समायोजित करना।

अंकेक्षण के दौरान व्यय की जाँच हेतु चयनित माह 10/2020 व 01/2022 के व्यय वाउचर/निर्माण कार्य बिलों की जाँच में पाया गया कि निम्न विवरणानुसार अनियमित रूप से वाहन व्यय व वेतन व्यय को निर्माण कार्यों की लागत में समायोजित किया गया था जबकि यथा **परिशिष्ट–"ठ–1"** अनुसार वेतन व वाहन व्यय को सम्बन्धित शीर्षक के अन्तर्गत ही दर्शाया जाना अपेक्षित था जिस कारण जहाँ एक ओर निर्माण कार्य की लागत में अनावश्यक वृद्धि हुई वहीं दूसरी ओर समायोजित व्यय को अनियमित रूप से वास्तविक व्यय की तुलना में कम करके दर्शाया गया था जोकि लेखांकन सिद्वान्तों/नियमों के प्रतिकूल होने के कारण एक गम्भीर अनियमितता है। अतः वर्णित अनियमिता के सम्बन्ध में नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये व लेखों में अपेक्षित सुधारात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। इसके अतिरिक्त भविष्य में नियमानुसार ही व्यय को सम्बन्धित शीर्षक के अन्तर्गत प्रभारित व लेखों का संधारण किया जाये तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये ताकि वित्तीय लेखे संस्था की सही वित्तीय स्थिति परिलक्षित कर सके।

18 निर्माण मण्डल के लेखा में Cash Settlement Suspense Account (CSSA) लेखा शीर्षक के ₹12.67 (Cr) लाख का अन्य निर्माण मण्डलों के साथ समायोजन हेतु शेष पाया जाना

निर्माण मण्डल के Cash Settlement Suspense Amount के अंकेक्षण में पाया गया कि दिनाँक 31.3.2022 तक इस लेखा शीर्षक के क्रेडिट पक्ष में ₹**1267724.00** समायोजन हेतु शेष थी। जाँच में यह भी पाया गया कि निर्माण मण्डलों से सम्बन्धित कुछ राशियाँ गत गई वर्षों से समायोजन हेतु लम्बित थी जोकि नियमों के प्रतिकूल होने के कारण एक गम्भीर अनियमितता है जिसका विवरण निम्न प्रकार से है।

(A) Cash Settlement Suspense A/C (As per ledger) as on 31-03-2022			
Name of Division	**Ledger-II P.No.**	**Debit Balance**	**Credit Balance**
CSS A/c HIMUDA Shimla (Ledger 2020-2021)	25	0.00	927860.00
CSS A/c (E) HIMUDA Shimla (Ledger 2021-2022)	31	0.00	339864.00
Total			**1267724.00**

उपरोक्त विवरणानुसार दर्शाई गई राशियाँ मण्डल के खातों में कई वर्षों से समायोजन हेतु लम्बित थी जोकि तलपट के शेष के आधार पर न बनाये जाने के कारण परिलक्षित नहीं हो रही हैं और न ही तलपट वसूली हेतु बकाया राशि व देय राशियों की सूचना परिलक्षित कर रहा है अर्थात लपतट दर्शाई गई मदों के डेबिट व क्रेडिट शेष को परिलक्षित नहीं कर रहा है जोकि लेखांकन नियमों/सिद्वातों के प्रतिकूल है जिस कारण तलपट संस्था द्वारा नियमानुसार देय विविध वैधानिक कटौतियों व विविध प्राप्ति योग्य आय की सूचना भी परिलक्षित नहीं कर रहा है। अतः यह मामला आवश्यक कार्यवाही हेतु हिमुडा के उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है कि यथाशिघ्र Cash Settlement Suspense Account (CSSA) & Imprest A/C under Cash Settlement Suspense Account लेखा शीर्षकों के अन्तर्गत दर्शाई गई राशियों का नियमानुसार समायोजन किया जाना सुनिश्चित करवाया जाये तथा तलपट में आवश्यक शेष को भी दर्शाया जाये व इस सन्दर्भ में कृत कार्यवाही से इस आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ताकि तलपट में वर्णित मदों के सन्दर्भ में डेबिट व क्रेडिट शेष की स्वतः स्पष्ट स्थिति परिलक्षित हो सके।

19 गत वर्ष के अन्त शेष ₹129.57 लाख को आगामी वर्ष के प्रारम्भिक शेष में अग्रेषित न करना

हिमुडा मण्डल नाहन के अंकेक्षण अवधि 04/2020 से 03/2022 के दौरान पाया गया कि निम्नविवरणानुसार विभिन्न लेखा शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम शेष **₹12957002/-** को आगामी वर्ष की खाता बहियों के प्रारम्भिक शेष में नहीं लिया गया था जिसका विवरण निम्न प्रकार से है।

Statement showing the detail of closing Balances not carried forwarded the succeding year 2020-21									
S. No	**Name of Account**	**Ledger-II, P.g no**	**C/B as on 31.03.2021**	**Dr/ Cr**	**O/B C/F as on 1.4.2021**	**Ledger II of 21-22 Page No**	**Differance**	**Dr.**	**Cr.**
1	C.S.S A/c (E) HIMUDA Shimla	25	927860	Cr	0	31	927860.00		927860.00
2	Miss. Deposite A/c	31 to 33	1910083	Cr	0	213	1910083.00		1910083.00
3	C.P.F Subs. A/c	51 to 53	33185	Dr	0	51 to 53	33185.00	33185.00	
4	C.P.F Board Share A/c	55 to 57	20871	Dr	0	55 to 57	20871.00	20871.00	
5	Income Tax A/c	83 to 86	32457	Dr	0	85 to 88	32457.00	32457.00	
6	Surcharge A/c	93	60	Cr	0	89	60.00		60.00
7	Labour Cess A/c	95 to 97	1024780	Cr	0	91 to 94	1024780.00		1024780.00
8	Royalty A/c	101	47858	Cr	0	….	47858.00		47858.00
9	SGST/ CGSt A/c	109	434018	Cr	0	95 to 100	434018.00		434018.00
10	Stock A/c Nahan	169	51000	Cr	0	182	51000.00		51000.00
11	Stock Stroge A/c Nahan	171	27629	Dr	0	183	27629.00	27629.00	

12	Stock A/c Solan	173	1252265	Cr	0	187	1252265.00		1252265.00
13	Stock Stroge A/c Solan	175	41294	Cr	0	189	41294.00		41294.00
14	Stock A/c Parwanoo	177	1074462	Dr	0	190	1074462.00	1074462.00	
15	Stock A/c Shimla	178	329051	Dr	0	Nil	329051.00	329051.00	
16	R/M Vehicle Mohindra HP-03-0030	199	106724	Cr	0	209-210	106724.00		106724.00
Total							**7313597.00**	**1517655.00**	**5795942.00**

Statement showing the detail of closing Balances not carried forwarded the succeding year 2021-22

S. No	**Name of Account**	**Ledger-II, P.g no**	**Closing Balance as on 31.3.2022**	**Dr/ Cr**	**Balance C/F as on 1.4.2022**	**Ledger II of 22-23 Page No**	**Differance**	**Dr.**	**Cr.**
1	C.S.S A/c (E) HIMUDA Shimla	31	339864.00	Cr	0	….	339864.00		339864.00
2	Miss. Deposite A/c	213	97437.00	Cr	0	….	97437.00		97437.00
3	C.P.F Board Share A/c	55 to 57	314	Cr	0	….	314.00		314.00
4	Income Tax A/c	85 to 88	30433	Cr	0	….	30433.00		30433.00
5	Labour Cess A/c	91 to 94	974126	Dr	0	….	974126.00	974126.00	
6	SGST/ CGSt A/c	95 to 100	76969	Cr	0	….	76969.00		76969.00
7	RTI Fee A/C	171	170	Cr	0	….	170.00		170.00
8	Stock Strorage A/c Nahan	183	12198	Cr	0	….	12198.00		12198.00
9	Stock A/c Solan	187	1763870	Cr	0		1763870.00		1763870.00
10	Stock Strorage A/c Solan	189	52916	Cr	0	….	52916.00		52916.00
11	Stock A/c Parwanoo	177	2242471	Dr	0	….	2242471.00	2242471.00	
12	R/M Vehicle Mohindra HP-03-0030	209-210	52637	Cr	0	….	52637.00		52637.00
Total							**5643405.00**	**3216597.00**	**2426808.00**
G/Total							**12957002.00**	**4734252.00**	**8222750.00**

उपरोक्त विवरणानुसार संस्था द्वारा इन खातों के गत वर्ष के अन्त शेष को आगामी वर्ष में अग्रेषित नहीं किया गया था जोकि लेखांकन नियमों की अवहेलना के कारण एक गम्भीर अनियमितता है तथा ऐसे में अंकेक्षण अवधि के दौरान विभिन्न देनदारों व लेनदारों को किये गये अधिक व अनियमित भुगतान की संभावना से भी ईन्कार नहीं किया जा सकता तथा अंकेक्षण अवधि के अन्त में दर्शाये गये अन्त शेष की पुष्टि भी संभव नहीं हो सकी। वर्णित अनियमितता को अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एसके–एसओ/स्टेट ऑडिट–2022–23–129 दिनाँक 01.10.2022 द्वारा संस्थाध्यक्ष के ध्यानार्थ उचित कार्यवाही हेतु लाया गया था परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक कोई भी उतर अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः वर्णित अनियमितता की उपयुक्त छाबनीन उपरान्त किसी प्रकार की अनियमितता की स्थिति में उचित स्त्रोत से राशि की वसूली व खातों के

शुद्विकरण उपरान्त नियमानुसार कृत कार्यवाही से आगमी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

निर्माण कार्य

20	Name of Work (2020-2021)	C/o H.P. State Co-Operative Bank Ltd. Building at Nahan, Distt. Sirmour, H.P. including internal water supply, sanitary installation and Development of site, Rain Water Harvesting Tank and Septic Tank.
	Estimated Cost	₹2,60,78,650.00
	Award amount	₹3,14,88,241.62 (20.74 % below)
	Award letter No.	No. HIMUDA/ND /CB/A-5/736-44 dated 11-10-2017
	Agreement No.	18 of 2017-18
	Name of Contractor	M/S Vidya Infrastructure and Developers, Govt. Contractor, R/o 4-8, M.C. Complex, Near Mohan Park, Solan (H.P.)
	Measurement Books	52,24.
	Priod of completion	12 Months (Reckoned from the 15th day of issuing the award letter)
	Running Bill	Voucher No. 04 Dated 01-10-2020 (6th running bill)

उपरोक्त निर्माण कार्य के छठे चलत बिल के अंकेक्षण के दौरान निम्न अनियमितताएं पाई गईः–

(क) 34 माह से अधिक अवधि के उपरान्त भी संविदाकार को जारी स्टील ₹2.48 लाख की वसूली न करना।

उपरोक्त निर्माण कार्य के छठे चलत बिल तक व जारी व प्रयुक्त स्टील सारणी (Steel Issue and Consumption Statement) के अंकेक्षण में पाया गया कि दिनॉक 07.09.2018 तक स्टील की 834.04 क्वींटल मात्रा को जारी किया गया था जिसमें से लगभग 42 माह पश्चात् अर्थात 31.03.2022 तक 838.48 क्वींटल मात्रा का उपयोग किया गया था परन्तु एम.बी. संख्या 52 पृ–39 के अनुसार केवल 780.51 क्वींटल मात्रा की वसूली की गई थी। उपरोक्त से यह प्रतीत होता है कि हिमुडा मण्डल नाहन द्वारा स्टील की आवश्यकता से अधिक मात्रा जारी करने के कारण दिनॉक 31.03.2022 तक निम्नविवरणानुसार संविदाकार के स्टील को शेष के रूप में दर्शाया गया था। इस प्रकार लगभग 34 माह पश्चात् भी जारी स्टील **₹248111.55** की वसूली न करना एक गम्भीर अनियमितता है जिसका विवरण निम्न प्रकार से है।

Note:- As per HPPWD Form GENERAL SPECIFICATIONS AND CONDITIONS No. 19:- Recovery of damaged materials due to defective storage of material issued by the department will be recovered from the contractor at double the issued rate. No claim on this account shall be entertained.				
MB No/ Page No.	**Description of Item** परिशिष्ट–"ड"	**Recovery of Steel as per MB No.52, Page -39**	**Recoverable Amount till 16th running bill.**	
Steel issued as per stock issue statement up to 28-08-2019	Deduction/recovery of Steel as per MB No.52, page-39	**Balance of Steel for adjustment**	Recoverable amount @= 4635 per Qtls As per Award Letter.	**Remarks**
834.04 (847.84 – 13.80 Qty of Self procured Steel by Contractor 13.80 Qtls)	**780.51 Kg** (Consumption of steel as per consumption statement =**838.48 Qtls**) (Actual Consumption of TMT/Tor Steel as per MB No-52 Page–6, item No. 13 was 841.63.)	53.53 Qtls x 4635 (834.04-780.51)	248111.55	**As the Steel was issued about before 34 months, hence consumed quantity of steel required to be recovered from the contractor.**
Total recoverable amount			**248111.55**	

उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि संस्था द्वारा संविदाकार को आवश्यकता से अधिक स्टील जारी करके तथा कम मात्रा में चलित बिलों से समायोजित करके संविदाकार को अनुचित लाभ प्रदान किया गया था। अंकेक्षण अधियाचना संख्याः अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एसके–एसओ/स्टेट ऑडिट–2022–23–129 दिनाँक 01.10.2022 द्वारा वर्णित प्रकरण के सन्दर्भ में तथ्यों सहित वस्तु स्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाये जाने बारे आग्रह किया गया था परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई भी उतर अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः वर्णित अनियमितता का नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा सम्बन्धित उचित स्त्रोत से राशि की वसूली को सुनिश्चित किया जाए। इसके अतिरिक्त यह प्रकरण संस्थाध्यक्ष के विशेष ध्यानार्थ इस आशय के साथ लाया जाता है कि संस्थास्तर पर इस प्रकार के अन्य प्रकरणों की जॉच/गणना उपरान्त किसी प्रकार की अनियमितता पाये जाने की अवस्था में नियमानुसार कार्यवाही करके आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(ख) एक मद की दो बार गणना/योग **(Double Calculation)** करने के कारण संविदाकार को ₹0.71 लाख का अधिक भुगतान दर्शाया जाना

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि उक्त निर्माण कार्य के सातवें व अंतिम बिल में **Cost of Abstract MB** में निम्नविवरणानुसार एक ही मद की दो बार गणना की गई थी जिस कारण माप पुस्तिका में संविदाकार को निम्नविवरणानुसार ₹71216.30 के अधिक भुगतान को दर्शाया गया था। माप पुस्तिका 52 के पृ.–32 अनुसार वर्णित अतिरिक्त मद संख्याः को माप पुस्तिका 52 के पृ.–87 में पुनः अतिरिक्त रूप में जोडा गया था जबकि वर्णित मद का भुगतान पहले ही किया जा चुका था जिससे प्रतीत होता है कि माप पुस्तिका में एक ही मद की दो बार गणना दर्शाकर संविदाकार को अनुचित लाभ प्रदान किया गया था जिसका विवरण निम्न प्रकार से है।

(7th and final bill was prepared in MB No-52, Page No. 41 to 87 and also the bill was passed & submitted to HIMUDA Division Nahan for payment but payment was not yet made)			
Item Description as per M.B. No. 52, Page-32	**Payment shown & made at 1st time. (MB 52, Page-32)**	**Same Qty taken/added Knowingly in 2nd time (MB 52, Page-87)**	**Remarks**
E1: P/F weep whole pipe in stone masonary material in all level etc.	**310 Nos x 229.73 each =71216.30**	Total work executed = 34213592.26 Less already paid = 33739360.80 Now due = 474231.46 Less income tax = 9485.00 Surcharge = 1233.00 Cess = 4743.00 CGST = 4743.00 SGST = 4743.00 Bank Charges = 500.00 Total Deduction = 25447.00 Amount Due = 448784.48 **(+) MB No-52, P-32 = 71216.30** (-) Excess recovery of Cement = 20333.00 (-) Excess recovery of Steel = 46489.00 **Passed for Rs. = 453178.76**	**₹71216.30** (As the payment of E1 was already made up to 6th running bill, but again the amount of E1 was added in 7th and final bill which is not justified, hence the final payment under 7th running bill required to made without the addition of payment ₹71216.30)
Total Excess Payment		**₹71216.30**	**₹71216.30**

अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एसके–एसओ/स्टेट ऑडिट–2022–23–108 दिनाँक 31.08. 2022 के प्रत्युतर में संस्था द्वारा अंकेक्षण के दौरान चर्चा में आश्वस्त किया गया कि वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवा दिया

जाएगा। अतः एक ही मद की दो बार गणना का या तो नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा **₹71216.30** की कटौती के उपरान्त ही भुगतान को सुनिश्चित किया जाये व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(ग) गलत गणना के कारण संविदाकार को ₹1.87 लाख का अधिक भुगतान करना

उपरोक्त निर्माण कार्य की मद संख्याः 113 i.e. "Extra over item of Manhole Inside Size 800mm x 800mm x 1.00mtr deep for every additional depth of 0.10mtr" के अंकेक्षण में पाया गया कि (Abstract of Cost) एम.बी. संख्याः 52 के पृ.सं. 26 में दर्ज कार्य मात्रा की गलत दर से गणना अथवा प्राप्त गुणनफल में एक अतिरिक्त शून्य लेने के कारण संविदाकार को ₹186750 का अधिक भुगतान किया गया था जिसका विवरण निम्न प्रकार से है।

Name of Item	M.B. No/ Page No	Qty. Executed	Rate (mtr depth)	Total Amount Paid as per MB	Total Amount Should be Paid	Excess Paid
113 i.e. "Extra over item of Manhole Inside Size 800mm x 800mm x 1.00mtr deep"	52/26 (Abstract MB)	4.15mtr depth	₹5000/-	4.15x5000= ₹207500/-	4.15x5000= ₹20750/-	₹186750/-

अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एसके–एसओ/स्टेट ऑडिट–2022–23–141 दिनाँक 19.10.2022 द्वारा वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में तथ्यों सहित वस्तु स्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाये जाने बारे आग्रह किया गया था परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई भी उतर अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः वर्णित अधिक भुगतान का या तो नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा सम्बन्धित उचित स्त्रोत से राशि की वसूली को सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(घ) गलत गणना के कारण संविदाकार को ₹0.04 लाख का अधिक भुगतान करना

उपरोक्त निर्माण कार्य की मद संख्याः 31. "P/F Aluminium anodized powder coated pattern to existing window/ventilatior with 80mm x 80mm panels holes" के अंकेक्षण में पाया गया कि (Record MB) एम.बी. संख्याः 31 के पृ.सं. 81 तथा (Abstract of Cost MB) एम. बी. संख्याः 24 के पृ.सं. 57 में दर्ज कार्य मात्रा की गलत गणना के कारण संविदाकार को ₹3744/- का अधिक भुगतान किया गया था जिसका विवरण निम्न प्रकार से है।

Name of Item	M.B. No/ Page No	Calculation as per M.B.	Calculation Should be	Difference	Rate (Per sqm)	Excess Paid (₹(
31 i.e. "P/F Aluminium anodized powder coated pattern to existing window/ventilatior with 80mm x 80mm panels holes"	31/81 (Rec. MB) 24/57 (Ab.MB)	3x1x0.52x0.36 =2.64sqm	3x1x0.52x0.36 =0.56sqm	2.08 sqm	1800	3744
Total Excess Payment						**₹3744/-**

अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एसके–एसओ/स्टेट ऑडिट–2022–23–141 दिनाँक 19.10.2022 द्वारा वर्णित प्रकरण के सन्दर्भ में तथ्यों सहित वस्तु स्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाये जाने बारे आग्रह किया गया था परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई भी उतर अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः वर्णित अधिक भुगतान का या तो नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा सम्बन्धित उचित स्त्रोत से राशि की वसूली को सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(ङ) गलत गणना के कारण संविदाकार को ₹0.16 लाख का अधिक भुगतान करना

उपरोक्त निर्माण कार्य की मद संख्याः 117 S.I. (a) i.e. "P/F powder coated aluminium work for doors, windows, ventilators" के अंकेक्षण में पाया गया कि (Record MB) एम.बी. संख्याः 28 के पृ.सं. 88 से 90 तथा (Abstract of Cost MB) एम.बी. संख्याः 52 के पृ.सं. 34 में दर्ज कार्य मात्रा की गलत गणना के कारण संविदाकार को ₹16439.54/- का अधिक भुगतान किया गया था जिसका विवरण निम्न प्रकार से है।

Name of Item	M.B. No/ Page No	Calculation as per M.B.	Calculation Should be	Difference	Rate (Per kg)	Excess Paid)₹(
117 S.I. (a) i.e. "P/F powder coated aluminium work for doors, windows, ventilators"	28/90 (Rec. MB) 52/34 (Ab.MB)	6977.83 kg	6936.69kg	41.14kg	399.60	16439.54
Total						**₹16439.54**

अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एसके–एसओ/स्टेट ऑडिट–2022–23–141 दिनाँक 19.10.2022 द्वारा वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में तथ्यों सहित वस्तु स्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाये जाने बारे आग्रह किया गया था परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई भी उतर अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः वर्णित अधिक भुगतान का या तो नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा सम्बन्धित उचित स्त्रोत से राशि की वसूली को सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

21.	Name of work (2021-2022)	C/o Model Central Jail at Nahan, C/o Hospital Building.
	Name of Contractor	Sh. Mohan Singh, Govt. Cont.
	Award Letter No.	HIMUDA/ND/CB/A-5/2018-2752-58 dated 10.12.2019
	Agreement No.	39 of 2019-20
	Voucher No.	Vr. No. 15, dt. 02-02-2022
	Running Bill/MB No.	1st to 7th Running Bill, MB No. 56

(क) **Approved Drawing की तुलना में Window-2 का गलत माप (Size) लेने के कारण संविदाकार को ₹0.05 लाख का अधिक भुगतान करना।**

निर्माण कार्य की मद संख्याः 22 i.e. "P/F Eco 5000 Series Windows frame (with double rebate) made of galvanized steel" का सम्बन्धित Approved Drawing के साथ तुलना में पाया गया कि अनुमोदत ड्राईंग की अपेक्षा Windows-W2 का अधिक माप लिया गया था तथा ब्रिक वर्क में अनुमोदित ड्राईंग अनुसार कटौती की गई थी जबकि नियमानुसार अनुमोदत ड्राईंग अथवा सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति से वास्तविक निष्पादित माप की कटौती की जानी अपेक्षित थी। उक्त कारणों से माप पुस्तिका में निर्माण कार्य की अधिक मात्रा का निष्पादन एवं भुगतान दर्शाये जाने के कारण संविदाकार को **0.45m2** वर्ग मीटर का ₹10400 प्रति वर्ग मीटर की दर से निम्न विवरणानुसार ₹4680/- का अधिक भुगतान किया गया था जिसका विवरण निम्न प्रकार से है।

Abstract of Cost MB	Record MB No.	Size as per Approved Drawing	Deduction from Bricks work	Window frame steel work recorded & paid to the Contractor	Calculation of Window frame steel work to be paid as per approved drawing and bricks work deduction	Excess
56, P. No. 83	48, P. No. 78	For Window-W2 0.82x1.50	For W2 1x0.82x1.50x 0.23 =0.28m3	For W2= 1x1x1.05x1.60 =1.68m2	For W2= 1x1x0.82x1.50 =1.23m2	0.45 m2
Total Excess Payment on a/c of item No. 22 i.e. 0.45m2 X 10400 = ₹4680/-						

अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एसके–एसओ/स्टेट ऑडिट–2022–23–141 दिनाँक 19.10.2022 के प्रत्युतर में संस्था द्वारा अंकेक्षण के दौरान चर्चा में आश्वस्त किया गया कि वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। अतः वर्णित अधिक भुगतान का या तो नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा सम्बन्धित उचित स्त्रोत से राशि की वसूली को सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(ख) **गलत गणना/योग को गलत अग्रेषित करने के कारण संविदाकार को ₹0.02 लाख का अधिक भुगतान करना**

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि उक्त निर्माण कार्य की मद संख्याः 101.01 i.e. "P/F Light pressure PVC spigot &75mm" की माप पुस्तिका (Record MB) 48 के पृ.सं. 60 में निष्पादित/दर्ज मात्रा 14.55Rmt को Cost of abstract MB 56 के पृ.सं. 71 पर 22.95Rmt दर्शाया गया था जिस कारण 8.40 Rmt कार्य प्रमात्रा की अधिक गणना व गलत शेष अग्रेषित करने के कारण ₹250/- Rmt की दर से संविदाकार को ₹2100/– का अधिक भुगतान किया गया था जिसका विवरण निम्न प्रकार से है।

Name of Item/ item No	M.B. No/ Page No	Qty. Recorded in MB	Qty. taken in Abstract MB	Excess Qty. Taken	Rate (Per Rmt)	Excess Payment)₹(
Item No.101.01 "P/F Light pressure PVCspigot &75mm"	48/60 (Rec.) 56/71 (Abs.)	14.55Rmt	22.95Rmt	8.40Rmt	250	2100
			Total			**₹2100/-**

अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एसके–एसओ/स्टेट ऑडिट–2022–23–141 दिनाँक 19.10. 2022 के प्रत्युतर में संस्था द्वारा अंकेक्षण के दौरान चर्चा में आश्वस्त किया गया कि वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। अतः वर्णित अधिक भुगतान का या तो नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा सम्बन्धित उचित स्त्रोत से राशि की वसूली को सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(ग) वीप होल्स (Weep Holes) की कटौती न करने के कारण संविदाकार को ₹0.05 लाख का अधिक भुगतान करना।

उपरोक्त निर्माण कार्य की मद संख्याः 71. "P/F Weep Hole 100 mm Dia" तथा मद संख्या 7. P/L CC 1:4:8 in brest & retaining wall के अंकेक्षण में पाया गया कि सावतें चलत बिल तक मद संख्या 7 के अन्तर्गत निष्पादित कार्य से 100mm पी.वी.सी. पाईप के आयतन की कटौती नहीं की गई थी जबकि मद संख्याः 71 के अन्तर्गत वीप होल के लिये भुगतान किया गया था जिस कारण संविदाकार को ₹5040/- का अधिक भुगतान किया गया था जिसका विवरण निम्न प्रकार से है।

M.B No /Page No	Qty. of WEEP HOLE 100 mm dia (Qty in Rmt)	Qty. of P/L CC 1:4:8 in brest & retaining wall which was paid twice to the Contractor and should be deducted	P/L CC 1:4:8 in brest & retaining wall Per m3	Total Amount)₹)
56/91	152.80Rmt	22/7X0.05X0.05X 152.80=1.20m3	4200	5040
			Total	**₹5040/-**

अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एसके–एसओ/स्टेट ऑडिट–2022–23–141 दिनाँक 19.10. 2022 द्वारा वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में तथ्यों सहित वस्तु स्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाये जाने बारे आग्रह किया गया था परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई भी उतर अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः वर्णित अधिक भुगतान का या तो नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट

किया जाये अन्यथा सम्बन्धित उचित स्त्रोत से राशि की वसूली को सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(घ) Form Work की तुलना में Cement Concrete का अधिक भुगतान किये जाने के कारण संविदाकार को ₹0.32 लाख का अधिक भुगतान करना।

उपरोक्त निर्माण कार्य के Form Work और Cement Concrete से सम्बन्धित निष्पादित कार्य मात्रा का आपस में मिलान करने पर पाया गया कि निम्न प्रकरण में Form Work मद संख्याः 2.01 i.e. "Providing form work with steel plates in vertical surfaces such as walls" की तुलना में संविदाकार को P/L cement Concrete मद संख्याः 3 i.e. "P/L CC 1:4:8 in breast and retaining walls" के निष्पादन में ₹32422 का अधिक भुगतान किया गया था, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है।

MB No. & Page No.	Qty Executed & Paid for Item No. 2.01 i.e. "Pdg. form work with steel plates in vertical surfaces such as walls"	Qty Executed & Paid for Item No. 3 i.e. "P/L CC 1:4:8 in breast and retaining walls"	Qty of Item No. 3 should be Executed and paid to the contractor	Diff. per cum	Rate (Per Cum)	Total Excess Payment for Item No. 3
2282/87	1x8.00x1=8sqm 1x5.30x1=5.30sqm 1x2.70x0.95=2.56sqm 1x4.85x1=4.85sqm	1x8.00x(1.25+1.00/2)x1.40 **=12.60m3** 1x5.30x(1.15+1.00+1.10+0.90/4)x1.30= **7.14m3** 1x2.70x(1.00+0.90+1.20/3)x1.25 **=3.48m3** 1x4.85x(1.20+1.30+0.90/3)x1.30 **=6.26m3** **Total=29.48m3**	1x8.00x(1.25+1.00/2)x1.00 **=9.00m3** 1x5.30x(1.15+1.00+1.10+0.90/4)x1.00**=5.50m3** 1x2.70x(1.00+0.90+1.20/3)x0.95=**2.65m3** 1x4.85x(1.20+1.30+0.90/3)x1.00=**5.49m3** **Total=22.64m3**	6.84m3	4740	32422
Total						**₹32422/-**

अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एसके–एसओ/स्टेट ऑडिट–2022–23–141 दिनाँक 19.10.2022 द्वारा वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में तथ्यों सहित वस्तु स्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाये जाने बारे आग्रह किया गया था परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई भी उतर अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः वर्णित अधिक भुगतान का या तो नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा सम्बन्धित उचित स्त्रोत से राशि की वसूली को सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(ड़) गलत गणना के कारण संविदाकार को ₹0.02 लाख का अधिक भुगतान करना

उपरोक्त निर्माण कार्य की मद संख्याः 3 i.e. "P/L CC 1:4:8 " के अंकेक्षण में पाया गया कि (Detail Entry) एम.बी. संख्याः 2282 के पृ.सं. 84 में दर्ज कार्य मात्रा की गलत गणना के कारण संविदाकार को ₹1612/- का अधिक भुगतान किया गया था जिसका विवरण निम्न प्रकार से है।

Name of Item	M.B. No/Page No	Calculation as per M.B.	Calculation Should be	Diff.	Rate (Per cum)	Excess Paid (₹(
3 i.e. "P/L CC 1:4:8"	2282/84 (Rec. MB) 2282/89 (Ab.MB)	1x1.30x0.35x(0.40+0.25/2) =0.48m3	1x1.30x0.35x(0.40+0.25/2) =0.14m3	0.34 m3	4740	1612
Total						₹1612/-

अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एसके–एसओ/स्टेट ऑडिट–2022–23–141 दिनाँक 19.10. 2022 द्वारा वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में तथ्यों सहित वस्तु स्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाये जाने बारे आग्रह किया गया था परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई भी उतर अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः वर्णित अधिक भुगतान का या तो नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा सम्बन्धित उचित स्त्रोत से राशि की वसूली को सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(च) अनुबन्ध की मद संख्या 11.01 P/L CC having strength of M-20 in Foundation, footings, bases of column etc. हेतु संविदाकार को ₹0.02 लाख का अधिक भुगतान करना

अनुबन्ध की मद संख्याः 11.01 11.01 i.e. P/L CC having strength of M-20 in Foundation, footings, bases of column etc. के सन्दर्भ में निष्पादित एवं भुगतान की गई मात्रा के अंकेक्षण में पाया गया कि वर्णित मद हेतु कालम B3/B5 हेतु Trapezoidal Footing=Cuboid+Truncated Pyramid में CC M-20 का कार्य किया गया था जिस हेतु निर्धारित मानकों के अनुसार Rectangular Cuboid=LxBxH और Touncated pyramid=h/3 (A1+A2+√A1xA2) गणना की जानी अपेक्षित थी जिसमें A1=Area of top base, A2= Area of bottom base and h=height को प्रदर्शित करता है परन्तु वर्णित कालमों हेतु Trapezoidal Footing के आयतन की गणना निर्धारित मानक/सूत्र अनुसार नहीं की गई थी जिस कारण संविदाकार को ₹1736 का अधिक भुगतान किया गया था, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है।

MB No. & Page No.	Qty. Executed and Paid to the contractor	Qty. Should be Executed and Paid as per specifications	Excess Qty	Rate per cum	Total Excess Payment
MB 48 P.N. 32	**Col. B3/B5** Rectangular Cuboid= 2x1.80x1.80x0.20=1.29m3 Touncated pyramid= 0.20/2)3.24+0.23)+√3.24x0.23(=0.86m3	**Col. B3/B5** Rectangular Cuboid= 2x1.80x1.80x0.20=1.29m3 Touncated pyramid= 0.20/3)3.24+0.23)+√3.24x0.23(=0.58m3	**0.28m3**	**6200**	**1736**
Total					**₹1736/-**

अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एसके–एसओ/स्टेट ऑडिट–2022–23–141 दिनाँक 19.10. 2022 द्वारा वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में तथ्यों सहित वस्तु स्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाये जाने बारे आग्रह किया गया था परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई भी उतर अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः वर्णित अधिक भुगतान का या तो नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट

किया जाये अन्यथा सम्बन्धित उचित स्त्रोत से राशि की वसूली को सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

22.	Name of work (2020-2021)	C/o HC Jarja, Nahan Pdg. Protection retaining wall at road AB from RD 0/570 to 0/543
	Name of Contractor	Sh. Balbir Singh Chouhan, Govt. Contractor VPO Kiyari Gundhan, the. Shillai, Distt. Sirmour
	Award Letter No.	No. HIMUDA/ND/CB/A-5/2019-1924-31 dated 21.9.2019
	Awarded Amount	850144.50 (above 74.81%)
	Voucher No.	Vr. No. 37, dt. 18-11-2019
	Running Bill/MB No.	2nd & Final Bill, MB-48/15 and Abstract MB-48/18

(क) फॉर्म वर्क)Form work(की तुलना में अधिक कार्य प्रमात्रा के निष्पादन के कारण संविदाकार को ₹0.25 लाख का अधिक भुगतान करना।

उपरोक्त निर्माण कार्य की मद संख्याः 3.01 i.e "Providing Form Work with Steel Plates in vertical surfaces such as walls " व मद संख्याः 5 i.e "P/L CC 1:4:8" तथा मद संख्याः 7 i.e "Stone filling behind the Retaining wall" के अंकेक्षण में पाया गया कि मद संख्या 3.01 के अन्तर्गत Form Work का निष्पादन व भुगतान केवल एक ही साईड के लिये किया गया था जिससे स्पष्ट है कि दूसरी ओर से Form Work न होने के कारण स्टोन फिलिंग हेतु भुगतान संभव नहीं था क्योंकि दूसरी ओर से फॉर्म वर्क हेतु दीवार का प्रयोग किया गया था एवं मद संख्याः 7 का निष्पादन स्वतः ही मद संख्या 5 के अन्तर्गत किया गया था जिस कारण मद संख्याः 7 के अन्तर्गत संविदाकार को ₹25430/- का अधिक/अतिरिक्त भुगतान किया गया था जिसका विवरण निम्न प्रकार से है।

MB No./ Page. No.	Item No.3.01 i.e Form Work (Qty.in sqr.mtr.)	Item No. 5 i.e P/L 1:4:8 (Qty. in cum)	Item No. 7 i.e Stone Filling behind the Retaining wall (Qty. in cum)	Rate of Item No.7 in cum	Total irregular Payment (₹)
M.B. 48 Page No. 4 & 13	1x5x0.90=4.50m2 1x5x1.80=9.00m2 1x8.60x1.80=15.48m2 1x5x3=15.00m2 1x5x3.80=19.00m2 1x8.60x4.20=36.12m2 Total=163.06m2	1x5x(1.00+0.75/2)x0.90=3.94m3 1x5x(1.00+0.75/2)x1.80=7.87m3 1x8.60x(1.00+0.75/2)x1.80=13.54m3 1x5x(1.80+0.75/2)x3=19.12m3 1x5x(2+0.75/2)x3.80=26.12m3 1x8.60x(2.20+0.75/2)x4.20=53.27m3 Total=164.6m3	1x5x0.30+0.60/2x0.70=1.57m3 1x5x0.30+0.60/2x1.20=2.70m3 1x8.60x0.80+0.60/2x1.20=4.64m3 1x5x0.30+0.45/2x2.40=4.50m3 1x5x0.30+0.45/2x3=5.62m3 1x8.60x0.30+0.45/2x2=6.40m3 Total=25.43m3	1000	25430
Total					**₹25430/-**

Note- Calculations has been taken as per entries executed and paid in MB.

अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एसके–एसओ/स्टेट ऑडिट–2022–23–141 दिनाँक 19.10.2022 द्वारा वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में तथ्यों सहित वस्तु स्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाये जाने बारे आग्रह किया गया था परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई भी उतर अंकेक्षण में

प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः वर्णित अधिक भुगतान का या तो नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा सम्बन्धित उचित स्त्रोत से राशि की वसूली को सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(ख) वीप होल्स (Weep Holes) की कटौती न करने के कारण संविदाकार को ₹0.05 लाख का अधिक भुगतान करना।

उपरोक्त निर्माण कार्य की मद संख्याः 78 i.e. "P/F Weep Hole 100 mm Dia" तथा मद संख्या 5. i.e. P/L CC 1:4:8 in brest & R/ Wall के 2nd & Final Bill के अंकेक्षण में पाया गया कि मद संख्या 5 के अन्तर्गत निष्पादित कार्य से 100mm पी.वी.सी. पाईप के आयतन की कटौती नहीं की गई थी जबकि मद संख्याः 78 के अन्तर्गत वीप होल के लिये भुगतान किया गया था जिस कारण संविदाकार को ₹2352/- का अधिक भुगतान किया गया था जिसका विवरण निम्न प्रकार से है।

M.B No /Page No	Qty. of WEEP HOLE Paid of 100 mm dia (Qty in Rmt)	Qty. of P/L CC1:4:8 in brest & R/wall which was paid twice to the Contractor and should be deducted	Rate of P/L CC1 :4:8 Per m3	Total Amount)₹(
48/18	70.90 Rmt	22/7X0.05X0.05X70.90=0.56m3	4200	2352
Total				**₹2352/-**

अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एसके–एसओ/स्टेट ऑडिट–2022–23–141 दिनाँक 19.10. 2022 द्वारा वर्णित प्रकरण के सन्दर्भ में तथ्यों सहित वस्तु स्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाये जाने बारे आग्रह किया गया था परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई भी उतर अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः वर्णित अधिक भुगतान का या तो नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा सम्बन्धित उचित स्त्रोत से राशि की वसूली को सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

23.	**Name of work (2021-2022)**	**C/O Jogindra Central Co-operative Bank at Patti-Kaithera**
	Name of Contractor	**Sh. Desh Raj Thakur, Govt. Contractor**
	Award Letter No.	**HIMUDA/ND/CB/A-5/2021-1359-66 dated 04.09.2021 21.9.2019**
	Agreement No.	**08 of 2021-22**
	Voucher No.	**Vr. No. 38, dt. 07-01-2022**
	Running Bill/MB No.	**1st Running Bill, MB-75, 76**

(क) कटिंग इन अर्थ वर्क के क्रॉस सैक्शन)**Wrong calculation of the area of cross section in Cutting in earth work)** की गलत गणना के कारण संविदाकार को **₹0.40** लाख का अधिक भुगतान करना।

उपरोक्त निर्माण कार्य के प्रथम चलित बिल के अंकेक्षण में पाया गया कि मद संख्याः 1 माप पुस्तिका 75 के पृ.सं. 1 से 8 पर दर्ज (Cutting in earth work by mechanical means in all heights/ depths and in all kinds of soil such as kankar, moorum, shingle and decomposed of soft or hard rock etc.) कटिंग इन अर्थ वर्क के क्रॉस सैक्शन के क्षेत्रफल)Area of cross section) की गलत गणना के कारण संविदाकार को ₹39513.60 का अधिक भुगतान किया गया था जिसका विवरण निम्न प्रकार से है।

MB No. and Page No.	**R.D.**	**Area of Cross Section Executed as per MB**	**Average Area**	**Length**	**Total Qty. Executed & Paid in Cum**	**Area of Cross Section should be Executed as per Drawing Mentioned in MB**	**Average Area**	**Length**	**Total Qty. should be Executed & Paid in Cum**	**Diff.**	**Rate Per cum**	**Total Excess Paid**
Rec. MB 75 Page. No. 1 to 8	0/0	342.16 m2				342.16 m2						
			(342.16+411.62)/2 =376.89m2	9.50	**3580.45 m3**		(342.16+394.52)/2 =368.34m2	9.50	**3499.23 m3**	81.82 m3	180	14727.60
	0/9.50	411.62 m2				394.52 m2						
			(411.62+427.22)/2 =419.42m2	9.50	**3984.49 m3**		(394.52+422.38)/2 =408.45m2	9.50	**3880.27 m3**	104.22 m3	180	18759.60
	0/19	427.22 m2				422.38 m2						
			(427.22+326.82)/2 =377.02m2	9.00	**3393.18 m3**		(422.38+324.22)/2 =373.3m2	9.00	**3359.7 m3**	33.48 m3	180	6026.40
	0/28	326.82 m2				324.22m2						
	Total Excess Payment											**₹39513.60**

अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एसके–एसओ/स्टेट ऑडिट–2022–23–141 दिनाँक 19.10.2022 द्वारा वर्णित प्रकरण के सन्दर्भ में तथ्यों सहित वस्तु स्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाये जाने बारे आग्रह किया गया था परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई भी उतर अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः वर्णित अधिक भुगतान का या तो नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा सम्बन्धित उचित स्त्रोत से राशि की वसूली को सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

24	Name of work (2020-2021)	Model Central Jail at Nahan, Pdg. Protection R/Wall in front side of Type-I Staff Quarter
	Name of Contractor	**Sh. Balbir Singh , Govt. Cont.**
	Agreement No.	**09 of 2020-21**
	Voucher No.	**Vr. No. 67, dt. 21-10-2020**
	Running Bill/MB No.	**1st & 2nd Running Bill , MB No. 30**

(क) **Approved Drawing** की तुलना में **Breast wall** का अतिरिक्त निष्पादन करने के कारण संविदाकार को **₹0.57** लाख का अतिरिक्त/अनियमित भुगतान करना।

उक्त निर्माण कार्य की मद संख्याः 1. Excavation in earth work in all kind of soil व मद संख्याः 2. P/L CC 1:4:8 with 15% Plum in breast/R/wall का सम्बन्धित Approved Drawing के साथ तुलना में पाया गया कि अनुमोदत ड्राईंग की अपेक्षा मद संख्याः 1 व 2 का अतिरिक्त निष्पादन किया गया था जबकि नियमानुसार अनुमोदत ड्राईंग अथवा सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति से ही निर्माण कार्य को निष्पादित किया जाना अपेक्षित था। Approved Drawing के अनुसार केवल ब्लॉक की फ्रंट साईड में रिटेनिंग वॉल लगाने का कार्य निष्पादित किया जाना अपेक्षित था जोकि प्रथम चलत बिल में निष्पादित किया जा चुका था तथा ब्लॉक के राईट साईड में रिटेनिंग वॉल लगाने का कोई प्रावधान नहीं था जिस कारण निर्माण कार्य में अतिरिक्त मद के निष्पादन एवं भुगतान के कारण संविदाकार को ₹56563.40 का अतिरिक्त/अधिक भुगतान किया गया था जिसका विवरण निम्न प्रकार से है।

MB No. & P.N.	Name of Item	Total Qty. Executed	Rate	Total Irregular Payment	Remarks
Rec. MB 44 P.N. 71 Abstract MB 30 P.N. 69	Item No.1. Excavation in earth work in all kind of soil	RHS of Block 1x8.10x 1.30 x 0.60+0.80/2) = **7.37m3**	70/- per cum	515.90	Work was not executed as per the approved drawing and no sanction of the competent authority was shown to audit and entry in site at order book was also not shown .
	Item No. 2 P/L CC 1:4:8 with 15% Plum in breast/ R/wall	RHS of Block 1x8.10x 1.30+0.60/2)x3.10 = **23.85m3**	2350/-- per cum	56047.50	
Total Extra/Excess Payment				**₹56563.40**	

अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एसके–एसओ/स्टेट ऑडिट–2022–23–143 दिनाँक 21.10. 2022 द्वारा वर्णित अनियमितताओं के सन्दर्भ में तथ्यों सहित वस्तु स्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाये जाने बारे आग्रह किया गया था परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई भी उतर अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः वर्णित अधिक भुगतान का या तो नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा सम्बन्धित उचित स्त्रोत से राशि की वसूली को सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(ख) वीप होल्स (Weep Holes) की कटौती न करने के कारण संविदाकार को ₹0.03 लाख का अधिक भुगतान करना।

उपरोक्त निर्माण कार्य की मद संख्याः 4. "P/F Weep Hole 100 mm Dia" तथा मद संख्या 3. P/L CC 1:4:8 in brest & R/ Wall के अंकेक्षण में पाया गया कि प्रथम चलत बिल तक मद संख्या 3 के अन्तर्गत निष्पादित कार्य से 100mm पी.वी.सी. पाईप के आयतन की कटौती नहीं की गई थी जबकि मद संख्याः 4 के अन्तर्गत वीप होल के लिये भुगतान किया गया था जिस कारण संविदाकार को ₹3102/- का अधिक भुगतान किया गया था जिसका विवरण निम्न प्रकार से है।

M.B No /Page No	Qty. of WEEP HOLE Paid of 100 mm dia (Qty in Rmt)	Qty. of P/L CC1:4:8 in brest & R/wall which was paid twice to the Contractor and should be deducted	Rate of P /L CC 1:4:8 Per m3	Total Amount)₹(
30/65	168.34 Rmt	22/7X0.05X0.05X168.34 =1.32m3	2350	3102
			Total	**₹3102/-**

अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एसके–एसओ/स्टेट ऑडिट–2022–23–143 दिनाँक 21.10. 2022 द्वारा वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में तथ्यों सहित वस्तु स्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाये जाने बारे आग्रह किया गया था परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई भी उतर अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः वर्णित अधिक भुगतान का या तो नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा सम्बन्धित उचित स्त्रोत से राशि की वसूली को सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

25	Name of work (2020-2021)	P/L galvanized steel pipe fitting (underground) 65mm dia pipe Chambaghat to Basal Road Side, Solan
	Name of Contractor	Sh. Anup Verma Vill.& PO Shamti, Teh. Solan HP
	Award Letter No.	HIMUDA/ND/CB/A-5/2018-541-48, Dated 07.07.2020
	Agreement No.	04 of 2020-21

	Voucher No.	Vr. No. 118, dt. 30-10-2020
	Running Bill/MB No.	1 and 2nd Running Bill, Cost of Abs. MB 955 Page No. 95

(क) निर्धारित मापदण्ड से अधिक मात्रा में खुदाई करने/दर्शाये जाने)**Excavation in drains and channels**(के कारण संविदाकार को **₹0.06** लाख का अधिक भुगतान करना।

उपरोक्त निर्माण कार्य की मद संख्याः 1 i.e. Excavation in drains and channels etc. in earth work" के अंकेक्षण में पाया गया कि की Trench चौडाई को निर्धारित प्रमाप से अधिक लिया गया था जबकि नियमानुसार CPWD Specification Rule 20.6 Laying and Jointing of GI Pipes (External Work) में Trench की चौडाई एवं गहराई निम्न प्रकार से निर्धारित की गई है।

Dia of Pipe(mm)	**Width of trench(cm)**	**Depth of trench (cm)**
15 to 50	30	60
65 to 100	45	75

उक्त के दृष्टिगत 65mm Dia के लिये Trench की चौडाई 45cm हेतु खुदाई/भुगतान किया जाना अपेक्षित था परन्तु MB No. 955 Page. No. 87 और MB No. 955 Page No. 92 में दर्ज कार्य प्रमात्रा के अनुसार संविदाकार को 60cm चौडाई की खुदाई के लिये भुगतान किया गया था जिस कारण संविदाकार को ₹6492/- का अधिक भुगतान किया गया था जिसका विवरण निम्न प्रकार से है।

Detail of Calculation of Excess Payment on A/c of Item No. 1 i.e. Excavation in drains and channels etc. in earth work"							
MB No./ Page No.	**Qty Executed & Paid (For 65 mm Dia)**		**Qty as per CPWD Specification (For 65 mm Dia)**		**Excess Qty**	**Rate per Cum**	**Total Excess Payment**
955/87	1x168x0.60x(0.45+0.50/2)=45.36m3	45.36 m^3	1x168x0.45x(0.45+0.50/2)=35.91m3	35.91 m^3	9.45 m^3	400.00	3780.00
955/92	1x14x0.60x(0.45+0.60/2)=4.41m3 1x15x0.60x(0.45+0.60/2)=4.72m3 1x15x0.60x(0.45+0.60/2)=4.72m3 1x15x0.60x(0.45+0.60/2)=4.72m3 1x15x0.60x(0.45+0.60/2)=4.72m3 1x12x0.60x(0.45+0.60/2)=3.78m3 **Total=27.07m3**	27.03 m3	1x14x0.45x(0.45+0.60/2)=3.30 m3 1x15x0.45x(0.45+0.60/2)=3.54m3 1x15x0.45x(0.45+0.60/2)= 3.54m3 1x15x0.45x(0.45+0.60/2)= 3.54m3 1x15x0.45x(0.45+0.60/2)= 3.54m3 1x12x0.45x(0.45+0.60/2)=2.83m3 **Total=20.29m3**	20.29 m3	6.78 m3	400.00	2712.00
Total Excess Payment							**₹6492/-**

अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एसके–एसओ/स्टेट ऑडिट–2022–23–141 दिनाँक 19.10.2022 द्वारा वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में तथ्यों सहित वस्तु स्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाये जाने बारे आग्रह किया गया था परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई भी उतर अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः वर्णित अधिक भुगतान का या तो नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट

किया जाये अन्यथा सम्बन्धित उचित स्त्रोत से राशि की वसूली को सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

26	Name of Work	C/o Modal Cental Jail Nahan Distt. Sirmour H.P. (SH:-C/O Construction of Warder Line with Parking Floor including Internal Water Supply, Sanirtary Instalation, C/o 7000 Liter Capacity Rain Water Harvesting Tank)
	Estimated Cost	₹10994905.00
	Award amount	₹12163462.24 (10.62 % above)
	Award letter No.	No.HIMUDA/ND/CB/A-5/2018-2759-65 Dated 10.12.2019
	Agreement No.	40 of 2019-20
	Name of Contractor	Sh. Suresh Kumar Govt. Contractor, Vill. Malpur P.O. Bhud, Tehsil Baddi, Distt. Solan H.P.
	Measurement Books	58, 64
	Priod of completion	One year (Reckoned from the 15th day of issuing the award letter)
	Running Bill	Voucher No. 72 Dated 27.01.2022, 5th running bill.

(क) गलत गणना के कारण ₹ 0.06 लाख का अधिक भुगतान करना

उपरोक्त निर्माण कार्य की मद संख्या 13. Brick work using 2nd class common burnt clay buuilding bricks in superstructure above plinth level etc. के अंकेक्षण में पाया गया कि निष्पादित किये गये कार्य की कुल मात्रा 5.13 क्यूबिक मीटर का भुगतान मापन पुस्तिका संख्याः 64/41/ पृष्ठ 41/39 पर 4950 प्रति क्यूबिक मीटर की दर से किया गया था परन्तु कुल कार्य मात्रा की गणना करते समय गणना में गलती के कारण कार्य मात्रा 3.92 क्यूबिक मीटर के स्थान पर 5.13 क्यूबिक मीटर दर्शाई गई थी जिसके फलस्वरूप संविदाकार को 1.21 क्यूबिक मीटर कार्य मात्रा के लिए 4950.00 प्रति क्यूबिक मीटर की दर से निम्न विवरणानुसार ₹5989.50/— का अधिक भुगतान किया गया था।

MB no/ Page No.	Item Description	Qty Should be	Qty taken	Excess	Rate per m3	Total Excess payment
58/64	13. Brick work using 2nd class common burnt clay building bricks in superstructure above plinth level etc.	2x1x3.76x0.23x2.27 =3.92	2x1x4.06x0.23x2.27 =5.13	1.21	4950	5989.50

अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एसके—एसओ/स्टेट ऑडिट—2022—23—142 दिनाँक 19.10. 2022 के प्रत्युतर में संस्था द्वारा अंकेक्षण के दौरान चर्चा में आश्वस्त किया गया कि वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। अतः वर्णित अधिक भुगतान का या तो नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये

अन्यथा सम्बन्धित उचित स्त्रोत से राशि की वसूली को सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

27	Name of Work	C/o Housing Colony at Basal, Ph-II Distt. Solan HP (SH :- C/O Road from Plot No. 72 to75 i.e. Soling , Wearing, Metalling & Tarring C/O "V" & "U" Shape Drain and NP-2 pipe 500 dia). Balance work.
	Estimated Cost	₹489206.00
	Award amount	₹885126.00 (80.93% above)
	Award letter No.	No.HIMUDA/ND/CB/A-5/2019-549-56 Dated 03-06.2019
	Agreement No.	07 of 2019-20
	Name of Contractor	Sh. Ujjagar Singh Tomar, Govt. Contractor, VPO Shilli, Tehsil Shilli, Distt. Sirmour,HP
	Measurement Books	978, 962
	Priod of completion	Three Month (Reckoned from the 15th day of issuing the award letter)
	Running Bill	Voucher No.56 Dated 19.01 2022, 3th running bill.

(क) **RD की गलत गणना के कारण ₹0.05 लाख का अधिक भुगतान करना**

उपरोक्त निर्माण कार्य की मद संख्या मद संख्या 2. RD 30 to 37:-P/L Spreading and compating stone aggregates of specifi size to water bound macadan specification including specification in uniform thickness hand packing rollilng with three wheel etc. के अंकेक्षण में पाया गया कि निष्पादित किये गये कार्य की कुल मात्रा 9.29 क्यूबिक मीटर का भुगतान मापन पुस्तिका संख्याः 978/962/ पृष्ठ 56/75 पर 1700.00 प्रति क्यूबिक मीटर की दर से किया गया था परन्तु कुल कार्य मात्रा की गणना करते समय गणना में गलती के कारण कार्य मात्रा 6.5 क्यूबिक मीटर के स्थान पर 9.29 क्यूबिक मीटर दर्शाई गई थी जिसके फलस्वरूप संविदाकार को 2.79 क्यूबिक मीटर कार्य मात्रा के लिए 1700.00 प्रति क्यूबिक मीटर की दर से निम्न विवरणानुसार ₹4743.00/— का अधिक भुगतान किया गया था।

M.B no/ P.g no.	Item Description	Qty Should be	Qty taken	Excess Qty	Rate per m3	Total Excess payment
978/ 962	RD 30 to 37:-P/L Spreading and compating stone aggregates of specifi size to water bound macadan specification including specification in uniform thickness hand packing rollilg with three wheel etc.	$\frac{1x7x\ 5.30+5.32\ x}{2}$ 0.15+0.20	1x10x 5.30+5.32 x 0.15+0.20 2			
	Total	**6.5**	**9.29**	2.79	1700	**4743**

अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एसके–एसओ/स्टेट ऑडिट–2022–23–142 दिनाँक 19.10.2022 के प्रत्युतर में संस्था द्वारा अंकेक्षण के दौरान चर्चा में आश्वस्त किया गया कि वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। अतः वर्णित अधिक भुगतान का या तो नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा सम्बन्धित उचित स्त्रोत से राशि की वसूली को सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

28 ई.पी.एफ. की कटौती न करने के कारण संविदाकार को ₹29.27 लाख का अनियमित भुगतान करना

हिमुडा मण्डल नाहन के अंकेक्षण अवधि 04/2020 से 03/2020 के विस्तृत जॉच हेतु चयनिम माह 10/2020 व 01/2022 के निर्माण कार्य बिल से सम्बन्धित अभिलेख की जॉच में पाया गया कि संविदाकार द्वारा मजदूरी पर देय ई.पी.एफ. **(EPF)** के भुगतान से सम्बन्धित अभिलेख जोकि नियमानुसार बिल के भुगतान से पूर्व सम्बन्धित मण्डल में जमा करवाये जाने अपेक्षित हैं चलत बिल व मैमों नस्ति में संलग्न नहीं थे और न ही हिमुडा मण्डल नाहन द्वारा ई.पी.एफ. **(EPF)** के जमा करवाये जाने से सम्बन्धित अपेक्षित अभिलेखों को अंकेक्षण में प्रस्तुत किया गया। इसके अतिरिक्त माप पुस्तिका व **Abstract of Works Bill** में भी इस सम्दर्भ में स्पष्ट किया गया था कि ई.पी.एफ. **(EPF)** से सम्बन्धित अभिलेख को संविदाकार द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया था जबकि अधिकतर प्रकरणों में कोई भी प्रमाण पत्र/अभ्युक्ति माप पुस्तिका व **Abstract of Works Bill** में नहीं की गई थी जिस कारण ई.पी.एफ. **(EPF)** कटौती के सम्बन्ध में कोई पुष्टि/जॉच नहीं की जा सकी। चूंकी अनुबन्ध कार्य मद Tendered Rate के दो भाग होते हैं 25% Labour Portion और शेष 75% Material Portion का इस प्रकार 25% Labour Portion पर संविदाकार द्वारा ई.पी.एफ. का भुगतान किया जाना अपेक्षित था परन्तु यथा **परिशिष्टः "ढ–1"** अनुसार संविदकार द्वारा निष्पादित कुल कार्य के 25% Labour Portion पर देय ई.पी.एफ. **(EPF) ₹1926929.18** का भुगतान नहीं किया गया था व सस्था द्वारा संविदाकार को किये गये अनियमित भुगतान को दर्शाता है। हिमुडा मण्डल नाहन द्वारा संविदाकार से अपेक्षित अभिलेख को प्राप्त किये बिना व राशि की कटौती किये बिना ही बिल का भुगतान किया जाना सहायक आयुक्त, भविष्य निधि, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन कसुम्पटी शिमला के पत्र संख्याः RO/HP/Intelligence/Contract Workers/23337 दिनॉक 30.12.2016 मे वर्णित दिशा–निर्देशों के प्रतिकूल होने के कारण एक गम्भीर अनियमितता है तथा ऐसे में किसी प्रकार की दण्डात्यमक कार्यवाही की संभावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्याः अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एसके–एसओ/स्टेट ऑडिट–2022–23–129 दिनाँक 01.10.2022 के प्रत्युतर में संस्था द्वारा अंकेक्षण के दौरान चर्चा में आश्वस्त किया गया कि वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। अतः ई.पी.एफ. **(EPF)** कि कटौती तथा अपेक्षित अभिलेख को प्राप्त किये बिना संविदाकारों अनियमित/अधिक भुगतान करने का या तो नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा सम्बन्धित उचित स्त्रोत से राशि की वसूली को सुनिश्चित करके नियमानुसार कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

29 4 से 11 माह के उपरान्त ₹9.78 लाख के सीमेंट बैग को स्टॉक में दर्शाया जाना व विभिन्न निर्माण कार्य को जारी करके अनियमित समायोजन करना

बिन कार्ड/ईन्डेन्ट व सम्बन्धित अभिलेख के अंकेक्षण में पाया गया कि हिमुडा मण्डल नाहन द्वारा 4 से 11 माह पूर्व क्रय किये गये सीमेंट को स्टॉक में दर्शाया गया था जिसे विभिन्न कार्य हेतु जारी करके अनियमित रूप से समायोजित किया गया था जबकि मान्य मानकों के अनुसार सीमेंट बैग को तीन माह के भीतर प्रयोग किया जाना अपेक्षित था। इस प्रकार 10 से 11 माह पश्चात् भी सीमेंट बैग को स्टॉक में दर्शाया जाना सीमेंट बैग के अनियमित समायोजन व स्टॉक के दुर्विनियोजन को दर्शाता है जिसका विवरण निम्न प्रकार से है।

Sub-Division, Nahan (Bin Card No.169/06)					
GR NO and Date	**Qty of Cement bag Received**	**Indent No./Date**	**Qty of Cement bags Issued**	**Amount**	**Remarks**
Sub-Division, Solan (Bin Card No. 257/2013)					
323/17-10-2019 Rate= 295.61 (287 + 3% Storage Charges = 591.22, double rate)	480	3262/28-05-2020	29	17145	Issued after about 7 months
325/11-02-2020 Rate= 309 (300 + 3% Storage Charges = 618 Double rate)	232	3264/26-09-2020	22	13007	Issued after about 11 months
		4700/28-09-2020	609 (377 x 591.22 232 x 618)	222890 143376	Issued after about 7 to 11 months
Total amount of Cement issued about after 7 to 11 months 253042 + 143376 (428x591.22 + 232x618)			**660**	**396418**	
3225/16-09-2019 Rate= 295.61 (287 + 3% Storage Charges = 591.22, double rate)	1240	211/14-01-2020	100	**59122**	Issued after about 4 months
		212/14-01-2020	300	**177366**	Issued after about 4 months
		213/22-02-2020	50	**29561**	Issued after about 5 months

3227/26-11-2019 Rate= 309 (300 + 3% Storage Charges = 618 Double rate)		186/11-03-2020	200	**118244**	Issued after about 6 months
	300	69/13-03-2020	100 (20x591.22) (80x618)	 **11824** **49440**	Issued after about 4 to 6 months
		70/06-05-2020	100	**61800**	Issued after about 6 months
		187/30-05-2020	70	**43260**	Issued after about 6 months
		188/30-05-2020	50	**30900**	Issued after about 6 months
Total amount of Cement issued about after 4 to 8 months 396117 + 185400 (670x591.22 + 300x618)			**970**	**581517**	
G/Total amount of Cement issued about after 4 to 11 months			**1630**	**977935**	

उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि संस्था द्वारा अनियमित रूप से सीमेंट बैग को लगभग 4 से 11 माह पश्चात् 1630 सीमेंट बैग का अनियमित समायोजन किया गया था जबकि सामान्य मानकों व सीमेंट बैग में वर्णित अनुदेश अनुसार सीमेंट बैग का प्रयोग पैंकिंग की तिथि से 3 माह के भीतर किया जाना अपेक्षित है (As per the general standard or instruction given in the cement bag the cement has been instructed best before three months from date of packing, cement to be tested before use if more than three months old from date of packing) तथा तीन माह से अधिक अवधि के उपरान्त सीमेंट का प्रयोग आवश्यक जॉच/परीक्षण उपरान्त किया जाना अपेक्षित है। संस्था द्वारा लगभग 4 से 11 माह के पश्चात् भी सीमेंट बैग के शेष का प्रयोग हेतु शेष दर्शाया जाना व विभिन्न निर्माण कार्य हेतु जारी करना अनियमित समायोजन व कार्य की संदिग्ध गुणवता को दर्शाता है। संस्था द्वारा जारी किये गये उक्त सीमेंट के सन्दर्भ में आवश्यक जॉच रिपोर्ट को भी अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया जोकि एक गम्भीर अनियमितता है। अंकेक्षण अधियाचना संख्याः अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एसके–एसओ/स्टेट ऑडिट–2022–23–129 दिनाँक 01.10.2022 द्वारा वर्णित प्रकरण के सन्दर्भ में तथ्यों सहित वस्तु स्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाये जाने बारे आग्रह किया गया था परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई भी उतर अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः वर्णित अनियमितता का नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा स्टॉक के अनुचित प्रबन्धन व अनियमित समायोजन हेतु कर्मचारी/अधिकारी के विरूद्ध नियमानुसार उचित विभागीय कार्यवाही की जानी सुनिश्चित की जाये। इसके अतिरिक्त प्रकरण संस्थाध्यक्ष के विशेष ध्यानार्थ इस आशय के साथ लाया जाता है कि संस्थास्तर इस प्रकार के अन्य प्रकरणों की जॉच/गणना उपरान्त किसी प्रकार की अनियमितता पाये जाने की अवस्था में नियमानुसार कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

30 **सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना ही निर्माण कार्य में अतिरिक्त मदों (Extra Item) का निष्पादन करना व सक्षम अधिकारी द्वारा अतिरिक्त मदों के अनुमोदन को अस्वीकृत करने के कारण संविदाकार से ₹0.75 लाख की वसूली न करना**

निर्माण मण्डल के व्यय की विस्तृत जाँच हेतु चयनित माह 10/2020 के अंकेक्षण में पाया गया कि हिमुडा मण्डल नाहन द्वारा सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना ही अतिरिक्त मदों को निष्पादित करके छठे चलित बिल तक संविदाकार को ₹75417.40 का अनियिमत/अधिक भुगतान किया गया था परन्तु संस्था द्वारा सातवें व अंतिम बिल को पारित करने से पूर्व सक्षम अधिकारी के अनुमोदन हेतु प्रेषित निष्पादित की गई अतिरिक्त मदों की सूची में से निम्नविवरणानुसार दो मदों को स्वीकृत नहीं किया गया तथा जिनकी वसूली संविदकार से तत्काल सप्तम् बिल से की जानी अपेक्षित थी। उपरोक्त के सन्दर्भ में निर्माण कार्य आबंटन पत्र की शर्त संख्याः 1 में भी स्पष्ट किया गया था कि "The nomenclature and unit of the items referred to above will be as per approved DNIT No extra/Substitute items and deviation will be allowed without prior approval on the Competent Authority" तथा शर्त संख्याः 12 में भी निर्देशित किया गया है कि "No deviation is permissible is at site without prior approval on the Competent Authority" परन्तु वर्णित निर्माण कार्य में निष्पादित की गई अतिरिक्त व स्थानापन्न मदों हेतु सक्षम प्राधिकारी से पूर्व स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई थी जिसके परिणामस्वरूप इन मदों पर अतिरिक्त व्यय/भुगतान किया जा चुका था जिसकी वसूली अंकेक्षण की समाप्ति तक नहीं की गई थी जो कि अनुबन्ध की शर्तों के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित ही नहीं अपितु एक गम्भीर अनियमितता है, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है।

C/o H.P. State Co-Operative Bank Ltd. Building at Nahan, Distt. Sirmour, H.P. including internal water supply, sanitary installation and Development of site, Rain Water Harvesting Tank and Septic Tank. Cont. M/S Vidya Infrastructure and Developers, Govt. Contractor, R/o 4-8, M.C. Complex, Near Mohan Park, Solan (H.P.), Voucher No. 04 Dated 01-10-2020 (6th running bill), Agr. No. 18 of 2017-18					
Extra Item Executed as per MB and 6th Running Bill			**Approval of Extra item as per Executive Director letter No. HIMUDA(DB)Co-Operative Bank/Nahan/2018-Vol-V-1269 dated 22-07-2022 (Approved by the committee on 29-06-2022.**		**Excess Payment**
Item No.	**Qty Executed**	**Rate**	**Qty Approved**	**Rate Approved**	
E1-Providng weep hole pipe in stone massonary wall 100 mm dia pipe i/c carriage of material in all lead & lift. (BM No-52, Page-32)	**310.00 Nos**	**229.73 Each**	**Not approved vide above referred letter.**	**Not approved vide above referred letter.**	**71216.30**
E1-Providing and fixing C.P. brass towel ring complete with C.P. Brass brackets fixed to wooden plugs with C.P. Brass screws including carriage of material in all leads and lifts (BM No-52, Page-35)	**43.00 Nos**	**156.00 Each**	**43.00**	**58.30**	**4201.10 (97.70 x 43)**
Total excess payment					**75417.40**

उपरोक्त से यह स्पष्ट है की संस्था द्वारा निष्पादित निर्माण कार्य को नियमानुसार निष्पादित नहीं किया गया था जोकि एक गम्भीर अनियमितता है। उक्त के सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्याः अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एसके–एसओ/स्टेट ऑडिट–2022–23–129 दिनाँक 01.10.2022 के प्रत्युतर में संस्था द्वारा अंकेक्षण के दौरान चर्चा में आश्वस्त किया गया कि वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। अतः वर्णित अनियमितता का नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा इस प्रकार के अन्य प्रकरणों की जाँच/गणना संस्था स्तर पर सुनिश्चित करके सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाये अन्यथा सम्बन्धित उचित स्त्रोत से राशि की वसूली करके हिमुडा निधि में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

31 सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना ही निर्माण कार्य में स्थानापन्न मदों (Substitute Item) का निष्पादन करना व सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित स्थापन्न मदों से साथ–साथ स्थान्नापित (Substituted Item) दोनों मदों को निष्पादित करने के कारण संविदाकार को ₹1.40 लाख का अनियमित/अधिक भुगतान करना

निर्माण मण्डल के व्यय की विस्तृत जाँच हेतु चयनित माह 10/2020 के अंकेक्षण में पाया गया कि हिमुडा मण्डल नाहन द्वारा सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना ही स्थानापन्न **(Substitute Item)** मदों को सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना ही छठे चतल बिल तक संविदाकार को **₹139665.00** का भुगतान किया गया था परन्तु संस्था द्वारा सातवें व अंतिम बिल को पारित करने से पूर्व सक्षम अधिकारी को अनुमोदन हेतु प्रेषित स्थापन्न मदों की तुलना में पाया गया कि हिमुडा मण्डल नाहन द्वारा स्थानापन्न व स्थानापित **(Substitute & Substituted Item)** दोनों मदों को निष्पादित किया गया था जोकि की नियमों के प्रतिकूल हाने के कारण एक गम्भीर अनियमितता है। निर्माण कार्य के आबंटन पत्र शर्त संख्याः 1 में भी स्पष्ट किया गया था कि "The nomenclature and unit of the items referred to above will be as per approved DNIT No extra/Substitute items and deviation will be allowed without prior approval on the Competent Authority" तथा शर्त संख्याः 11 में भी निर्देशित किया गया है कि All items and conditions of the tender socuments shall remain un-altered परन्तु वर्णित निर्माण कार्य में निष्पादित की गई स्थानापन्न व स्थानापित **(Substitute & Substituted Item)** दोनों मदों हेतु सक्षम प्राधिकारी से पूर्व स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई थी जोकि अनुबन्ध की शर्तों के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित ही नहीं अपितु एक गम्भीर अनियमितता है, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है।

C/o H.P. State Co-Operative Bank Ltd. Building at Nahan, Distt. Sirmour, H.P. including internal water supply, sanitary installation and Development of site, Rain Water Harvesting Tank and Septic Tank. Cont. M/S Vidya Infrastructure and Developers, Govt. Contractor, R/o 4-8, M.C. Complex, Near Mohan Park, Solan (H.P.), Voucher No. 04 Dated 01-10-2020 (6th running bill), Agr. No. 18 of 2017-18								
Execution of Actual (Substituted) Item as per DNIT, MB and 6th Running Bill				**Approval of Substitute item as per Executive Director letter No. HIMUDA(DB)Co-Operative Bank/Nahan/2018-Vol-V-1269 dated 22-07-2022 (Approved by the committee on 29-06-2022.**				**Excess Payment**
Item No.	**Qty Executed**	**Rate**	**Excess Amount Paid**	**Substitute Item**	**Qty Approved**	**Rate Approved**	**Amount Paid**	**Excess Payment**
39. P/F 6mm thick ply wood lining with butt jointing and nails (frame work and cover fillets to be measured ad paid for separately) including carriage of matirkal in all leads & lifts. (MB N0-52, Page-09)	263.33 Sqm	500 Sqm	131665.00	S1:- P/F 10 mm thick Eco-pinewood wall panelling with necessary screws complete in all respect i/c carriage of matirkal in all leads & lifts (MB N0-52, Page-33).	249.81 Sqm	1702.90 Sqm	425401.44	131665.00
105. P/F stainless steel kitchen sink of approved standard ISI make with drain board and C.P. waste with C.I. or M.S. Brackets painted white including cutting holes and making good the same but excluding fitting including carriage of material in all leads and lifts (i) 610mmx460mm with bowl depth 200 mm. (MB N0-52, Page-25)	2 Nos	4000 Each	8000.00	S1:- P/F stainless steel kitchen sink of approved standard ISI make with drain board and C.P. waste with C.I. or M.S. Brackets painted white including cutting holes and making good the same but excluding fitting including carriage of material in all leads and lifts (i) 1140mmx510mm with bowl depth 200 mm (MB N0-52, Page-09)	5 Nos	5769 Each	28847.00	8000.00
Total excess payment								**139665.00**

उपरोक्त से यह स्पष्ट है की संस्था द्वारा निष्पादित निर्माण कार्य को नियमानुसार निष्पादित नहीं किया गया था जोकि एक गम्भीर अनियमितता है। उक्त के सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्याः अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एसके–एसओ/स्टेट ऑडिट–2022–23–129 दिनाँक 01.10.2022 के प्रत्युतर में संस्था द्वारा अंकेक्षण के दौरान चर्चा में आश्वस्त किया गया कि वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही से

आगामी अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। अतः वर्णित अनियमितता का नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा इस प्रकार के अन्य प्रकरणों की जाँच/गणना संस्था स्तर पर सुनिश्चित करके सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाये अन्यथा सम्बन्धित उचित स्त्रोत से राशि की वसूली करके हिमुडा निधि में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

32 **सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त किये बिना ही विभिन्न निर्माण कार्यों मदों को अनुबन्ध प्रमात्रा से अधिक कार्य निष्पादन करने (Deviation) के कारण संविदाकारों को ₹25.86 लाख का अनियमित/अधिक भुगतान करना**

निर्माण मण्डल के व्यय की विस्तृत जाँच हेतु चयनित माह 03/2021 व 07/2021 के विभिन्न निर्माण कार्य के अंकेक्षण में पाया गया कि निर्माण कार्यों के आबंटन पत्र की शर्त संख्याः 1 में स्पष्ट किया गया था कि "The nomenclature and unit of the items referred to above will be as per approved DNIT No extra/Substitute items and deviation will be allowed without prior approval on the Competent Authority" तथा शर्त संख्याः 12 में भी निर्देशित किया गया है कि "No deviation is permissible at site without prior approval on the Competent Authority" परन्तु वर्णित निर्माण कार्यों में अधिकतर मदों पर अनुबन्ध प्रपत्र में निर्धारित प्रमात्रा की अपेक्षा अत्यधिक कार्य मात्रा का निष्पादन एवं भुगतान किया गया था। इन मदों की अधिक निष्पादित की गई कार्य प्रमात्रा हेतु सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति भी प्राप्त नहीं की गई थी जिसके परिणामस्वरूप इन मदों पर यथा **परिशिष्ट–"ढ–2" अनुसार ₹2586394.18** का अधिक व्यय/भुगतान किया जा चुका था, जो कि अनुबन्ध की शर्तों के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित ही नहीं अपितु एक गम्भीर अनियमितता है। उक्त के सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एसके–एसओ/स्टेट ऑडिट–2022–23–144 दिनाँक 21.10.2022 के प्रत्युतर में संस्था द्वारा अंकेक्षण के दौरान चर्चा में आश्वस्त किया गया कि वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। अतः संविदाकार को अनुबन्ध प्रपत्र में निर्धारित प्रमात्रा से अधिक निष्पादित मात्रा का सक्षम अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त किये बिना किये गये अनियमित भुगतान का तथ्यों सहित नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा इस प्रकार के अन्य प्रकरणों की जाँच संस्था स्तर पर सुनिश्चित करके इन मदों पर किए गए अनियमित व्यय को सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से नियमित करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा नियमानुसार अनियमित व अधिक भुगतान की प्रतिपूर्ति उचित स्त्रोत से करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

33 **निर्माण कार्य बिल में निष्पादित अतिरिक्त मद (Extra item) की सक्षम अधिकारी से पूर्व स्वीकृति/अनुमोदन के बिना ही संविदाकार को ₹0.94 लाख का अनियमित भुगतान करना।**

निर्माण मण्डल के व्यय की विस्तृत जाँच हेतु चयनित माह 03/2021 व 07/2021 के अंकेक्षण में पाया गया कि संस्था द्वारा सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त किये बिना ही निम्नविवरणानुसार इन मदों पर **₹93590.72** का अधिक व्यय/भुगतान किया जा चुका था जो कि अनुबन्ध की शर्तों के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित ही नहीं अपितु एक गम्भीर अनियमितता है। अंकेक्षण के दौरान विभिन्न निर्माण कार्यों में निष्पादित की गई अतिरिक्त मदों का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

HC at Basal, Ph-II, C/o road at HC Basal, Phase-II Solan. Name of Cont. / 3rd running Bill. (Above 80.93%)								
Name of Contractor			**Sh. Ujjagar Singh Tomar, Govt. Cont./ Agr. No. 07 of 2019-20, Vr. No. 56 dt. 19-01-2022/ MB No. 978**					
Execution of extra items without prior sanction of the competent authority.								
S. N.	**Extra Item**	**Item Description (As per Schedule of Quantity)**	**Qty Executed**	**Unit**	**Rate Fixed**	**Rate Paid**	**MB No. 2435 (Page)**	**Amount**
1	E1	P/L CC 1:4:8 with 15 % plum and curing complete including cost of form work for plain reinforced concrete in retaining wall, brestwall etc.	10.72	cum	4178.05	4178.05	78	44788.70
Special repair of Residential flats of the excise & taxation department, Phase-I, Solan								
Name of Contractor			**Sh. Harinder Verma, Govt. Cont./ Agr. No. 06 of 2020-21, Vr. No. 120 dt. 30-10-2020/ MB No. 895**					
Execution of extra items without prior sanction of the competent authority.								
S. N.	**Extra Item**	**Item Description (As per Schedule of Quantity)**	**Qty Executed**	**Unit**	**Rate Fixed**	**Rate Paid**	**MB No. 895 (Page)**	**Amount**
1	E1	P/F digital glazed tile i/c border whereever required 6mm thick of any size and any color as pe sample approved etc.	57.39	sqm	1118.23	820.00	68	47059.80
1	E1	Providing chases 75mm wide 50 mm deep (avg. size in wall for canduit pipeand filling the same with CC 1:3:6 etc.	41.72	Rmt	55.69	41.76	69	1742.23
Total			99.11			861.76		48802.03
G/total			**109.83**					**93590.72**

उक्त के सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एसके–एसओ/स्टेट ऑडिट–2022–23–144 दिनाँक 21.10.2022 के प्रत्युतर में संस्था द्वारा अंकेक्षण के दौरान चर्चा में आश्वस्त किया गया कि वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। अतः वर्णित अनियमितता का नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा इस प्रकार के अन्य प्रकरणों की जाँच/गणना संस्था स्तर पर सुनिश्चित करके सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाये अन्यथा किए गए अधिक/अनियमित भुगतान की वसूली उचित स्त्रोत से करके मण्डल निधि में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

34 संविदाकारों को जारी सीमेंट व स्टील ₹32.69 लाख की वसूली/समायोजन न करना

हिमुडा मण्डल नाहन के कॉन्ट्रेक्टर लैजर **(Contractor Ledger)** के अंकेक्षण में पाया गया कि संस्था द्वारा समय–समय पर विविध निर्माण कार्य हेतु जारी सीमेंट व स्टील की वसूली लगभग 15 से 20 माह पश्चात् तक भी नहीं कि गई थी जोकि नियमों के प्रतिकूल होने के कारण एक गम्भीर अनियमितता है। कॉन्ट्रेक्टर लैजर **(Contractor Ledger)** में अंकेक्षण के दौरान निम्न अनियमितताएं पाई गई।

1. ईन्डेन्ट **(Indent)** में जारी की गई मात्रा को कॉन्ट्रेक्टर लैजर **(Contractor Ledger)** में नियमानुसार दर्ज नहीं किया गया था उदाहरण स्वरूपः–

   Indent No. 4276 Issue date 24-11-2017 Cement issued 382 bags.
   Indent No. 4277 Issue date 24-11-2017 Cement issued 200 bags.
   Indent No. 4275 Issue date 24-12-2017 Cement issued 200 bags.
   Indent No. 1991 Issue date 06-12-2017 Cement issued 80 bags.
   Indent No. 4280 Issue date 12-12-2017 Cement issued 300 bags.
   Indent No. 4278 Issue date 18-12-2017 Cement issued 200 bags.
   Indent No. 4279 Issue date 21-12-2017 Steel/TMT Bar 12mm issued 96.40 Qtls.
   Indent No. 4272 Issue date 21-12-2017 Steel/TMT Bar 12,16,20 mm issued 92.70 Qtls.

2. कॉन्ट्रेक्टर लैजर **(Contractor Ledger)** को सक्षम अधिकारी द्वारा नियमानुसार सत्यापित नहीं किया गया था।
3. कॉन्ट्रेक्टर लैजर **(Contractor Ledger)** के अन्तर्गत विविध संविदाकारों को जारी की गई सामग्री सीमेंट व स्टील की वसूली नियमानुसार नहीं की गई थी।
4. ईन्डेन्ट **(Indent),** बिन कार्ड **(Bin Card),** कॉन्ट्रेक्टर लैजर **(Contractor Ledger)** में कटिंग व ओवरराईटिंग की गई थी जिसे सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित भी नहीं किया गया था।

   हिमुडा मण्डल नाहन संस्था द्वारा समय–समय पर विविध निर्माण कार्य हेतु जारी सीमेंट व स्टील की अधिक मात्रा जारी करने व नियमानुसार वसूली हेतु शेष सामग्री के कुछ प्रकरणों का विवरण निम्न प्रकार से है।

Note:- As per the general standard or instruction given in the cement bag the cement has been instructed best before three months from date of packing, cement to be tested before use if more than three months old from date of packing.							
As per HPPWD Form GENERAL SPECIFICATIONS AND CONDITIONS No. 19:- Recovery of damaged materials due to defective storage of material issued by the department will be recovered from the contractor at double the issued rate. No claim on this account shall be entertained.							
Sr. No.	**Contractor Ledger & Page No**	**Name of Work**	**Name of Contractor**	**Agreement No.**	**Cement/ Steel Issued**	**Recoved**	**Amount Recoverable**
1	VII-112,113	C/o Staff Quarter PCB Shubh Khera, Paonta SH: 3Nos Type-I,II & III staff Quarter at PCB Shubh Khera	Sh. Yogesh Kumar, Govt. COntractro	19 of 2017-2018	Steel Issued up to 05-01-2018 = 515.98 Qtls	513.65 Qtls	=21599.10 (2.33 x 9270) (4500 + 3% x 2 = 9270)
2	II-10	C/o H/C at Trilokpur, SH: C/o counter front wall along green space near electri. Panel Room etc.	Sh. Jeet Singh Thakur, Govt. Cont.	01 of 2018-2019	Cement Issued up to 10-01-2019 =5096 bags	4695 bags	=232948.92 (401 x 580.92) (282 + 3% x 2 = 580.92)
					Steel Issued up to 28-12-2018 = 476.13 Qtls	362.43 Qtls	=1171110.00 (113.70 x 10300) (5000 + 3% x 2 = 10300)
3	II-15	C/o Nutrition lab at Nahan Medical College.	Sh. Mitter Singh, Govt. Cont.	31 of 2018-2019	Cement Issued up to 14-01-2020 =1700 bags	1134 bags	=334630.52 (566 x 591.92) (287 + 3% x 2 = 591.22)
4	II-12	C/o H/C at Trilokpur, CSH: C/o R/wall & P/wall for STP tank.	Sh. Jeet Singh Thakur, Govt. Cont.	25 of 2018-2019	Cement Issued up to 29-09-2018 =1150 bags	00 bags	=680708.00 (1150 x 591.92) (287 + 3% x 2 = 591.22)
5	II-29	C/o H/C at Trilokpur, CSH: C/o R/wall near STP-I.	Sh. Mitter Singh, Govt. Cont.	Not Mentioned	Cement Issued up to 26-06-2019 =1000 bags	00 bags	=591220.00 (1000 x 591.92) (287 + 3% x 2 = 591.22)
6	II-31	C/o HC Moginand SH: C/o 2 Nos RWH pits etc.	Sh. Deepak Kumar, Govt. Cont.	45 of 2018-2019	Cement Issued up to 29-08-2019 =170 bags	164 bags	=3547.32 (6 x 591.92) (287 + 3% x 2 = 591.22)
7	II-34	C/o HC Jarja Nahan SH:P/F RCC Burji HIMUDA Colony Jarja	Sh. Manoj Kumar, Govt. Cont.	08 of 2019-2020	Cement Issued up to 23-07-2019 =20 bags	00 bags	=11824.40 (20 x 591.92) (287 + 3% x 2 = 591.22)
8	II-36	C/o Nutrition lab at Nahan Medical College.	Sh. Khajan Singh, Govt. Contractor	Not Mentioned	Steel Issued up to 14-01-2020 = 10.30 Qtls	5.75 Qtls	=54363.40 (4.55 x 11948) (5800 + 3% x 2 = 11948)

9	II-37	C/o Model Central Jail Nahan	Sh. Jeet Singh Thakur, Govt. Cont.	37 of 2019-2020	Cement Issued up to 28-05-2020 =220 bags	00 bags	=135960.00 (220 x 618) (300 + 3% x 2 = 618)
10	II-38	C/o Model Central Jail Hospital Nahan	Sh. Jeet Singh Thakur, Govt. Cont.	39 of 2019-2020	Cement Issued up to 29-05-2020 =50 bags	00 bags	=30900.00 (50 x 618) (300 + 3% x 2 = 618)
G/Total							**3268811.66**

उपरोक्त से यह स्पष्ट है की संस्था द्वारा निष्पादित निर्माण कार्य को नियमानुसार निष्पादित नहीं किया गया था जोकि एक गम्भीर अनियमितता है। उक्त के सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एसके–एसओ/स्टेट ऑडिट–2022–23–129 दिनाँक 01.10.2022 के प्रत्युतर में संस्था द्वारा अंकेक्षण के दौरान चर्चा में आश्वस्त किया गया कि वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। अतः वर्णित अनियमितता का नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा इस प्रकार के अन्य प्रकरणों की जाँच/गणना संस्था स्तर पर सुनिश्चित करके किसी प्रकार की अनियमितता की स्थिति में सम्बन्धित उचित स्त्रोत से राशि की वसूली करके हिमुडा निधि में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

35 निर्माण कार्य के उद्घाटन एवं विविध परिहार्य कार्य पर ₹2.73 लाख का अनियमित व्यय करना

CPWD Works Manual 2014 के Section 6.3(1) के अनुसार "1) (Expenditure on inauguration) In case of foundation stone laying or opening ceremonies of Government projects/works, the expenditure should be restricted to items like foundation stone, erection and hire of pandals, lighting arrangements, light refreshments such as tea, coffee or cold drinks and other incidental items. The Director General/Additional Directors General/Chief Engineers are delegated powers to sanction such expenditure upto a limit given in Appendix-1 on each occasion. This expenditure shall be met from the contingent grant of the Establishments concerned, as the case may be. (2) In respect of deposit works, such expenditure shall be incurred with the approval of the client.".

Appendix-1 (9 a)	Accord of sanction to expenditure on ceremonies connected with laying of foundation stone and opening of public buildings.	CE 25,000 ADG 1 lac Spl. DG 2 lac DG 5 lac
(b)	Accord of sanction to miscellaneous expenditure on light refreshments during formal inter departmental meeting and other meetings or conferences related to works subject to general instructions issued by the Finance Ministry from time to time	DG Full Powers in consultation with financial advisor of Ministry/Department

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निर्माण मण्डल द्वारा विभिन्न निर्माण कार्यों के शिलान्यासों एवं उद्घाटनों पर हि0 प्र0 वित्तीय नियमावली 2009 के नियम 10 व हि0 प्र0 सरकार के वित विभाग के पत्र संख्याः फिन–1 सी0 14–1/83 दिनांक 06.09.1995 तथा फिन–1 सी0 14–1/92–II दिनाँक 14.06.2001 द्वारा जारी मितव्ययता सम्बन्धी दिशा निर्देशों की अवहेलना करके विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन पर अत्यधिक परिहार्य व्यय किया गया था। उपरोक्त के अतिरिक्त निम्न वर्णित पत्र के अनुसार अपेक्षित पूर्व अनुमति से ही इस प्रकार के व्यय निर्माण मण्डल द्वारा किये जाने अपेक्षित थे, परन्तु अंकेक्षण में इन सभी व्ययों की जाँच करने पर पाया गया कि सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति नहीं ली गई थी जिसे संस्था की निधि पर वैध प्रभार नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार के कुछ व्ययों का विवरण निम्न प्रकार से है।

Vide CEO-Cum secretary letter No. HIMUDA/Accounts-22/95(Del of Powers)-Vol-V 33833-39 Dated 31-10-2014 (the delegation of power approved by the board of Director HIMUDA vide item No.32(37) in 32nd meeting held on 22-07-2014 and further approval accorded by the Himachal Pradesh Govt. vide letter No. HSG-C(15)-1/2014 dt. 29-10-2014), the revised/enhanced power of was as under:- **Sr. No. 15 For foundation Stone and opening of Boards buildings etc. Board =Full Power, Chairman= Rs. 50,000 and CEO-cum-Secretary= Rs. 25,000.**				
Name of Work/Purpose	**Sanctioned By**	**Detail of Exp.**	**Voucher No & Date/ Bill No. & Date**	**Amount**
1100 Nos Lunch on foundation stone ceremony of C/o Jogindra Central Co-Op Bank Ltd. Building at Solan H.P.	Superintending Engineer (S), HIMUDA, Kasumpti Shimla-09 vide letter No. HIMUDA:15-20/75-SE(S)-Vol-VIII-411 dt. 17-03-2021	Foundation Stone Ceremony. (Paid to M/S Ramesh Catering Service, New Bus Stand Solan on A/C of 1100 Nos Lunch).	86/31-03-2021 511/07-03-2021	220000
	Not obtained	M/s Sun Flowers, The Mall Solan, Purchases of flower, on the occation of Foundation Stone	0770/07-03-2021	1350
	Not obtained	M/s Mehar Chand Goods Carrier, Basal Solan, Carriage charges of pipes etc. for Gate of foundation stone of HP State Co-Op. Bank Solan.	0770/07-03-2021	1800
	Not obtained	Sh. Jaidev, Chambaghat Solan, Cutting of Bushes, on the occation of Foundation Stone.	Nil/06-03-2021	2000
	Not obtained	Sh. Deepak Kumar, Basal Solan, Cutting of Bushes, on the occation of Foundation Stone.	Nil/06-03-2021	1500
C/o H.P. State Co-Operative Bank Ltd. Building at Nahan, Distt. Sirmour, H.P.	Vide Chief Accounts Officer, HIMUDA, Nigam Vihar, Shimla-02, letter No. HP/HIMUDA/Acctt.-Hp-	Paid to M/s Renovator SCO 822, NAC Manimajra, Kalka Road (U.T.) Chandigarh on A/C of Inauguration Plate	28/06-11-2017 114/18-08-2017	31860

including internal water supply, sanitary installation and Development of site, Rain Water Harvesting Tank and Septic Tank.	Coop/2017/-19304-05 Dt. 28-10-2017			
C/o GSSS Rohanat Block Shillai.	Not obtained	Paid to M/s Manuj Arts, Lakkar Bazar Solan, on A/C of Inauguration Plate	70/23-07-2019 0079/08-07-2019	14750
Total				**273260**

अतः वर्णित नियमों व हि0प्र0 सरकार द्वारा विभागों में अपनाई जाने वाली मितव्ययता सम्बन्धी आदेशों की अनुपालना न करने का या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए इसे उच्च प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए अन्यथा इस प्रकार की मदों पर किए गए अनियमित व्ययों की वसूली उचित स्त्रोत से सुनिश्चित करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

36 विविध मदों पर सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना ₹7.17 लाख का अनियमित व्यय करना

हिमुडा मण्डल नाहन के अंकेक्षण अवधि 04/2020 से 03/2022 के व्यय की विस्तृत जॉच हेतु चयनित माह 10/2020 व 01/2022 के अंकेक्षण में पाया गया कि विभिन्न मदों पर सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना अनियमित व्यय किया गया था। अंकेक्षण अवधि में पाये गये इस प्रकार के व्यय का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है।

1. चिकित्सा दावों का भुगतान सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन/स्वीकृति के बिना किया गया था।
2. कुछ प्रकरणों में विज्ञापन एवं शिलान्यास ईत्यादि पर सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन/स्वीकृति के बिना किया गया था।
3. मुरम्मत एवं रखरखाव पर सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन/स्वीकृति के बिना किया गया था।
4. निम्न प्रकरणों में क्रय की गई सामग्री व निष्पादित कार्य हेतु अपेक्षित मदों पर बिना कुटेशन व निविदा के ही व्यय किया गया था।
5. क्रय सामग्री को स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टियो को दर्ज किये बिना ही उपयोग किया गया था।

अंकेक्षण अवधि के दौरान पाये गये इस प्रकार के कुछ प्रकरणों का विवरण निम्न प्रकार से है।

Statement showing the detail of irregular/unauthorised expenditure
Vide CEO-Cum secretary letter No. HIMUDA/Accounts-22/95(Del of Powers)-Vol-V 33833-39 Dated 31-10-2014 (the delegation of power approved by the board of Director HIMUDA vide item No.32(37) in 32nd meeting held on 22-07-2014 and further approval accorded by the Himachal Pradesh Govt. vide letter No. HSG-C(15)-1/2014 dt. 29-10-2014), the revised/enhanced power of EE was as under:- Sr. No. 4 (iv) For local purchase through quotations Rs. 10,000 per annum. Sr. No. 9 Medical reimbursement claim above 5000 shall be countersigned from the CEO-cum-Secretary. Sr. No.10. For purchase of Office Machine and equipment Rs. 5,000 /- Sr. No.11. For repair & maintenance of office machine and equipments Rs. 2000 per item.

Sr. No.15. For Laying of foundation stone and opening of Boards building etc. CEO Rs 25000, Chairman Rs 50000 and Board have full powers). Sr. No-17. For Advertisement Rs 5000 per job at a time, Sr. No. 24 for Printing Works- 2000 in each case, Sr. No. 27. For Purchase of Stationery -5000 in each case (If purchase from printing and stationery deptt.) and Rs. 2000 in each case (If purchase from open market).						
Sr. No	**Name of Employee**	**Vr. No**	**Bill/Vr. No./Date**	**Name of Suppliers**	**Name of Expenditure**	**Amount**
1	Sh. Harish Chander Bhatt.	02/01-10-2020	HAP-0456/11-03-2020	M/s Mukesh Medicos, The Mall Solan	Medical Bill	7600
2	NA	81/ 21-10-2020	509/28-08-2020	M/S S.A. Traders, Near Ranital Nahan	Repair and Maintenance of Printer	4364
			526/19-09-2020	M/S S.A. Traders, Near Ranital Nahan	Repair and Maintenance of Printer	2387
3	NA	82/ 21-10-2020	11608/ 25-06-2020	M/s Surinder Electric General Store, The Mall Nahan	Repair and Maintenance	4508
4	NA	90/27-10-2020	210 Dt. 17-09-2020	M/S Chandigarh Printech Solution, Gunnu Ghat, Nahan	Repair and Maintenance of Printer	14632
		92/ 29-10-2020	205/27-10-2020	M/S Prize Land, 302 Ind Area Phase-II, Chandigarh	Metal 7" Ovel salver Trophy	1680
5	NA	23/04-01-2022	Letter No.JCCB/Estt/H.O. Bldg. File/8919-20 dt. 30-12-2021	Shifting of 3 LT Line crossing over the plot of Jogindra Bank Near Shivalik Bimetals from 100 KVA Sub Station HRTC in (E) Section Chambaghat.		129090
6	Office Veh No. HP03C-0030	26/Nil	3223/ 9-12-2021 to 30-12-2021	M/S Sahotra HP Centre, Hindustan Prtrolium ltd. Nahan.	Purchase of Diesel for office Vehicle during 12/2021 (198 ltrs in a month)	15848
		75/27-01-2022	228/15-12-2021	M/S C.R. Electrical Service, Chambaghat Solan	Repair and Maintenance	30503
7	Office Veh No. HP03C-0030	37/09-03-2021	2455/ 9-02-2021 to 24-02-2021	M/S Sahotra HP Centre, Hindustan Prtrolium ltd. Nahan.	Purchase of Diesel for office Vehicle during 02/2021 (200 ltrs in a month)	15675
8	NA	39/09-03-2021	34,44/25-06-2020	Sr. Editor Giriraj Weekly	Advertisemnet	9272
		40/09-03-2021	326,285/12-12-2020	Sr. Editor Giriraj Weekly	Advertisemnet	9252
9	NA	45/15-03-2021	3791/11-08-2020	M/S Bannett, Coleman & Co. Ltd. Cart Road Shimla	Advertisemnet	11259
10	NA	47/16-03-2021	5028/07-08-2020	Amar Ujala Ltd.	Advertisemnet	74347
		49/16-03-2021	502/26-02-2021	Sr. Editor Giriraj Weekly	Advertisemnet	6300
11	Office Veh No. HP03C-0030	63/24-03-2021	1786/19-03-2021	M/S Janta tyre and service, Kala Amb Road Naraingarh	Repair and Maintenance	26000
12	NA	86/Nil	511/07-03-2021	M/S Ramesh Catering Service, New Bus Stand Solan.	1100 No,s Lunch on foundation stone ceremony of Jogindra Central Co-Op Bank	220000

13	Office Veh No. HP03C-0030	33/04-12-2021	3164/10-11-2021 to 30-11-2021	M/S Sahotra HP Centre, Hindustan Prtrolium ltd. Nahan.	Purchase of Diesel for office Vehicle during 11/2021 (287 ltrs in a month)	22971
14	NA	89/28-12-2021	331,337,357,363,365,377 Dt. 8 & 27-09-2021, 2-11-21, 2,3 & 13-12-2021	M/S Chandigarh Printech Solution, Gunnu Ghat, Nahan	Repair and Maintenance of Printer	13345
15	NA	89/28-12-2021	307,306 Dt. 23-07-2021	M/S Chandigarh Printech Solution, Gunnu Ghat, Nahan	Repair and Maintenance of Printer	6372
16	NA	Vr. 31 dt. 08-10-2020	Sanction by XEN Nahan letter No. HIMUDA/ ND/CB/S-4-2018/1240-41,582-83 &1238-39 dt. 06-10-2020, 13-10-2020	Sh. Mohinder Verma, Govt. Cont.	AR & MO HC at Basal, Phase-I Solan.	92025
	Total					**₹717430**

अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एसके–एसओ/स्टेट ऑडिट–2022–23–139 दिनाँक 15.10.2022 द्वारा वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में वस्तु स्थिति स्पष्ट करने बारे कहा गया था परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक संस्था द्वारा कोई भी उतर अंकेक्षण दल को प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकार सक्षम अधिकारी की स्वीकृति/अनुमोदन के बिना व्यय करना नियमों के प्रतिकूल होने के कारण आपत्तिजनक ही नहीं अपितु एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता भी है। अतः वर्णित अनियमितताओं का नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा सम्बन्धित उचित स्त्रोत से राशि की वसूली करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये तथा यह प्रकरण संस्थाध्यक्ष के विशेष ध्यानार्थ इस प्रकार के अन्य प्रकरणों की जॉच व नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही हेतु लाया जाता है ताकि किसी प्रकार की वितीय अनियमितता की संभावना को नकारा जा सके।

37 सहायक अभियन्ता को जारी अग्रिम ₹0.81 लाख का अनियमित समायोजन करना

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि हिमुडा मण्डल नाहन द्वारा उप–मण्डल नाहन व सोलन को समय–समय पर विविध प्रयोजन हेतु अग्रिम प्रदान किया गया था तथा उप–मण्डल नाहन व सोलन द्वारा बिल/वाउचर के माध्यम से अग्रिम राशि को समायोजित किया गया था परन्तु समायोजन वाउचर में अंकेक्षण के दौरान निम्न अनियमितताएं पाई गई।

1. सहायक अभियन्ता द्वारा निम्न वर्णित पत्र अनुसार निर्धारित सीमा से अधिक व्यय सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना किया गया था।

2. समायोजित व्यय वाउचर/बिल में वर्णित मुरम्मत व्यय Repair of water line के सन्दर्भ में कोई भी शिकायत पत्र व शिकायत रजिस्टर संधारित नहीं किया गया था और न ही किसी आबंटि से प्राप्त Complaint letter व्यय वाउचर के साथ संलग्न पाया गया।
3. फॉउडेशन स्टोन (Foundation Stone) पर किये गये व्यय को व्यय बिल/वाउचर के माध्यम से अनियमित रूप से व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना समायोजित किया गया था।
4. निम्न प्रकरणों में क्रय की गई सामग्री व निष्पादित कार्य हेतु अपेक्षित मदों पर बिना कुटेशन व निविदा के ही व्यय किया गया था।
5. क्रय सामग्री को स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टियो को दर्ज किये बिना ही उपयोग किया गया था।
6. निविदा/कुटेशन से परिहार करके क्रय किया गया था तथा स्टेशनरी व प्रिटिंग व रिपेयर व्यय को पीस–मील में क्रय किया गया था।
7. निविदा/कुटेशन से परिहार करके कुछ मदों पर पीस–मील क्रय करके अग्रिम का समायोजन किया गया था।
8. निम्न सारणी के क्रम संख्या: 8,9,10, 18 & 20 to 23 के अन्तर्गत ₹9200 अग्रिम से व्यय किया गया था परन्तु वर्णित कार्य को संविदाकार को भी आबंटित किया गया था जोकि एक ही कार्य के लिये दोहरे भुगतान को दर्शाता है।

अंकेक्षण अवधि के दौरान पाये गये इस प्रकार के कुछ प्रकरणों का विवरण निम्न प्रकार से है।

Statement showing the detail of irregular/unauthorised expenditure adjusted against advances

Vide CEO-Cum secretary letter No. HIMUDA/Accounts-22/95(Del of Powers)-Vol-V 33833-39 Dated 31-10-2014 (the delegation of power approved by the board of Director HIMUDA vide item No.32(37) in 32nd meeting held on 22-07-2014 and further approval accorded by the Himachal Pradesh Govt. vide letter No. HSG-C(15)-1/2014 dt. 29-10-2014), the revised/enhanced power of AE was as under:-
Sr. No. 4 (iv) For local purchase through quotations the revised/enhanced power of AE was Rs. 500 per item with ceiling of Rs. 5000 per annum
Serial No. 11 For repair & maintenance of office machine and equipments the revised/enhanced power of AE was Rs. 1000 per item,
Sr. No.15. For Laying of foundation stone and opening of Boards building etc. CEO Rs 25000, Chairman Rs 50000 and Board have full powers).
Sr.No-17. For Advertisement –Nil, Sr. No. 24 for Printing Works- Nil, Sr. No. 27 For Purchase of Stationery -Nil

Sr. No	Name of Employee	Designation	Bill/Vr. No./Date	Name of Suppliers	Name of Expenditure	Amount
1	Sh. BR Raghuvanshi	AE, Nahan Sub-Division	01/ 30-06-2020	Through Muster Roll	Cutting of bushes in H.C. Jarja, Nahan.	22000
2	Jr. 04/ 07-2020		3972/ 09-07-2020	M/s Vaid Pharmacy, The mall Nahan	Purchase of Sanitizer	750
3			1859/ 17-06-2020	M/s Suraj Bhan Om Prakash, Gunnu Ghat Nahan	Purchase of Hand Wash, Broom etc.	677
4			918/17-06-2020	Mangat Ram & Sons, Nahan.	Purchase of Hand Wash, Soap etc.	822
5			08/ 28-05-2020	Hand receipt, Sh. Subhas Kumar, Moginand, Nahan	Painting of park railing etc. at Moginand.	1000
6			Nil/ 20-03-2020	M/s Readers Paradise, The Mall Nahan	Advertising Exp.	700
7			492/ 28-04-2020	Sh. Dharam Pal, Plumber, Vill Moginand, Nahan	Repair of water line, HC Moginand	1400
	Total					**27349**

8	Sh. Sahil Dhiman. Jr. 05/ 10-2020	AE, Solan Sub-Division	04/ 06-10-2020	Hand receipt, Sh. Altaf, Chambaghat Solan	Repair of water supply Basal Road	1200
9	Note:- The work of A/R & M/O of WSS and SWS of Basal colony was also awarded vide No. letter No. HIMUDA(DB) A/R&MO/ Nahan/2019-Vol-II-892 dt. 16-07-2020 for one year hence exp. adjusted out of imprest vide Sr. No. 8,9 & 20 to 23 not justified.		05/ 05-10-2020	Hand receipt, Sh. Altaf, Chambaghat Solan	Repair of water supply Basal Road	1850
10			GS 48/ 12-09-2020	Sh. Gurvinder Singh, JCB Work.	Excavation at site for dustbin, HC Basal	1425
11			GS 47/ 12-09-2020	Sh. Gurvinder Singh, JCB Work.	Excavation at site for dustbin, HC Basal	1900
12			2165 to 2168/ 7-10-2020	M/S Sai Copy Centre, The Mall Nahan	Photostate	1920
13			Nil/13-10-2020	M/s Laxminarayan Bansal, Saproon Solan.	Surf Excel, Finael, Harpic etc.	527
14			170/ 13-10-2020	M/s Bansal Book Depot, The Mall Solan	Stationery	810
15			0238/ 16-10-2020	M/s Vinay road line Goods Carrier, Basal, Solan	Disposal of earth/malva from HC Basal	2000
	Total					**11632**
16	Sh. Sahil Dhiman.	AE, Solan Sub-Division	5/03-12-2021	Hand Receipt/ Sh. Manu Ram, Vill. Kathed, Solan	Repair of water Supply, HC Basal	1600
17	Jr. 13/ 01-2022		19171/ 17-01-2022	M/s Minerva Book House The Mall Shimla.	HPPWD Schedule 2020	1495
18			0005/01-12-2021	Sh. Harinder Verma Govt. Cont.	C/o Brick Masonary manhole at HC Basal	7650
	Total					**10745**
19	Sh. Sahil Dhiman., Jr. 03/ 03-2021	AE, Solan Sub-Division	Nil/11-02-2021	Sh. Naseem Ali, Solan	Repair of water line near Mohan Park Solan	1200
20	Note:- The work of A/R & M/O of WSS and SWS of Basal colony was also awarded vide No. letter No. HIMUDA(DB) A/R&MO/ Nahan/2019-Vol-II-892 dt. 16-07-2020 for one year hence exp. adjusted out of imprest vide Sr. No. 8,9 & 20 to 23 not justified.		Nil/12-02-2021	Sh. Inayat Khan Chambaghat, Solan	Repair of water line Basal, Solan	2000
21			Nil/12-02-2021	Sh. Sunder Singh Chambaghat, Solan	Repair of water line Basal, Solan	950
22			Nil/11-02-2021	Sh. Sita Ram Solan	Repair of water line Basal, Solan	1600
23			Nil/11-02-2021	Sh. Shyam Bahadur, Chambaghat, Solan	Repair of water line Basal, Solan	1600
24			1445/12-02-2021	M/s Johri Lal Bandi Dhar, The Mall Solan	Repair of water line Basal, Union, Plug Etc.	872
25			0905/02-03-2021	M/s Himachal Trading Co., Solan	Repair of F-1, Block No-25, OBD, White Paint	1915

26			Nil/06-03-2021	Sh. Santosh Kumar, Saproon Solan	Painting of Flate No-25	1950
27			1334/6-03-2021	M/s M.S. Steel Works, Solan	Purchase of angle frame	1196
28			787/6-03-2021	M/s Suri Printers, Solan	Purchase of angle Banners	1500
29			Nil/06-03-2021	Sh. Vinod Kumar, Basal, Solan	Repair of F-1, Block No-25, OBD	900
30			Nil/06-03-2021	Sh. Ram Kripa, Saproon, Solan	Repair of F-1, Block No-25, OBD	1990
31			0770/07-03-2021	M/s Sun Flowers, The Mall Solan	Purchases of flower, on the occation of Foundation Stone	1350
32			0770/07-03-2021	M/s Mehar Chand Goods Carrier, Basal Solan	Carriage charges of pipes etc. for Gate of foundation stone of HP State Co-Op. Bank Solan.	1800
33			Nil/06-03-2021	Sh. Jaidev, Chambaghat Solan	Cutting of Bushes, on the occation of Foundation Stone.	2000
34			Nil/06-03-2021	Sh. Deepak Kumar, Basal Solan	Cutting of Bushes, on the occation of Foundation Stone.	1500
35			Nil/10-03-2021	Sh. Deepak Kumar, Basal Solan	Cutting of Bushes at the site of TCP office Patti Kathed, Solan.	1000
36			Nil/10-03-2021	Sh. Jai Dev, Chambaghat, Solan	Cutting of Bushes at the site of TCP office Patti Kathed, Solan.	1000
37			2750, 2770, 2788/ 10,15 and 17-03-21	M/s Sai copy centre, The Mall Solan	Cutting of Bushes, on the occation of Foundation Stone.	1330
38			1213/ 17-03-21	M/s Raj Book Depot, The Mall Solan	Plotter tracing paper	1650
39			0194/ 25-03-21	M/s Satkar Sanitary Engineer, Deonghat Solan	Purchases of Union	2040
	Total					**31343**
	G/Total					**₹81069**

अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एसके—एसओ/स्टेट ऑडिट—2022—23—139 दिनाँक 15.10.2022 द्वारा वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में वस्तु स्थिति स्पष्ट करने बारे कहा गया था परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक संस्था द्वारा कोई भी उतर अंकेक्षण दल को प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकार प्रदत अग्रिम का अनियमित रूप से समायोजन किया जाना नियमों के प्रतिकूल होने के कारण आपत्तिजनक ही नहीं अपितु एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता भी है। अतः अनियमित रूप से समायोजित राशि का नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा सम्बन्धित उचित स्त्रोत से राशि की वसूली करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये तथा यह प्रकरण संस्थाध्यक्ष

के विशेष ध्यानार्थ इस प्रकार के अन्य प्रकरणों की जाँच व नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही हेतु लाया जाता है ताकि किसी प्रकार की वितीय अनियमितता की संभावना को नकारा जा सके।

38 Labour Cess ₹0.51 लाख को सम्बन्धित विभाग/बोर्ड में जमा न करवाना

Rule 15(III) of HP Building & other Construction Workers Rules 2008 read with Section 3 of Building & other construction workers cess act, 1996 के अनुसार "The Transfer of proceeds of the cess to the Board with in thirty days of its collection". अर्थात संविदाकार के चलित बिल से कटौती की गई लेबर सैस की राशि को कटौती करने से 30 दिन भीतर HP Building & other construction workers welfare board में जमा करवाया जाना अपेक्षित है। खाताबही–II, पृष्ठ 91–94 में लेखांकित वर्ष 2021–22 के लेबर सैस की जाँच में पाया गया कि संविदाकार के बिलों से की गई कटौती ₹50654.00 को HP Building & other Construction Workers Welfare Board में दिनाँक 31.3.2022 तक अर्थात निर्धारित 30 दिन के भीतर नियमानुसार जमा नहीं करवाया गया था। इस प्रकार संविदाकारों के चलित बिलों से लेबर सैस की राशि की कटौती करके सम्बन्धित विभाग में जमा न करवाया जाना आपत्तिजनक ही नहीं अपितु एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता भी है। अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एसके–एसओ/स्टेट ऑडिट–2022–23–139 दिनाँक 15.10.2022 द्वारा वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में वस्तु स्थिति स्पष्ट करने बारे कहा गया था परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक संस्था द्वारा कोई भी उतर अंकेक्षण दल को प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः लेबर सैस की ₹50654.00 को सम्बन्धित विभाग में जमा न करवाए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा कटौती की गई लेबर सैस की राशि को अविलम्ब सम्बन्धित विभाग में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये ताकि किसी प्रकार की दण्डात्मक कार्यवाही को नकारा जा सके।

39 संविदाकारों के निर्माण कार्यों बिलों से काटे गए वस्तु एवं सेवाकर, बिक्री कर, आयकर, श्रमकर व रॉयल्टी ₹6.40 लाख को सम्बन्धित विभाग में जमा न करना

विस्तृत अंकेक्षण हेतु चयनित निर्माण कार्यों बिलों व उपलब्ध करवाए गए वैधानिक कटौतियों से सम्बन्धित अभिलेख के अंकेक्षण में पाया गया कि अवधि 4/2020 से 3/2022 के दौरान हिमुडा मण्डल नाहन द्वारा ठेकेदारों के निर्माण कार्यों बिलों से निम्न विवरणानुसार वस्तु एवं सेवाकर कर, आयकर, श्रमकर व रायल्टी की कटौती की गई थी परन्तु राशि को सम्बन्धित विभाग में जमा करवाये जाने से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया जोकि एक गम्भीर अनियमितता है जिसका विवरण निम्न प्रकार से है।

क्र. सं.	मद का विवरण	खाता बही– I I, पृष्ठ संख्या	खाता बही अनुसार दिनाँक 01.04.2021 को प्रारम्भिक शेष	वर्ष 2021–22 के दौरान डेबिट राशि (खाता बही अनुसार)	वर्ष 2021–22 के दौरान क्रेडिट राशि (खाता बही अनुसार)	खाता बही अनुसार दिनाँक 31.03.2022 को अन्तशेष
1	Goods and Service tax (CGST/SGST)	95 to 100	Cr 434018.00	613809.00	690778.00	Cr 510987.00
2	Income tax Account	85 to 88	0.00	550031.00	580464.00	Cr 30433.00
3	Labour Cess	91 to 94	Cr. 1024780.00	1311640.00	337514.00	Cr 50654.00
4	Surcharge	89	Cr. 60.00	0.00	0.00	Cr. 60.00
5	Royalty Ledger 2020-21 Bal not C/F	101	Cr. 47858.00	0.00	0.00	Cr. 47858.00
	Total					**Cr 639992.00**

हिमुडा मण्डल द्वारा उक्त विवरणानुसार वस्तु एवं सेवाकर, आयकर, श्रमकर, उपकर, सरचार्ज तथा रॉयल्टी की कुल **₹6,39,992.00** को सम्बन्धित विभाग में जमा करवाए जाने सम्बन्धी चालान/अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गये थे जिससे इनके सम्बन्धित विभाग में जमा किए जाने की पुष्टि नहीं की जा सकी तथा ऐसे में किसी प्रकार की दण्डात्मक कार्रवाई की संभावना से भी ईनकार नहीं किया जा सकता है। अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एसके–एसओ/स्टेट ऑडिट–2022–23–139 दिनाँक 15.10.2022 द्वारा वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में वस्तु स्थिति स्पष्ट करने बारे कहा गया था परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक संस्था द्वारा कोई भी उतर अंकेक्षण दल को प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उक्त वैधानिक कटौतियों के सम्बन्धित विभाग में जमा किए जाने सम्बन्धी चालान/अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत किए जाएं अन्यथा राशि को तुरन्त सम्बन्धित विभागों में जमा करवाया जाए व तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए तथा सुझाव दिया जाता है कि वैधानिक कटौतियों को यथासमय सम्बन्धित विभाग में जमा करवाया जाए तथा चालान व अभिलेख हेतु अलग से नस्ति/रजिस्टर का संधारण किया जाना भी सुनिश्चित किया जाये।

40 निर्माण कार्यों में प्रयुक्त सामग्री पर रॉयल्टी की कटौती न करके संविदाकारों को ₹1.84 लाख का अनुचित लाभ पहुँचाना।

हिमाचल प्रदेश सरकार, उद्योग विभाग के पत्र संख्याः 5–49/79 उद्योग (जियोलॉजिस्ट) रूल्स–2015–खण्ड–IV–1175 द्वारा हिमाचल प्रदेश माईनर मिनरलज (कन्सेशन) रूल्स 1971 का निरसन कर हिमाचल प्रदेश माईनर मिनरलज (कन्सेशन) एण्ड मिनरल्ज (प्रिवेंशन ऑफ ईलीगल्ज माईनिंग, ट्रान्सपोर्टेशन एण्ड स्टोरेज) रूल्ज 2015 को दिनाँक 13.03.2015 से लागू कर दिया गया था। वर्णित नियमानुसार विकास/निर्माण कार्य पर उपयोग की जाने वाली सामग्री (रेत, बजरी,

पत्थर ईत्यादि) के लिए सप्लायर/आपूर्ति कर्ता माईनिंग अधिकारी से अनिवार्य रूप से अनापति प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा यदि वह प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं करता है तो संस्था द्वारा बिल की अदायगी करते समय रॉयल्टी की कटौती करके राशि को राजकीय कोष के मुख्य शीर्ष 0853–102–01–05 में जमा किया जाना अपेक्षित है। अंकेक्षण के दौरान उप–मण्डल सोलन के विभिन्न निर्माण कार्य बिलों की जाँच में पाया गया कि कार्य स्थलों पर निम्न विवरणानुसार रेत, बजरी, पत्थर ईत्यादि का उपयोग किया गया था परन्तु संस्था द्वारा संविदाकारों के बिल से रॉयल्टी की कटौती नियमानुसार नहीं की गई थी और न ही अनापति प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया था, जिसके कारण संविदाकारों को यथा **परिशिष्ट–"ण" अनुसार ₹**184291 का अधिक भुगतान किया गया था। इसके अतिरिक्त उप–मण्डल नाहन द्वारा रॉयल्टी की कटौती से सम्बन्धित अभिलेख/तथ्यों को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया जोकि एक गम्भीर अनियमितता है। अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एसके–एसओ/स्टेट ऑडिट–2022–23–139 दिनाँक 15.10.2022 द्वारा वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में वस्तु स्थिति स्पष्ट करने बारे कहा गया था परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक संस्था द्वारा कोई भी उतर अंकेक्षण दल को प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः अंकेक्षण अवधि के दौरान उप–मण्डल नाहन के अन्तर्गत विकास/निर्माण कार्य पर उपयोग सामग्री पर देय रॉयल्टी की गणना न करने व संविदाकारों को अनुचित लाभ प्रदान करने का नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा संस्थास्तर पर राशि की गणना उपरान्त सम्बन्धित उचित स्त्रोत से राशि की वसूली करके नियमानुसार कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

41 संविदाकार के भुगतान बिलों से नियमानुसार स्त्रोत पर आयकर ₹0.13 लाख की कटौती न करना और न ही सम्बन्धित विभाग में जमा करना

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि विभिन्न निर्माण कार्य में संविदाकारों से आयकर की कटौती 1 प्रतिशत की दर से की गई थी जबकि आयकर अधिनियम की धारा 194C के अनुसार किसी भी व्यक्ति/फर्म/संस्था अथवा सरकारी विभाग (Person/HUF/Firm/Government deductor) द्वारा संविदाकार व्यक्ति (Contractor), फर्म को सेवाएं प्रदान करने के बदले एक बार/एकमुश्त 30000 से अधिक व एक वितीय वर्ष में 100000 से अधिक राशि के भुगतान पर व्यक्ति व एचयूएफ (Person/HUF) से 1% की दर से तथा अन्य (Other than Person or HUF) से 2% की दर से आयकर की कटौती नगदी अथवा बैक खाते में राशि की अदायगी के समय की जानी अपेक्षित है। अंकेक्षण के दौरान व्यय की जाँच हेतु चयनित माह व प्रस्तुत सम्बन्धित अभिलेखों के अंकेक्षण में पाया गया कि निम्न विवरणानुसार आयकर (TDS) की कम दर से कटौती की गई थी।

Work: C/o HC at Sheel near Solan H.P., SH: laying soiling, wearing, matalling and tarring, of road., Contractor M/S Mhoumik Insfrastructure, Voucher No. 26, Dated 08-10-2020 (2nd and Final bill)					
Sr. No.	**Particular**	**Payment made**	**TDS Deducted**	**TDS Due**	**Less TDS Deducted**
1	(Ledger-I, Page 84) (Total Payment made up to 2nd and final bill – Except payment made during 14-05-2020 to 31-03-2021)	1st Running Bill = 855470.96	1 % TDS Rs. = 8555	2 % TDS Rs. = 17109	(1 %) =8554
2	Payment made between 14-05-2020 to 31-03-2021. (TDS @ 1.50% (Applicable after 14-05-2020 to 31-03-2021 for Individual/HUF 0.75% and Other than Individual/HUF @ 1.50%)	2nd and final Bill= 841800.59 Up to 2nd and Final bill = (1697271-855470.96= 841800.59)	1 % TDS=8418	1.50 % TDS=12627	(0.50 %) =4209
Total					**12763**

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एसके–एसओ/स्टेट ऑडिट–2022–23–106 दिनाँक 27.08.2022 के प्रत्युतर में संस्था द्वारा अंकेक्षण के दौरान चर्चा में अवगत करवाया गया कि उक्त अनियमितता के सन्दर्भ में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। अतः आयकर (TDS) की कटौती न करने का या तो नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा यथाशीघ्र उचित स्त्रोत से राशि की वसूली को सुनिश्चित करके सम्बन्धित विभाग में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण में अवगत करवाया जाये।

42 संविदाकार के भुगतान बिलों (Security) से प्रतिभूति ₹0.05 लाख की कम कटौती करना

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि संविदाकारों के निर्माण कार्य बिल से प्रतिभूति राशि की कम कटौती की गई थी, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है।

Name of work: Partially Self Financing Scheme C/o Rad X drain U shape drain.., Contractor Sh. Ashwani Kumar, Agr. No 41 of 2018-19 , 108/30-10-2020, Dated 08-10-2020 (2nd and running bill)					
Duduction of Security as per agreement CLAUSE 1 Security Deposits:- The person/ persons whose tenders(s)may be accepted (hereinafter called the contractor shall permit governments at the time of making any payment to him for work done under the contract to deduct such sum as along with the sum already deposited as earnest money will amount.) Sr. No. Value of work Percentage of security I For work costing Up to 2. Lacs 10% II For work costing 2.00 lacs to 5.00 Lacs (i) +7½% III For work costing between 5.00 Lacs to 50.00 Lacs (ii)+5% IV For work costing Above Rs. 50.00 Lacs: (iii) +2½ % (Without Limit)					
Sr. No.	**Particular**	**Payment made**	**Secutity Deducted**	**TDS Due**	**Less Security Deducted**
1	Gross amount up to 2nd Running Bill	1595956.32	92298 (i/c EMD)	97298	5000
Total					**5000**

अतः प्रतिभूति राशि (Security) की कम कटौती करने का या तो नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा यथाशीघ्र उचित स्त्रोत से राशि की वसूली को सुनिश्चित करके नियमानुसार कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

43 E.Tendering के माध्यम से आबंटित किये गये निर्माण कार्यों का उनकी Awarded Cost व Estimated cost/Threshold Value का प्रतिशत Manual Tendering की तुलना में कम होने के कारण E-Tendering प्रकिया को क्रियान्वित करने बारे

हिमुडा के पत्र संख्याः HIMUDA/CE/Design/ e-procurement/2013 दिनाँक 7-8-2013 के अनुसार ₹5 लाख से अधिक निर्माण कार्य हेतु E-Tendering के माध्यम से निर्माण कार्यों का आबंटन किया जाना अपेक्षित है। Tender Allotment रजिस्टर के अवलोकन में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान जिन निर्माण कार्य को E-Tendering के माध्यम से आबंटित किया गया था उनकी Awarded Cost Estimated cost/Threshold Value का औसत प्रतिशत Manual Tendering की तुलना में यथा **परिशिष्ट–"त"** अनुसार कम थी। E-Tendering के माध्यम से आबंटित किये गये निर्माण कार्यों की Awarded Cost और Estimated cost/Threshold Value का प्रतिशत 164.10 % above से -3.22% Below था जबकि अन्य निर्माण कार्य जोकि Manual Tendering के माध्यम से आबंटित किये गये थे उनका प्रतिशत 0.40 से 98.82 % Above था तथा वर्ष 2021–22 के दौरान जिन निर्माण कार्य को E-Tendering के माध्यम से आबंटित किया गया था उनकी Awarded Cost Estimated cost/Threshold Value का औसत प्रतिशत Manual Tendering की तुलना में यथा **परिशिष्ट–"त"** अनुसार कम थी। E-Tendering के माध्यम से आबंटित किये गये निर्माण कार्यों की Awarded Cost और Estimated cost/Threshold Value का प्रतिशत 83.07 % से 5.57 % above था जबकि अन्य निर्माण कार्य जोकि Manual Tendering के माध्यम से आबंटित किये गये थे उनका प्रतिशत 259 % से 1.40 % above था। उक्त से यह प्रतीत होता है कि जो निर्माण कार्य E-Tendering के माध्यम से आबंटित किये गये उनका आबंटन मूल्य Manual Tendering की तुलना में बहुत कम था। अंकेक्षण अवधि के दौरान इस प्रकार के कुछ कार्यों का विवरण निम्न प्रकार से है। अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एसके–एसओ/स्टेट ऑडिट–2022–23–144 दिनाँक 21.10.2022 द्वारा वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में वस्तु स्थिति स्पष्ट करने बारे कहा गया था परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक संस्था द्वारा कोई भी उतर अंकेक्षण दल को प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः यह प्रकरण हिमुडा संस्थाध्यक्ष/उच्चाधिकारियों के ध्यान में इस आशय के साथ लाया जाता है कि अधिकतर निर्माण कार्यों का आबंटन/निष्पादन E-Tendering प्रणाली के अन्तर्गत किया जाना सुनिश्चित किया जाये जिससे निर्माण कार्य का आबंटन कम दर पर किया जा सके और निर्माण कार्य लागत को भी कम किया जा सके।

44 Deposit Works के निष्पादन में ₹57.02 लाख का व्यय Administrative Approval & Estimate Sanctioned से अधिक करना।

Deposit Works से सम्बन्धित उपलब्ध अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि यथा **परिशिष्ट–"थ"** अनुसार विभिन्न निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में संस्था द्वारा Administrative Approval & Estimate Sanctioned से **₹57.02** का अधिक व्यय किया गया था। हिमुडा द्वारा जहॉ एक ओर विविध वित्तीय संस्थाओं से उच्च व्याज दरों पर ऋण प्राप्त करके निर्माण कार्य को निष्पादित किया जा रहा है वहीं दूसरी ओर Deposit Work हेतु प्राप्त राशि से अधिक व्यय किया जा रहा है जिसे किसी भी स्थिति में संस्था के हित में उचित नहीं ठहराया जा सकता है जोकि नियमों के प्रतिकूल होने के कारण भी एक गम्भीर अनियमितता है। अंकेक्षण अवधि के दौरान Administrative Approval & Estimate Sanctioned को प्राप्त किये बिना तथा प्राप्त स्वीकृति से अधिक व्यय किये गये डिपॉजिट कार्यों का विवरण निम्न प्रकार से है।

Detail of Expenditure on Deposit Works over and above the Administrative Approval & Estimate Sanctioned.

Sr. No.	Name of Scheme & Work	AA & ES (In Lacs)	Amount received (In Lacs)	Total Expenditure (In Lacs)	Excess of Expenditure over & above the AA & ES (In Lacs)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6=(5-4)**
1	C/o Sub Jail Solan(HP) (SH: C/o Admn block, Type III Kitchen, 3nos Barrack Add. Barrack and 24 warder barrack i/c elct. Penal room.)	438.83	438.83	476.30	**-37.47**
2	C/o Model central Jail at Nahan Distt Sirmour H.P (SH:- C/O Hospital Building at Model Central Nahan).	63.00	63.00	77.30	**-14.30**
3	C/o Nutrition Lab at Medical College Nahan, Distt. Sirmour (HP).	53.56	53.56	54.65	**-1.09**
4	C/O Cow Sanctuary at Kotla Barog, Tehsil Rajgarh, Distt. Sirmour HP	103.27	103.27	107.43	**-4.16**
	Total	**658.66**	**658.66**	**715.68**	**-57.02**

अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एसके–एसओ/स्टेट ऑडिट–2022–23–144 दिनाँक 21.10.2022 के अन्तर्गत Deposit Works के सम्बन्ध में Client Deptt. से प्राप्त राशि की तुलना में अधिक व्यय करने के कारणों को तथ्यों सहित स्पष्ट करने हेतु कहा गया था परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक संस्था द्वारा इस सन्दर्भ में कोई भी सूचना व स्पष्टिकरण प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः सक्षम अधिकारी की स्वीकृत के बिना Administrative Approval & Estimate sanction से अधिक व्यय किये जाने का नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये व प्राथमिता के आधार पर किये गये अधिक व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु नियमानुसार कार्यवाही को सुनिश्चित किया जाये व तदानुसार कृत कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये अन्यथा सम्बन्धित अधिकारी

एवं कर्मचारी का दायित्व निर्धारित करके सम्बन्धित उचित स्त्रोत से राशि की वसूली करके मण्डल निधि में जमा करवाया जाये तथा भविष्य हेतु परामर्श दिया जाता है कि नियमानुसार ही निर्माण कार्यों को निष्पादित किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

45 सम्बन्धित विभाग से प्राप्त राशि की तुलना में Deposit Works के सन्दर्भ में ₹65.38 लाख का अधिक व्यय करना

Deposit Works से सम्बन्धित निर्माण कार्यों यथा **परिशिष्ट–"थ"** अनुसार का उपलब्ध अभिलेखों के साथ अंकेक्षण में पाया गया कि निम्न Deposits Works के सन्दर्भ में सम्बन्धित विभागों से प्राप्त राशि की तुलना में ₹65.38 लाख का अधिक व्यय किया गया था जोकि एक गम्भीर अनियमितता है। अंकेक्षण अवधि के दौरान सम्बन्धित विभागों से प्राप्त राशि की तुलना में निक्षेप कार्यों पर किये गये अधिक व्यय का विवरण निम्न प्रकार से है।

Detail of Expenditure on Deposit Works over and above the Administrative Approval & Estimate Sanctioned.

Sr. No.	Name of Scheme & Work	AA & ES (In Lacs)	Amount received (In Lacs)	Total Expenditure (In Lacs)	Excess of Expenditure over & above the AA & ES (In Lacs)
1	2	3	4	5	6=(5-4)
1	S/R of State Co-op. Bank Building at Nahan(old), Distt. Sirmour(HP).	17.44	4.37	8.09	**-3.72**
2	C/o Sub Jail Solan(HP) (SH: C/o Admn block, Type III Kitchen, 3nos Barrack Add. Barrack and 24 warder barrack i/c elct. Penal room.)	438.83	438.83	476.30	**-37.47**
3	C/o Model central Jail at Nahan Distt Sirmour H.P (SH:- C/O Hospital Building at Model Central Nahan).	63.00	63.00	77.30	**-14.30**
4	C/o Nutrition Lab at Medical College Nahan, Distt. Sirmour (HP).	53.56	53.56	54.65	**-1.09**
5	C/O Cow Sanctuary at Kotla Barog, Tehsil Rajgarh, Distt. Sirmour HP	103.27	103.27	107.43	**-4.16**
6	Providing and fixing of Galvanized Steel Barbed Wire Fencing around the site.	39.81	22.67	27.31	**-4.64**
	Total	**715.91**	**685.70**	**751.08**	**-65.38**

अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एसके–एसओ/स्टेट ऑडिट–2022–23–144 दिनाँक 21.10.2022 के अन्तर्गत Deposit Works के सम्बन्ध में Client Deptt. से प्राप्त राशि की तुलना में अधिक व्यय किये जाने के कारणों को तथ्यों सहित स्पष्ट करने हेतु कहा गया था परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक संस्था द्वारा इस सन्दर्भ में कोई भी सूचना व स्पष्टिकरण प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः सक्षम अधिकारी की स्वीकृत के बिना विभिन्न विभागों से प्राप्त राशि की तुलना में अधिक व्यय किये जाने का नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये व प्राथमिता के आधार पर किये गये अधिक व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु नियमानुसार कार्यवाही को सुनिश्चित किया जाये व तदानुसार कृत कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये अन्यथा सम्बन्धित अधिकारी एवं कर्मचारी का दायित्व निर्धारित करके सम्बन्धित उचित स्त्रोत से राशि की वसूली करके मण्डल निधि में जमा करवाया जाये तथा भविष्य हेतु परामर्श दिया जाता है कि नियमानुसार ही निर्माण कार्यों को निष्पादित किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

46 वर्ष 2021–22 के दौरान संविदाकारों को आबंटित निर्माण कार्यों को निर्धारित अवधि में निष्पादित न करने पर अनुबन्ध की क्लॉज–2 के अन्तर्गत कार्यवाही न करना

अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एसके–एसओ/स्टेट ऑडिट–2022–23–102 दिनाँक 18.08.2022 के प्रतिउतर में यथा **परिशिष्ट–"द"** अनुसार वर्ष 2020–2021 तथा 2021–22 तक पूर्ण किये जाने वाले अधिकतर निर्माण कार्यों को संविदाकारों द्वारा निर्धारित अवधि में पूर्ण नहीं किया गया था तथा संस्था द्वारा नियमानुसार अनुबन्ध की क्लॉज–2 के अनुसार कार्यवाही की जानी अपेक्षित थी परन्तु हिमुडा मण्डल द्वारा नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही न करके संविदाकार को अनुचित लाभ प्रदान किया गया था। निर्माण कार्यों के निष्पादन में विलम्ब के कारण संस्था को स्टील व सीमेंट की आपूर्ति में प्रतिवर्ष लाखों की वित्तीय हानि हो रही है क्योंकि संविदाकारों के बिल से सीमेंट व स्टील के मूल्य की वसूली अनुबन्ध में निर्धारित दर से की जाती है जबकि तीन से चार साल पश्चात् निर्माण कार्यों को पूर्ण करने के कारण मूल्य में हुई वृद्वि को सम्बन्धित कार्य पर प्रभारित किया जाता है जिससे एक ओर निर्माण कार्य की लागत में अनावश्यक वृद्वि हुई वहीं दूसरी ओर हिमुडा द्वारा अधिकतर विभागीय कार्य निष्पादित किये जाने के कारण इसका वित्तीय भार अप्रत्यक्ष रूप से हि0प्र0 राजकोष पर पडता है। उक्त कारणों से हिमुडा द्वारा संविदाकारों के विरूद्व नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही को अमल में लाया जाना अपेक्षित था ताकि विलम्ब के कारण हुई वित्तीय हानि की प्रतिपूर्ति की जा सके परन्तु हिमुडा द्वारा नियमानुसार कार्यवाही के बदले विलम्ब से निष्पादित निर्माण कार्यों को विचलन/प्रतिस्थापन मदों सहित सक्षम प्राधिकारी से नियमित करवाया गया था जिससे प्रतीत होता है संस्था द्वारा संविदाकारों को अनुचित लाभ प्रदान किया जा रहा है। अतः संविदाकार द्वारा निर्धारित अवधि में निर्माण कार्य को पूर्ण नहीं करने के दृष्टिगत अनुबन्ध की क्लॉज–2 के अन्तर्गत कार्यवाही न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा वर्णित अनियमितता को सक्षम अधिकारी से समय विस्तार की स्वीकृति प्राप्त करके नियमित करवाया जाये अन्यथा संविदाकार के विरूद्व नियमानुसार अनुबन्ध की क्लॉज–2 के अन्तर्गत अपेक्षित दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाये व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

47 विभिन्न निर्माण कार्यों में आउटसोर्स आधार पर नियुक्त विविध श्रेणियों के कर्मचारियों की नियुक्तियों पर किये गये भुगतान ₹11.93 लाख के सम्बन्ध में सक्षम अधिकारी का अनुमोदन प्रस्तुत न करना

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि हिमुडा मण्डल द्वारा निम्नविवरणानुसार विविध श्रेणी के कर्मचारियों को आउटसोर्स के आधार पर नियुक्त किया गया था जबकी वर्णित पद सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत नहीं थे। हि0प्र0 वित्तीय नियमावली 2009 के नियम 170 तथा हि0प्र0 सरकार के पत्र संख्याः letter NO. Fin(C)-B(15)-8/2013, Government of Himachal Pradesh, Finance (Regulation) Department, Dated : Shimla -171002, दिनॉक 01/07/2017 के पैरा 1 द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अन्तर्गत किसी भी विभाग द्वारा केवल राज्य सरकार के अनुमोदन के पश्चात् ही आउटसोर्स के आधार पर सेवाओं को दिया जाना अपेक्षित था परन्तु मण्डल द्वारा उपरोक्त के सन्दर्भ में अपेक्षित अभिलेख को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके अभाव में विविध सेवाओं हेतु मण्डल द्वारा किया गया व्यय मण्डल निधि पर उचित प्रभार नहीं माना जा सकता है। अंकेक्षण अवधि में पाये गये इस प्रकार के कुछ प्रकरणों का विवरण निम्न प्रकार से है।

Sr No	Name of Work	Name of Contractor	Vourcher No	Ag. No.	Name & No's of Outsourced post/services.	Amount paid upto Running Bill
Sub Division -Nahan						
1	Housing Colony at Paonta Sahib (Devi Nagar), Distt. Sirmour, H.P. (SH: A/R and M/O Sewerage System, Cleaning of Roads and path etc. for the year 2020-21)	Sh. Ashwani Kumar, Govt. Contractor.	40 Dt. 07-01-2022	18 of 2020-21	Beldar with Sewerman (S) 270 days	103950.00
					Sewerman (S). 90 days	34650.00
					Total	**138600.00**
2	Housing Colony at Shubkhera, Paonta Sahib, Distt. Sirmour, H.P. (SH: A/R and M/O Sewerage System, Cleaning of Roads and path etc. for the year 2020-21)	Sh. Ashwani Kumar, Govt. Contractor.	44 Dt. 07-01-2022	19 of 2020-21	Beldar with Sewerman (S) 270 days Sewerman (S). 90 days	103950.00 34650.00
					Total	**138600.00**
3	Housing Colony at Moginand, Pahse-I, Distt. Sirmour, H.P. (SH: A/R and M/O Sewerage System, Cleaning of Roads and path etc. for the year 2020-21)	Sh. Dalip Singh, Govt. Cont.	25 Dt. 04-03-2022	20 of 2020-21	Beldar with Sewerman (S) 270 days Sewerman (S). 90 days	103950.00 34650.00
					Total	**138600.00**

1	Housing Colony at Basal, Phase-I, Distt. Solan (H.P.) (SH: A/R and M/O External WS&SI Cleaning of Roads and path etc. for the year 2019-20)	Sh. Mohinder Verma, Govt. Contractor.	28 Dt. 04-03-2021	32 of 2019-20	Plumber 2nd Class 1 No 366 days Sewerman (S). 121 days Beldar(S) 366 days	133590.00 42350.00 128100.00
					Total	**304040.00**
2	Housing Colony at Paonta Sahib (Devi Nagar), Distt. Sirmour, H.P. (SH: A/R and M/O Sewerage System, Cleaning of Roads and path etc. for the year 2019-20)	Sh. Baldev Singh, Govt. Cont.	102 Dt. 30-10-2020	22 of 2019-20	Beldar(S) 270 days	94500.00
					Sewerman (S). 90 days	31500.00
					Total	**126000.00**
3	Housing Colony at Shubkhera, Paonta Sahib, Distt. Sirmour, H.P. (SH: A/R and M/O Sewerage System, Cleaning of Roads and path etc. for the year 2019-20)	Sh. Baldev Singh, Govt. Cont.	104 Dt. 30-10-2020	22-A of 2019-20	Beldar(S) 270 days	94500.00
					Sewerman (S). 90 days	31500.00
					Total	**126000.00**
4	Housing Colony at Basal, Phase-I, Distt. Solan (H.P.) (SH: A/R and M/O External WS&SI Cleaning of Roads and path etc. for the year 2020-21)	Sh. Mohinder Verma, Govt. Contractor.	24 Dt. 04-03-2021	20 of 2020-21	Plumber 2nd Class 1 No 90 days Sewerman (S). 30 days Beldar(S) 90 days	36000.00 11550.00 34650.00
					Total	**82200.00**
5	Housing Colony at Moginand, Pahse-I, Distt. Sirmour, H.P. (SH: A/R and M/O Sewerage System, Cleaning of Roads and path etc. for the year 2020-21)	Sh. Dalip Singh, Govt. Cont.	57 Dt. 17-03-2021	21 of 2020-21	Beldar with Sewerman (S) 270 days Sewerman (S). 90 days	103950.00 34650.00
					Total	**138600.00**
	Total					**1192640.00**

अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एसके–एसओ/स्टेट ऑडिट–2022–23–139 दिनाँक 15.10.2022 द्वारा वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में वस्तु स्थिति स्पष्ट करने बारे कहा गया था परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक संस्था द्वारा कोई भी उतर अंकेक्षण दल को प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः हि0प्र0 सरकार के अनुमोदन/स्वीकृति के बिना विविध पदों पर आउटसोर्स के आधार पर नियुक्ति करने का नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये व इस प्रकार के अन्य प्रकरणों की संस्थास्तर पर उचित जॉच उपरान्त सक्षम अधिकारी की स्वीकृति एवं नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही से

आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये तथा वर्णित प्रकरण संस्थाध्यक्ष के विशेष ध्यानार्थ नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाये जाने हेतु लाया जाता है ताकि वित्तीय नियमों की अनुपालना को सुनिश्चित किया जा सके।

48 निर्माण कार्य हेतु प्रयोग में लाई गई लकडी के सम्बन्ध में संविदाकार को बिना बिल के ₹2.17 लाख का अनियमित भुगतान करना

अनुबन्ध की General Specification & Conditions की शर्त संख्याः 13 में स्पष्ट किया गया था कि "The contractor shall have to purchase the timber to be used on works from an authorized dealer/agency and he would produce necessary receipts/vouchers as a proof before releasing the payment of the work" तथा शर्त संख्याः 30 में यह भी स्पष्ट किया गया था कि "The contractor shall get frames and other items of wood work approved by the Engineer-in-charge before fixing the same. All wood work shall be properly seasoned. The wood work should not be painted or treated in any other way until it is approved by the Engineer-in-charge" परन्तु अंकेक्षण के दौरान वाउचर संख्याः04 दिनाँक 01.10.2020 की जाँच में पाया गया कि निम्न विवरणानुसार निर्माण कार्यों हेतु बिना बिल के संविदाकार को ₹217161.00 का अनियमित भुगतान किया गया था। वर्णित मदों के निष्पादन के लिए प्रयोग में लाई गई लकडी की खरीद के सम्बन्ध में कोई भी बिल/प्रमाणक व प्रभारी अभियन्ता से लकडी के कार्य को नियमानुसार निष्पादित किये जाने सम्बन्धित अपेक्षित अनुमोदन ईत्यादि न तो वाउचर के साथ संलग्न पाया गया और न ही अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत किया गया था जिससे लकडी के कार्य की एवज में किये गये भुगतान की पुष्टि अंकेक्षण के दौरान नहीं की जा सकी, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है।

C/o of H.P. State Co-Operative Bank Ltd., Building at Nahan, Distt. Sirmour, H.P., i/c internal water Supply, sanitary installation and development of site, Rain water Harvesting Tank and septic tank. 6th Running bill, Agr. No. 18 of 2017-18 **(Wood Work Detail)**										
S. N.	**Name Of Work/Agreement no**	**Name of item/Item No**	**Voucher No /Date**	**M.B. No/Page No**	**Name of Running Bill**	**Qty Of Wood Work**	**Unit**	**Rate Of Wood Work**	**Rate per**	**Total Amount**
1	C/o of H.P. State Co-Operative Bank Ltd., Building at Nahan, Distt. Sirmour, H.P., i/c internal water Supply, sanitary installation and development of site, Rain water Harvesting Tank and septic tank. 6th Running bill,	23. Providing Wood work in frames of false celling partitions etc. sawn and put-up in position including carriage of material in all leads and lifts. (a) 1st Class Kail Woo d including Carriage etc. (Cost of Abstract MB 52 page-07)	Vr. No. 04 Dated 01.10. 2020	**Cost of Abs. MB 52/ 07**	6th Running Bill	2.681	Cum	81000 cum	Cum	217161.00
								Total		₹217161.00

अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एसके–एसओ/स्टेट ऑडिट–2022–23–139 दिनाँक 15.10. 2022 द्वारा वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में वस्तु स्थिति स्पष्ट करने बारे कहा गया था परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक संस्था द्वारा कोई भी उतर अंकेक्षण दल को प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः अनुबन्ध की उपरोक्त वर्णित शर्त के अनुसार निर्माण कार्य के लिए प्रयोग में लाई गई लकडी की खरीद के बिल/प्रमाणक ईत्यादि प्रस्तुत न किये जाने से पूर्व लकडी के कार्य हेतु संविदाकार को भुगतान करने का नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा अपेक्षित बिल आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किये जाने सुनिश्चित किये जाये अन्यथा बिना बिल/प्रमाणक के किये गये भुगतान की वसूली सम्बन्धित उचित स्त्रोत से सुनिश्चित कि जाये व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

49 निर्माण कार्य हेतु उपयोग स्टील की खरीद से सम्बन्धित बिल एवं अन्य सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना

अंकेक्षण के दौरान बिन कार्ड/ईन्डेन्ट व जी0 आर की जाँच में पाया गया कि स्टील की खरीद के सम्बन्ध में आपूर्तिकर्ता से प्राप्त बिल नस्ति में संलग्न नहीं थे जिस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एसके–एसओ/स्टेट ऑडिट–2022–23–106 दिनाँक 27.08.2022 द्वारा वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में वस्तु स्थिति स्पष्ट करने बारे कहा गया था परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक संस्था द्वारा कोई भी उतर अंकेक्षण दल को प्रस्तुत नहीं किया गया। अंकेक्षण अधियाचना संख्याः अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एसके–एसओ/स्टेट ऑडिट–2022–23–129 दिनाँक 01.10.2022 द्वारा द्वारा वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में वस्तु स्थिति स्पष्ट करने बारे कहा गया था परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक संस्था द्वारा कोई भी उतर अंकेक्षण दल को प्रस्तुत नहीं किया गया जिस कारण क्रय की गई स्टील की मात्रा/स्टील की गुणवता व दर ईत्यादि की पुष्टि अंकेक्षण के दौरान नहीं की जा सकी। अतः वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा स्टील की खरीद से सम्बन्धित मूल बिल/अभिलेख को आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाये।

50 Misc. Receipt A/C ₹3.24 लाख में RTI Fee के रूप में प्राप्त आय ₹0.01 लाख को दर्शाये जाने का औचित्य स्पष्ट न करना

हिमुडा मण्डल नाहन के वित्तीय वर्ष 2020–21 व 2020–22 के तलपट (Trial Balance) व सम्बन्धित अभिलेख/खाताबही के अंकेक्षण में पाया गया कि खाताबही के आय पक्ष में Misc. Receipt A/C ₹323833 के अन्तर्गत ही RTI Fee क्रमशः ₹380 को सम्मिलित किया गया था

जबकि नियमानुसार RTI Fee को अलग से सम्बन्धित लेखा शीर्षक में दर्शाया जाना अपेक्षित था जोकि नियमों के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित है, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है।

Sr. No.	**Year**	**Ledger-II, Page No.**	**Amount of RTI Fee received**
1	2020-21	Page-163 to 165 (Total Misc. Rec. (₹323833 out of which RTI fee was Rs 380)	380.00
2	2021-22	Page-171	170.00
Total			**550.00**

उपरोक्त अनियमितता बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्याः वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एसके–एसओ/स्टेट ऑडिट/2022–23–33 दिनाँक 23.05.2022 के प्रत्युतर में संस्था द्वारा पत्र संख्याः HIMUDA/PP&E/Audit 2018/2021 दिनाँक 26.05.2022 के अन्तर्गत सूचित किया गया कि प्रकरण के सन्दर्भ में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। अतः रोकड बही/खाताबही/तलपट में दर्शाई गई विविध आय "Misc receipt account" में से "Receipt Under RTI Act" से वर्ष 2020–21 व 2020–22 के दौरान एकत्रित आय कमशः व ₹90 तथा गत वर्षों में उक्त शीर्षक के अन्तर्गत प्राप्त आय की संस्थास्तर पर गणना करके राशि को सरकारी कोश में RTI Act 2006 के नियम 5 के अनुसार Head of Account 0070-OAS, 60- OS, 800-OR, 11 Receipt head under Right to information Act 2005 में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

51 (क) वाहनों के निजी यात्रा के फलस्वरूप ₹0.08 लाख का अनियमित/अधिक व्यय की वसूली न करना

हिमाचल प्रदेश सरकार के वित्त विभाग के पत्र संख्या फिन–1–(सी) 14–1–92–Vol-II दिनाँक 21.07.2011 द्वारा फ्लैट दर अनुसार निजी यात्रा हेतु दर ₹7 प्रति किलोमीटर अनुसार निर्धारित की गई है परन्तु निम्न विवरणानुसार वाहनों की लॉग बुक के अवलोकन में पाया गया कि सरकारी वाहन में डीजल को निजी यात्रा के लिए भरा गया था परन्तु अपेक्षित राशि की वसूली/समायोजन से सम्बन्धित अभिलेख को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया था, जोकि उक्त दिशा–निर्देशों के प्रतिकूल हैः–

Mohindra Bollero ZIX HP-03C-0030						
माह	माह के दौरान तय दूरी				फ्लैट रिकवरी दर ₹7 प्रति कि0मी0	वसूली हेतु बकाया राशि
	लम्बी यात्रा की तय दूरी	स्थानीय यात्रा की तय दूरी	निजि यात्रा की तय दूरी	कुल तय दूरी		
Apr-20	3692	0	0	3692	7	0.00
May-20	1901	76	9	1986	7	63.00
Jun-20	1735	32	41	1808	7	287.00
Jul-20	1206	36	64	1306	7	448.00
Aug-20	494	49	35	578	7	245.00
Sep-20	1171	115	49	1335	7	343.00
Oct-20	2277	72	0	2349	7	0.00
Nov-20	2663	87	0	2750	7	0.00
Dec-20	2205	89	0	2294	7	0.00
Jan-21	2337	41	0	2378	7	0.00
Feb-21	1879	68	77	2024	7	539.00
Mar-21	2256	109	52	2417	7	364.00
Total	**23816**	**774**	**327**	**24917**		**2289.00**
Mohindra Bollero ZIX HP-03C-0030						
	माह के दौरान तय दूरी				फ्लैट रिकवरी दर ₹7 प्रति कि0मी0	वसूली हेतु बकाया राशि
माह	लम्बी यात्रा की तय दूरी	स्थानीय यात्रा की तय दूरी	निजि यात्रा की तय दूरी	कुल तय दूरी		
Apr-21	1074	24	64	1162	7	448.00
May-21	420	33	75	528	7	525.00
Jun-21	1777	77	100	1954	7	700.00
Jul-21	2856	102	89	3047	7	623.00
Aug-21	2547	84	57	2688	7	399.00
Sep-21	2178	112	86	2376	7	602.00
Oct-21	1861	87	53	2001	7	371.00
Nov-21	2795	10	58	2863	7	406.00
Dec-21	2153	85	94	2332	7	658.00
Jan-22	2090	17	26	2133	7	182.00
Feb-22	2075	83	94	2252	7	658.00
Mar-22	1685	105	61	1851	7	427.00
Total	23511	819	857	25187		**5999.00**
Total recoverable amount						**8288.00**

अतः निजी यात्रा हेतु वाहनों का प्रयोग करने का नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा राशि की वसूली सम्बन्धित उचित स्त्रोत से सुनिश्चित करके राशि को मण्डल निधि में जमा करवाया जाये व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(ख) वाहनों के ईंधन की औसत निर्धारित न करना

हिमाचल प्रदेश सरकार, वित्त विभाग के पत्र संख्याः फिन–।–सी(14)1/83 दिनाँक 08.09. 1987 के अनुसार हि0प्र0 के विभिन्न विभागों के नियंन्त्रण अधिकारी द्वारा प्रति वर्ष अपने अधीन वाहनों की जाँच/परीक्षण लेकर ईंधन की औसत खपत/प्रति किलोमीटर का निर्धारण किया जायेगा तथा वाहन के चालक द्वारा निर्धारित औसत खपत/प्रति किलोमीटर को वर्ष के दौरान बनाये रखा जाना अपेक्षित है परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि हिमुडा मण्डल नाहन द्वारा वर्ष 2020–21 व 2021–22 के लिए सरकारी वाहन Mohindra Bollero ZIX HP-03C-0030 के लिये लम्बी व स्थानीय दूरी की यात्रा के लिये 9.46 कि0मी0 प्रति ली0 निर्धारित की गई थी जबकि नियमानुसार लम्बी व स्थाननीय दूरी के लिये अलग–अलग औसत दर निर्धारित की जानी अपेक्षित थी परन्तु लम्बी यात्रा की औसत खपत से सम्बन्धित अभिलेख को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया जिस कारण वर्ष के दौरान वाहन के औसत खपत से अधिक व्यय की गणना/जाँच नहीं की जा सकी। अतः वाहन के लिये लम्बी व स्थानीय औसत खपत/प्रति किलोमीटर से सम्बन्धित अभिलेख को आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

52 छुट्टी यात्रा रियायत (Leave travel concession) हेतु श्री के0 एन0 भल्ला, अधिषाशी अभियन्ता को ₹0.20 लाख का अधिक/अनियमित भुगतान करना।

अंकेक्षण के दौरान वाउचर संख्याः जे. 05 दिनाँक 07.2020 की जाँच पाया गया कि श्री अजय कुमार शर्मा, अधिषाशी अभियन्ता द्वारा छुट्टी यात्रा रियायत की एवज में प्रस्तुत समायोजन वाउचर की एवज में संस्था द्वारा उनकी पात्रता से अधिक दरों से भुगतान करने तथा डिपैन्डैट की सूची में पुत्र के होने के उपरान्त भी दावे को स्वीकृत करने के कारण निम्न विवरणानुसार ₹19581 का अधिक/अनियमित भुगतान किया गया था, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है।

Note:- 1. The LTC Claim Restricted as per Entitlement and also as per the Chief Accounts Officer, Nigam Vihar Shimla-2 Letter No. HIMUDA/Acctts.-17/2000-Vol-18-22179 Dated 3-12-2019.

2. As the date of birth of Son was 01-08-1994 (परिशिष्ट–"ध") thus the age of Son at the time of LTC i.e. as on 14-01-2020 was 25 year 5 Month and 13 days, hence the claim of LTC of son not covered under dependent or family definition.

3. As per Central Civil Services (Pension) Rules, 1972 which come into force on 01st June, 1972 the Criteria of eligibility for family members for family pension upto the age of 25 years or until marriage or starts earning, whichever is earlier.

Detail of Journey as per TA/LTC Claim Paid				Claim Admissible as per Entitlement (Only for Two person Person)		Claim Admitted and paid (3 Person)	Excess Payment	Remarks
From	Date	To	Date/ Time					
Nahan	14-01-20 14:00	Chandigarh By bus 76 Kms	14-01-20 17:15	110x2	220	330	110	Excess TA claim paid
Chandigarh	14-01-20 18:23	New Delhi By train	14-01-20 22:00	210x2	420	660	240	Excess TA claim paid

New Delhi	15-01-20 01:50	Port Blair By Air	15-01-20 08:30	Restricted the Air journey as per entitlement or by rail from New delhi to Kolkata and Kolkata to Port Blair by steamer by HIMUDA Office.				Restricted as per entitlement.
New delhi		Kolkata		1735x2	3470	6600	3130	
Kolkata		Port Blair		5210x2	10420	15630	5210	
Port Blair	23-01-20 08:45	Shaheed Deep (Neil) by Ferry	18-01-20 11:10	525X2	1050	2190	1140	Journey done by Private Ferry service restricted with Govt Ferry Rates of Chair Class
Shaheed Deep (Neil)	19-01-20 11:30	Port Blair By Ferry	19-01-20 12:40	525X2	1050	2190	1140	---Do---
Port Blair By Air	20-01-20 08:25	New Delhi	20-01-20 17:15	Restricted the Air journey as per entitlement or by rail from Port Blair to Kolkata and Kolkata to New delhi by steamer by HIMUDA Office				Restricted as per entitlement.
Port Blair		Kolkata		5210x2	10420	15630	5210	
Kolkata		New delhi		1735x2	3470	6600	3130	
New delhi	21-01-20 08:00	Nahan By Bus	21-01-20 15:00	271x2	542	813	271	
Total					**31062**	**50643**	**19581**	

वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एसके–एसओ/स्टेट ऑडिट–2022–23–129 दिनाँक 01.10.2022 के प्रत्युतर में संस्था द्वारा पत्र संख्याः HIMUDA/PP&E/Audit 2018/2021-1319 दिनाँक 02.02.2022 के अन्तर्गत सूचित किया गया कि प्रकरण के सन्दर्भ में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। अतः छुट्टी यात्रा रियायत (Leave travel concession)हेतु पात्रता से अधिक/अनियमित भुगतान करने का नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा यथाशिघ्र राशि की वसूली सम्बन्धित उचित स्त्रोत से सुनिश्चित करके कृत कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

53 (क) वेतन निर्धारण/वार्षिक वेतन वृद्धि की गलत गणना के कारण ₹0.01 लाख का अधिक भुगतान करना।

वित्तीय वर्ष 2020–21 व 2021–22 के दौरान हिमुडा मण्डल नाहन के वेतन रजिस्टर की जॉच में पाया गया कि अधिकारियों/कर्मचारियों को उनकी पदोन्नति एवं वार्षिक वेतन अनुवृद्धि पर गलत गणना के कारण वेतन का अधिक भुगताना किया गया था, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है।

Statement showing the detail of excess payment of salary due to wrong pay fixation/annaul increment									
Sh. Girish Sharma, Executive Engineer.									
Date of Annual Increment		**Salary Register Page-003 & 029**							
Name of Month	**Pay on Dated**	**Basic and GP Paid**	**Basic and GP Due**	**Excess paid**	**DA**	**IR**	**Total of DA & IR**	**Total Excess Payment**	**Period**
Salary on 06-2021	01-06-2021	25470-5400	25470-5400	0	159%	21%	0.00	0.00	Jun-21
Promotion on 07/2021	01-07-2021	26440-7600	26440-7600	40	159%	21%	72.00	1232.00	1/7/21 to 31/5/22
Total Excess Payment				**40**			**72**	**1232.00**	
Note: After May 2022 the above officer was transferred to the HIMUDA Division Parwanoo.									
Sh. Babu Ram, Beldar	Salary page-14 & 45								
Salary on 01-2022	01-12-2021	10460-1900	10460-1900	0	159%	21%	0.00	0.00	
Annual Increment	01-01-2022	10840-1900	10830-1900	10	159%	21%	18.00	224.00	1/1/22 to 31/8/22
					159%	21%	0.00	0.00	
Total Excess Payment								**224.00**	
G/Total of Excess Payment								**1456.00**	
Note: After 08-2022 the pay revision 2022 applied.									

अतः उक्त वर्णित अधिकारी/कर्मचारी को प्रदत अधिक/अनियमित भुगतान का नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा राशि की वसूली सम्बन्धित उचित स्त्रोत से सुनिश्चित करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(ख) सेवानिवृत कर्मचारियों की सेवा पंजिकाओं को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना

अंकेक्षण अधियाचना संख्याः द्वारा सेवानिवृत कर्मचारियों की सेवा पंजिकाओं को अंकेक्षण में प्रस्तुत करने के सम्दर्भ में संस्था द्वारा अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया गया कि निम्न विवरणानुसार हिमुडा मण्डल नाहन के अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवा पंजिकाओं को उनकी सेवानिवृति पर देय वित्तीय लाभों की गणना/अदायगी हेतु हिमुडा मुख्यालय प्रेषित किया गया था जिस कारण उक्त अधिकारियों को किये गये भुगतान की जाँच/पुष्टि नहीं की जा सकी।

S.N.	Name of Employeee	Designation	Date of Joining	Date of Retirement
1	Sh. Ajay Kumar Sharma	Executive Engineer	28-01-1989	31-10-2020

2	Sh. Sukh Chand Negi	Divisional Head Draftman	03-07-1987	31-10-2020
3	Sh. Prem Lal	Junior Engineer	01-04-1995	31-12-2021
4	Sh. Dinesh Kumar	Junior Engineer	11-11-1983	30-06-2020

अतः उपरोक्त कर्मचारियों की सेवा पंजिकाओं को सम्बन्धित अभिलेख सहित आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाये ताकि किये गये भुगतान की सत्यापना सुनिश्चित की जा सके।

(ग) कर्मचारियों के अवकाश खातों का रख–रखाव नियमानुसार न करना।

हिमाचल प्रदेश वितीय नियमावली 1971 के नियम 7.14 एवम् 7.15 के प्रावधानानुसार सेवा पंजीकाओं में कर्मचारियों से सम्बन्धित विवरण जैसे की केन्द्रीय अवकाश सेवा नियम 1972 के अन्तर्गत अवकाश हेतु आवेदन, अर्जित/परिणित अवकाश स्वीकृति आदेश, वार्षिक वेतन वृद्धि आदेश, कार्यग्रहण सूचना, तबादला आदेश, पदोन्नति आदेश, सेवाकाल सत्यापन की प्रविष्टियाँ दर्ज करके सत्यापित की जानी अपेक्षित हैं परन्तु अंकेक्षण के दौरान कर्मचारियों की सेवा पंजिकाओं की जाँच में पाया गया कि निम्न कर्मचारियों को स्वीकृति परिणित/परिवर्तित अवकाश के सन्दर्भ में आवश्यक प्रविष्टियों को सेवा पंजिका में सही नहीं दर्शाया गया था और न ही अपेक्षित अभिलेख को निजी नस्ति में संलग्न किया गया था जिसका विवरण निम्न प्रकार से है।

Name of Employee	Kind of leave	Period for which leave account not maintained.	Remarks
Sh. Parvesh Kumar, JOA	EL & HPL	22-04-2021 to 31-03-2022	Earned Leave and Half Pay Leave account not maintained.
Sh. Humesh Kumar, J.E.	HPL	20-04-2021 to 31-03-2022	Half Pay Leave account not maintained.
Smt. Pakiza, JOA	HPL	22-04-2021 to 31-03-2022	Half Pay Leave account not maintained.
Sh. Naresh, J.D.	EL & HPL	12-10-2021 to 31-03-2022	Earned Leave and Half Pay Leave account not maintained.

अतः वर्णित अनियमितता का नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा नियमों की अवहेलना हेतु सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी का उतरदायित्व निर्धारित करके नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाये तथा इस प्रकार के अन्य प्रकरणों की जाँच संस्थास्तर पर करके तदानुसार यथादेय अवकाश की कटौती को सुनिश्चित करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये तथा भविष्य हेतु सुझाव दिया जाता है कि नियमानुसार ही अधिकारियों/कर्मचारियो को अवकाश स्वीकृत/प्रदान किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

54 यात्रा भत्ते के रूप में ₹0.19 लाख का अनियमित/अधिक भुगतान करना

प्रधान, सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा ज्ञापन संख्याः फिन–(सी)–बी(7)–14/1998 दिनाँक 8.12.1998, 2.6.2006 व फिन (सी)–बी(7)–1/2009 दिनाँक 20.4.2012 तथा 19.6.2012 के अन्तर्गत प्रवास के दौरान यात्रा में बिताये गये समय हेतु विभिन्न अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये पात्रता के आधार पर श्रेणी वार दैनिक/यात्रा भत्ते की दरें निर्धारित की गई है। अंकेक्षण के दौरान विभिन्न प्रवास/यात्रा सम्बन्धित बिलों की जाँच पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार कुछ अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा प्रवास के दौरान यात्रा में बिताये गये समय हेतु उपरोक्त कार्यालय ज्ञापन के अन्तर्गत निर्धारित दरों के आधार पर दैनिक व यात्रा भते का दावा प्रस्तुत न करके भुगतान प्राप्त किया गया था जिसके कारण हिमुडा निर्माण मण्डल नाहन के अधिकारियों/कर्मचारियों को सरकारी यात्रा हेतु व्यक्तिगत वाहन के उपयोग करने पर यात्रा भत्ते दावे के रूप में ₹19058 का अनियमित भुगतान किया गया था। इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण के पत्र संख्याः हिमुडा 5–439/2005, दिनाँक 16.2.2015 द्वारा सहायक अभियन्ता को निर्माण कार्य निरीक्षण हेतु व्यक्तिगत वाहन उपयोग करने से पूर्व सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता से पूर्व स्वीकृति लेनी आवश्यक थी, परन्तु निम्न मामलों में सहायक अभियन्ता द्वारा सक्षम अधिकारी से पूर्व स्वीकृति लिए बिना व्यक्तिगत वाहन का उपयोग विविध यात्राओं के लिए किया गया था जिसका औचित्य उपरोक्त पत्र में वर्णित अनुदेशों के दृष्टिगत स्पष्ट किया जाए अन्यथा राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करके कृत कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

अधिकारी/कर्मचारी का नाम/पद नाम/ ग्रेड पे	प्रमाणक संख्या/ दिनांक	यात्रा की तिथि /दूरी	स्टेशन/ प्रस्थान का समय	स्टेशन पहुंचने का समय	किये गये यात्रा भत्ते का भुगतान ₹	किये गये दैनिक भत्ते का भुगतान ₹	देय दैनिक/यात्रा भत्ता ₹	अधिक भुगतान ₹	टिप्पणी
श्री बी.आर. रघुवंशी, सहायक अभियन्ता ग्रेड पे =₹5400	Vr. 2 dt. 1/10/2020	2-3-2020 190 kms	Nahan HQ 07:05 AM	Sirmour & back HQ 09:45 PM	190x6=1140 own veh.	84	570+84=654 (190x3=570 84=654)	570	यात्रा भते का अधिक भुगतान किया गया था।
		11-3-2020 100 kms	Nahan HQ 08:45 AM	Paonta Sahib & back HQ 06:35 PM	100x6=600 own veh.	84x70% =59	300+59=359 (100x3=300 84x70%=59)	300	यात्रा भते का अधिक भुगतान किया गया था।
		15-3-2020 100 kms	Nahan HQ 09:25 AM	Paonta Sahib & back HQ 09:35 PM	100x6=600 own veh.	84	300+84=384 (100x3=300 84)	300	यात्रा भते का अधिक भुगतान किया गया था।
		15-3-2020 38 kms	Nahan HQ 10:15 AM	Moginand Nu-Lab, Co-op bank, Jail site & back HQ 06:30 PM	38x6=228 own veh.	84x70% =59	114+59=173 (38x3=114 84x70%=59)	114	यात्रा भते का अधिक भुगतान किया गया था।

		16-5-2020 38 kms	Nahan HQ 10:25 AM	Moginand Nu-Lab, Co-op bank, Jail site & back HQ 06:35 PM	38x6=228 own veh.	84x70% =59	114+59=173 (38x3=114 84x70%=59)	114	यात्रा भते का अधिक भुगतान किया गया था।
		22-5-2020 100 kms	Nahan HQ 08:45 AM	Paonta Sahib & back HQ 06:35 PM	100x6=600 own veh.	84x70% =59	300+59=359 (100x3=300 84x70%=59)	300	यात्रा भते का अधिक भुगतान किया गया था।
		27-5-2020 38 kms	Nahan HQ 10:15 AM	Moginand Nu-Lab, Co-op bank, Jail site & back HQ 06:30 PM	38x6=228 own veh.	84x70% =59	114+59=173 (38x3=114 84x70%=59)	114	यात्रा भते का अधिक भुगतान किया गया था।
		11-6-2020 38 kms	Nahan HQ 10:05 AM	Moginand Nu-Lab, Co-op bank, Jail site & back HQ 06:30 PM	38x6=228 own veh.	84x70% =59	114+59=173 (38x3=114 84x70%=59)	114	यात्रा भते का अधिक भुगतान किया गया था।
		19-6-2020 100 kms	Nahan HQ 08:50 AM	Paonta Sahib & back HQ 06:45 PM	100x6=600 own veh.	84x70% =59	300+59=359 (100x3=300 84x70%=59)	300	यात्रा भते का अधिक भुगतान किया गया था।
		23-6-2020 74 kms	Nahan HQ 10:15 AM	Sarahan Co-op bank, CDPO new site & back HQ 06:45 PM	74x6=444 own veh.	84x70% =59	222+59=281 (100x3=300 84x70%=59)	222	यात्रा भते का अधिक भुगतान किया गया था।
		30-6-2020 74 kms	Nahan HQ 10:15 AM	Sarahan Co-op bank, CDPO new site & back HQ 06:45 PM	74x6=444 own veh.	84x70% =59	222+59=281 (100x3=300 84x70%=59)	222	यात्रा भते का अधिक भुगतान किया गया था।
	Vr. 04 dt. 02/07/2020	06-12-2019 100 kms	Nahan HQ 08:35 AM	Paonta Sahib & back HQ 06:45 PM	100x6=600 own veh.	84x70% =59	300+59=359 (100x3=300 84x70%=59)	300	यात्रा भते का अधिक भुगतान किया गया था।
		12-12-2019 100 kms	Nahan HQ 08:25 AM	Paonta Sahib & back HQ 06:55 PM	100x6=600 own veh.	84x70% =59	300+59=359 (100x3=300 84x70%=59)	300	यात्रा भते का अधिक भुगतान किया गया था।
		18-12-2019 194 kms	Nahan HQ 07:05 AM	Solan & back HQ 09:55 PM	194x6=1164 own veh.	84	582+84=666 (194x3=582+ 84)	582	यात्रा भते का अधिक भुगतान किया गया था।
		23-12-2019 194 kms	Nahan HQ 07:20 AM	Solan & back HQ 09:40 PM	194x6=1164 own veh.	84	582+84=666 (194x3=582+ 84)	582	यात्रा भते का अधिक भुगतान किया गया था।
		06-01-2020 194 kms	Nahan HQ 07:35 AM	Solan & back HQ 09:50 PM	194x6=1164 own veh.	84	582+84=666 (194x3=582+ 84)	582	यात्रा भते का अधिक भुगतान किया गया था।
		13-01-2020 194 kms	Nahan HQ 07:20 AM	Solan & back HQ 09:45 PM	194x6=1164 own veh.	84	582+84=666 (194x3=582+ 84)	582	यात्रा भते का अधिक भुगतान किया गया था।
		20-01-2020 194 kms	Nahan HQ 07:20 AM	Solan & back HQ 09:40 PM	194x6=1164 own veh.	84	582+84=666 (194x3=582+ 84)	582	यात्रा भते का अधिक भुगतान किया गया था।
		24-01-2020 100 kms	Nahan HQ 08:50 AM	Paonta Sahib & back HQ 06:45 PM	100x6=600 own veh.	84x70% =59	300+59=359 (100x3=300 84x70%=59)	300	यात्रा भते का अधिक भुगतान किया गया था।
Note:- H.P.T.R.7 TARVELLING EXPENSES CLAIM FORM के निर्देश संख्याः1 के अनुसार Tour Diary should invariably be attached with the claim परन्तु वर्णित प्रकरणों में Tour diary को संलग्न नहीं किया गया था और न ही वास्तविक यात्रा कार्यक्रम में तय की गई दूरी व समय को दर्शाया गया था।									
Total								**6480**	
श्री राजन चौहान, वरिष्ठ सहायक ग्रेड पे =₹4400	Vr. 04 dt. 02/07/2020	**TA Claim Admitted**	**TA Claim Paid**	**Approval of Tour Programme**		Bus fair Claimed	Bus fair Due		दैनिक व यात्रा भते का अनियमित भुगतान किया गया था तथा Rs. 371 यात्रा भते का
	For the Month 10/2019	1420	1202	TA bill passed/paid without approved Tour Programme i.e. only TA bill passed.		478 Km x 2=956	478 Km x 1.75=837 Excess paid Rs. 119	1202	

	For the Month 11/2019	940	764	TA bill passed/paid without approved Tour Programme i.e. only TA bill passed.	310 Km x 2=620	310 Km x 1.75=543 Excess paid Rs. 77	764	अधिक भुगतान किया गया था।
	For the Month 12/2019	940	764	TA bill passed/paid without approved Tour Programme i.e. only TA bill passed.	310 Km x 2=620	310 Km x 1.75=543 Excess paid Rs. 77	764	
	For the Month 01/2020	940	764	TA bill passed/paid without approved Tour Programme i.e. only TA bill passed.	310 Km x 2=620	310 Km x 1.75=543 Excess paid Rs. 77	764	
	For the Month 02/2020	240	219	TA bill passed/paid without approved Tour Programme i.e. only TA bill passed.	84 Km x 2=168	84 Km x 1.75=147 Excess paid Rs. 21	219	
Note: Tour programme not approved by competent authority and also the journey performed by bus was claimed Rs. 2 per Km instead of Rs. 1.75 per Km. Hence claim for TA Claim for Rs 371/- excess paid.								
Total							**3713**	
	Vr No	Date/Kms	Station	Bys Fare Paid	Daily paid	Due		
श्री हुमेश कुमार, कनिष्ठ अभियन्ता ग्रेड पे =₹3800	Vr. 114 dt. 30 /10/2020	4-9-2020 56 kms	Sohala & back HQ 05:30 PM	128	72x70% =50	123+50=173 (56x2.19=123 72x70%=50)	5	यात्रा भते का अधिक भुगतान किया गया था।
		5-9-2020 56 kms	Sohala & back HQ 05:30 PM	128	72x70% =50	123+50=173 (56x2.19=123 72x70%=50)	5	यात्रा भते का अधिक भुगतान किया गया था।
		16-9-2020 47 kms	Shimla stay **23-02-2018, wrong date & time also not mention**	115	160	103+160=263 (56x2.19=103 72x70%=160)	12	दैनिक व यात्रा भते का अनियमित भुगतान किया गया था।
		17-09-2020 47 kms	Shimla 03:30 PM Solan 05:50 PM	115	160	103+50=263 (47x2.19=103 + 160)	12	यात्रा भते का अधिक भुगतान किया गया था।
Note:- H.P.T.R.7 TARVELLING EXPENSES CLAIM FORM के निर्देश संख्याः1 के अनुसार Tour diary को संलग्न नहीं किया गया था।								
Total							**34**	
श्री दिनेश कुमार, कनिष्ठ अभियन्ता, ग्रेड पे =₹3800	Vr. 04 dt. 02/07/2020	**TA Claim Admitted**	**TA Claim Paid**	**Approval of Tour Programme**	**Bus fair Claimed**	**Bus fair Due**		दैनिक व यात्रा भते का अनियमित भुगतान किया गया था तथा Rs. 100 यात्रा भते का अधिक भुगतान किया गया था।
	For the Month 02/2020	470	382	TA bill passed/paid without approved Tour Programme i.e. only TA bill passed.	155 Km x 2=310	155 Km x 1.75=271 Excess paid Rs. 39	382	
	For the Month 03/2020	250	141	TA bill passed/paid without approved Tour Programme i.e. only TA bill passed.	45 Km x 2=90	45 Km x 1.75=79 Excess paid Rs. 11	141	
	For the Month 05/2020	470	361	TA bill passed/paid without approved Tour Programme i.e. only TA bill passed.	155 Km x 2=310	155 Km x 1.75=271 Excess paid Rs. 39	361	
Vr. 01 dt. 04/08/2020	For the Month 05/2020	202	141	TA bill passed/paid without approved Tour Programme i.e. only TA bill passed.	45 Km x 2=90	45 Km x 1.75=79 Excess paid Rs. 11	141	

Note: Tour programme not approved by competent authority and also the journey performed by bus was claimed Rs. 2 per Km instead of Rs. 1.75 per Km. Hence claim for TA Claim for Rs 100/- excess paid.							
Total						**1025**	
श्री सुन्दर लाल, चौकीदार, ग्रेड पे =₹1900	Vr. 2 dt. 01/10/2020	**TA Claim Admitted**	**TA Claim Paid**	**Approval of Tour Programme**			दैनिक व यात्रा भते का अनियमित भुगतान किया गया था
Vr. 2 dt. 01/10/2020	TA Claim For the month of 03/2020	1708	1708	TA bill passed/paid without approved Tour Programme i.e. only TA bill passed.	Not admissible	1708	
Vr. 2 dt. 01/10/2020	TA Claim For the month of 05/2020	370	370	TA bill passed/paid without approved Tour Programme i.e. only TA bill passed.	Not admissible	370	
Vr. 2 dt. 01/10/2020	TA Claim For the month of 06/2020	1850	1850	TA bill passed/paid without approved Tour Programme i.e. only TA bill passed.	Not admissible	1850	
Vr. 2 dt. 01/10/2020	TA Claim For the month of 07/2020	740	740	TA bill passed/paid without approved Tour Programme i.e. only TA bill passed.	Not admissible	740	
Total						**4668**	
श्री राम सिंह, बेलदार, ग्रेड पे =₹1650	Vr. 114 dt. 30/10/2020	**TA Claim Admitted**	**TA Claim Paid**	**Approval of Tour Programme**			दैनिक व यात्रा भते का अनियमित भुगतान किया गया था
Vr. 114 dt. 30/10/2020	TA Claim For the month of 07/2020	1488	1520	TA bill passed/paid without approved Tour Programme i.e. only TA bill passed.	Not admissible	1618	
	TA Claim For the month of 08/2020	1618	1618	TA bill passed/paid without approved Tour Programme i.e. only TA bill passed.	Not admissible	1520	
Total						**3138**	
G/Total						**19058**	

उपरोक्त के अतिरिक्त दावा की गई राशि के सन्दर्भ में वास्तविक यात्रा कार्यक्रम के अनुमोदन के बिना व यात्रा दैनिकी के बिना ही यात्रा भत्ते दावे का भुगतान किया गया था जबकि H.P.T.R.7 TARVELLING EXPENSES CLAIM FORM के निर्देश संख्याः1 के अनुसार स्पष्ट किया गया है कि Tour diary should invariably be attached with the claim। अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एसके–एसओ/स्टेट ऑडिट–2022–23–129 दिनाँक 01.10.2022 द्वारा वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में वस्तु स्थिति स्पष्ट करने बारे कहा गया था परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक संस्था द्वारा कोई भी उतर अंकेक्षण दल को प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में नियमानुसार वास्तविक यात्रा कार्यक्रम में अपेक्षित विवरण दर्शाया जाए व अनुमोदित वास्तविक यात्रा कार्यक्रम के अनुसार ही यात्रा भता व दैनिक भता बिल को भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए व

अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ताकी हि0प्र0 सरकार द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों की अनुपालना को सुनिश्चित किया जा सके।

55 चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के रूप में ₹0.48 लाख का अनियमित/अधिक भुगतान करना

प्रधान सचिव, स्वास्थय एवं परिवार कल्याण विभाग (एचएफडब्ल्यू) हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचना संख्याः एचएफडब्ल्यू–बी (एफ) 1–112008 दिनाँक 21.6.2008 के अन्तर्गत चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों/बिलों की अदायगी/भुगतान हेतु अधिसूचना के **परिशिष्ट–"ए"** में विविध प्रावधान/नियमों को प्रावधित किया गया है, जिसके अन्तर्गत चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों का भुगतान देय है परन्तु कुछ अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा उपरोक्त अधिसूचना के पैरा 9 से 13 के अन्तर्गत प्रावधित प्रावधानों/नियमों के अनुसार चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों को प्रस्तुत न करके अनियमित रूप से भुगतान प्राप्त किया गया था जिसके कारण संस्था निधि से कुल ₹48342 का अनियमित/अधिक भुगतान किया गया था जिसका विवरण निम्न प्रकार से है।

अधिकारी/कर्मचारी का नाम व पदनाम	औषधि/टैस्ट/परीक्षण का नाम	बिल/कैष मैमों संख्या व तिथि	दावे की राशि (₹)	देय राशि (₹)	अनियमित/अधिक भुगतान (₹)	अभ्युक्ति
Sh. Harish Chandar Bhatt (Beldar)	Valgan 450 MG	Invoice No. R0000793, dt. 31-01-2020. Invoice No. R0000832, dt. 22-01-2020.	3750 3750	0	7500	Not countersigned from the CEO-cum-Secretary.
Vr. No. 04 dt. 02/07/2020	Note. Vide CEO-Cum secretary letter No. HIMUDA/Accounts-22/95(Del of Powers)-Vol-V 33833-39 Dated 31-10-2014 (the delegation of power approved by the board of Director HIMUDA vide item No.32(37) in 32nd meeting held on 22-07-2014 and further approval accorded by the Himachal Pradesh Govt. vide letter No. HSG-C(15)-1/2014 dt. 29-10-2014) Serial No. 9 provided that claim above Rs. 5000 shall be countersigned from the CEO-cum-Secretary.					
	Valgan 450 MG	Invoice No. R0000770, dt. 31-01-2020. Invoice No. R0000725, dt. 24-01-2020.	3750 3750	0	**7500**	Not countersigned from the CEO-cum-Secretary and the claim was again submitted without repetition by doctor.
	Registration, Diagnostics, consultation fee etc.	Bill No. 3102, Dt. 22-01-2020	2400	0	**2400 (200+1800+400)**	Not admissible
	Total Bill				9900	
	Note:- The medicine was advised by doctor vide OPD Slip MRD No. 4258/19, dated 22-01-2020 and pucrchased vide above mentioned Invoice No. Invoice No. R0000793, dt. 31-01-2020 and Invoice No. R0000832, dt. 22-01-2020. for Rs. 7500, but again the medicine was purchased without prescription/repetition by the doctor for Rs. 7500 and the claim was also not countersigned from the CEO-cum-Secretary. Hence claim for medicine was not admissible.					
Vr. No. 2 dt. 1/10/2020	Valgavel-20	Inv. No-HAP-0456, dt. 11-03-2020	7600	0	7600	Not countersigned from the CEO-cum-Secretary.
Total			25000		25000	
2. Not countersigned from the CEO-cum-Secretary.						
Sh. Sunder Lal (Beldar.)	PC Cost Shoe	Bill No-2194, dt. 08-07-2020.	500	Nil	500	Not admissible
Vr. No. 2 dt. 1/10/2020	Soft Rock	Bill No-2194, dt. 08-07-2020.	200	Nil	200	Not admissible

	Zerodol	Bill No-2194, dt. 08-07-2020.	80	Nil	80	Not admissible
		Total	**780**		**780**	
Sh. Durga Ram, Work Inspector	Procedure Charges	Bill No. 10130, Dt. 22-11-2019	3700	660	3040	Not admissible
Vr. No-01, Dt. 04-08-2020						
		Total	**3700**	**660**	**3040**	Not admissible
Sh. Harish Chandar Bhatt (Beldar)	Valgan	Cash memo No. 00256 dt. 12-10-2019.	7172	0	7172	Not admissible
Vr. No-01, Dt. 04-08-2020	Note. 1. The medicine was advised by doctor vide OPD Slip MRD No. 4258/19, dated 01-09-2019 after cutting the date was modified for 01-10-2019 and the medicine was pucrchased about after 42 days vide Cash memo No. 00256 dt. 12-10-2019 for Rs. 7172.					
	Registration, Diagnostics, consultation fee etc.	Bill No. 2460, Dt. 02-10-2019	2400 (200+1800+400)	0	**2400**	Not admissible
	Valgacel	Invoce No. CW/19-20/03547, Dt. 14-10-2019	3800		3800	Not admissible
	Note. 1. The medicine was advised by doctor vide OPD Slip MRD No. 4258/19, dated 01-09-2019 after cutting the date was modified for 01-10-2019 and the medicine was pucrchased about after 44 days vide Invoice No. CW/19-20/03547, Dt. 14-10-2019 for Rs. 3800, hence claim does not seems justified.					
Vr. No-01, Dt. 04-08-2020	Valgan	Invoce No. 350, Dt. 19-08-2019	3750	0	3750	Not admissible
Note. 1. The medicine was advised by doctor vide OPD Slip MRD No. 4258/19, dated 01-09-2019 but the medicine was pucrchased about before 12 days vide Invoce No. 350, Dt. 19-08-2019, hence claim does not seems justified.						
	Registration, Diagnostics, consultation fee etc.	Bill No. 2234, Dt. 01-09-2019	2400 (200+1800+400)	0	2400	Not admissible
Total			**19522**	**0**	**19522**	
G/Total			**49002**	**660**	**48342**	

अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एसके–एसओ/स्टेट ऑडिट–2022–23–129 दिनाँक 01.10.2022 द्वारा वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में वस्तु स्थिति स्पष्ट करने बारे कहा गया था परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक संस्था द्वारा कोई भी उतर अंकेक्षण दल को प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उक्त वर्णित अधिक/अनियमित भुगतान का या तो नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा राशि की वसूली उचित स्त्रोत से सुनिश्चित करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

56 कर्मचारियों की सेवा पंजिकाओं का रख–रखाव नियमानुसार न करना।

हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों व वित्तीय नियमावली 1971 के नियम 7.14 एवम् 7.15 के प्रावधानानुसार सेवा पंजीकाओं में कर्मचारियों से सम्बन्धित आवश्यक प्रविष्टियाँ/विवरण दर्ज करके सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाना अपेक्षित हैं परन्तु अंकेक्षण के दौरान निम्न विवरणानुसार कर्मचारियों की सेवा पंजिकाओं की जाँच में पाया गया कि सेवा पंजिकाओं का रख–रखाव नियमानुसार नहीं किया गया था जोकि की गम्भीर अनियमितता

है क्योंकि इसके अभाव में कर्मचारियों को देय वेतन व अन्य अदायगियों की सत्यापना सम्भव नहीं हो पाती।

Rocord not found in (Office record) Service Book or Personal file of the Employees	
1	Nomination not attached. (Under the provisions of CCS Pension Rule 1972, Rule 53(1)
2	Detail of family/dependent not attached (Under the provisions of CCS Pension Rule 1972, Rule 54(12).
3	Option for medical re-imbursement not obtained (As per the instruction of the Commissioner and Secretary (Health) to the Govt. of H.P. letter No. HFW-B(A)12-9/79 dated 10-09-2012)
4	HRA declaration/certificate not obtained (As per the instruction of the Joint Secretary (Finance) to the Govt. of H.P. letter No. Fin(C)B(7)-36/77 dated 02-08-1983 & Fin(C)B(7)1/12 dated 28-02-2012).

अतः कर्मचारियों की सेवा पंजिकाओं का रख–रखाव नियमानुसार न करने का पूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए वर्णित प्रकरणों में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

57 मकान किराया भत्ते ₹2.65 लाख का अनियमित भुगतान करना

प्रधान, सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा ज्ञापन संख्याः फिन (सी)बी(7)–36/77 दिनाँक 02.08.1983 तथा फिन(सी)बी(7)1/2012 दिनाँक 28.02.2012 के अन्तर्गत विभिन्न अधिकारियों/कर्मचारियों को मूल वेतन के आधार आवास भते की दरें निर्धारित की गई है। नियमानुसार यदि कर्मचारी (पति या पत्नी दोनों) पति या पत्नी दोनों सरकारी कर्मचारी हों और एक ही मकान में रहते हों तो मकान किराए भत्ते का मासिक भुगतान किसी एक कर्मचारी को किया जाएगा तथा साथ ही मकान किराए भत्ते का भुगतान प्राप्त करने से पूर्व पति एवं पत्नी का संयुक्त घोषणा पत्र, जो कि उनके विभाग के आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा सत्यापित हो, प्राप्त किया जाना अपेक्षित है अन्यथा किसी भी प्रकार के गतल भुगतान हेतु आहरण एवं संवितरण अधिकारी उतरदायी माना जायेगा परन्तु निर्माण मण्डल के वेतन बिलों की पड़ताल में पाया गया कि निम्न कर्मचारियों से नियमानुसार अपेक्षित प्रमाण पत्र प्राप्त किये बिना ही आवास भते का भुगतान किया गया था। इस प्रकार अपेक्षित घोषणा पत्र प्राप्त किए बिना ही अवधि 1.4.2020 से 31.3.2022 के दौरान निम्न कर्मचारियों को **₹264550** के मकान किराये भत्ते का अनियमित भुगतान किया गया था।

क. सं.	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पदनाम	खाताबही पृ. संख्या	भुगतान किये गये किराए भत्ते की राशि (Year 2021-22)
1	Sh. Girish Sharma	EE	3	12000
2	Sh. B.R. Raghuvanshi	AE	4	6000
3	Sh. Prem Lal	JE	5	10000
4	Sh. Vinod	JE	6	5500

5	Sh. Deepak Kumar	HDM	7	10800
6	Sh. Madan Singh	Peon	8	7400
7	Sh. Durga Ram	Work Inspector	9	8400
8	Sh. Sunder Lal	Chowkidar	10	7200
9	Sh. Phool Chand	Chowkidar	11	6000
10	Sh Anil Kumar	Clerk	12	7200
11	Sh. Yoginder Prasad	Beldar	13	3600
12	Sh. Babu Ram	Beldar	14	6200
13	Sh. Harish Bhatt	Beldar	15	3800
14	Sh. Ram Singh	Beldar	16	6200
15	Smt. Krishna	Beldar	17	5000
16	Smt. Mamta	Beldar	18	3600
17	Sh. Manoj Kumar	JE	19	7200
18	Sh. Humesh	JE	20	6000
19	Sh. Vikas Panwar	Clerk	21	1200
20	Sh. Pravesh Kumar	JOA	22	3000
21	Smt. Pakiza	JOA	23	3000
22	Sh. Naresh	JDM	24	900
23	Smt. Sulochna	Sr. Asstt.	25	5600
24	Sh. Dola Ram Sharma	AE	26	900
Sub Total				136700
			2020-21	
1	Sh. Ajay Kumar	EE	101	2000
2	Sh. B.R. Raghuvanshi	AE	102	12000
3	Sh. Sukh Chand	HDM	103	8000
4	Sh. Rajan	Sr. Asstt.	104	9600
5	Sh. Prem Lal	JE	105	12000
6	Sh. Vinod Kumar	JE	106	6750
7	Sh. Deepak Kumar	DM	107	10400
8	Sh. Anil Kumar	Clerk	109	4800
9	Sh. Durga Ram	Work Inspector	110	8000
10	Sh. Madan Singh	Peon	111	7200
11	Sh. Sunder Lal	Chowkidar	112	6900
12	Sh. Phool Chand	Chowkidar	113	5850
13	Sh. Yoginder Prasad	Beldar	114	3450
14	Sh. Babu Ram	Beldar	115	6000
15	Sh. Harish Bhatt	Beldar	116	3600
16	Sh. Ram Singh	Beldar	117	6000
17	Smt. Krishna	Beldar	118	4800
18	Smt. Mamta	Beldar	119	3600
19	Sh. Manoj Kumar	JE	120	5400

20	Sh. Vikas Panwar	Clerk	122	1200
21	Sh. Gulzar	Chowkidar	126	300
Sub Total				**127850**
G/Total				**264550**

अतः वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा आवास भता प्राप्त कर रहे समस्त कर्मचारियों/अधिकारियों से नियमानुसार अपेक्षित प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाये अन्यथा नियमानुसार अनियमित भुगतान की वसूली उचित स्त्रोत से की जाये व कृत कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये तथा भविष्य हेतु सुझाव दिया जाता है कि हि0प्र0 सकार द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों के अन्तर्गत ही आवास भते के भुगतान को सुनिश्चित किया जाये।

58 स्टॉक/स्टोर का नियमित भौतिक सत्यापन (Physical Verification) न करना

हि0प्र0 वित्तीय नियमावली 2009 के नियम 140 व 141 के प्रावधानानुसार अधिकृत अधिकारी/प्रभारी भण्डार/स्टॉक–स्टोर स्थाई सम्पतियों व उपयोग योग्य/उपभोज्य स्टॉक तथा अनुपयोगी मदों की सूची/रजिस्टर का अनुरक्षण करेगा तथा विभागाध्यक्ष/अधिकृत कर्मचारी/गठित समिति द्वारा अधिकृत अधिकारी/प्रभारी भण्डार के समक्ष मदों का मिलान अनुरक्षित/संधारित स्टॉक रजिस्टर के शेष से वर्ष में कम से कम एक बार किया जाना तथा भौतिक सत्यापन के दौरान कोई भी अन्तर पाये जाने की स्थिति में नियमानुसार निर्धारित सुधारात्मक कदम/यथोचित कार्यवाही हेतु प्रकरण तत्काल सक्षम अधिकारी के ध्यान में लाया जाना अपेक्षित है। अंकेक्षण के दौरान सम्बन्धित अभिलेख के अवलोकन पर पाया गया कि संस्था द्वारा ऐसी कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई थी, जोकि वर्णित प्रावधानों तथा हि0प्र0 वित्तीय नियमावली 2009 के नियम 140 व 141 की उल्लंघना के कारण अनियमित है। अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एसके–एसओ/स्टेट ऑडिट–2022–23–129 दिनाँक 01.10.2022 द्वारा वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में वस्तु स्थिति स्पष्ट करने बारे कहा गया था परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक संस्था द्वारा कोई भी उतर अंकेक्षण दल को प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उपरोक्त अनियमितता का कारण स्पष्ट करने के साथ–साथ इस विषय में अपेक्षित कार्रवाई करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण में अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में स्टोर/स्टॉक का भौतिक सत्यापन नियमित रूप से करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि स्टोर/स्टॉक की किसी भी मद के दुर्विनियोजन की सम्भावना को नकारा जा सके।

59 कर्मचारियों के सन्दर्भ में (Attendance register/related record) उपस्थिति रजिस्टर व सम्बन्धित अभिलेख को संधारित न करना

हि0 प्र0 सरकार कार्यालय निर्देशिका/नियम पुस्तिका (तीसरा संस्करण) 2011 (Government of Himachal Pradesh Office Manual, Third Edition April 2011) के अध्याय 8 में निर्देशित किया गया है कि:–

8.6.1 Hours of Attendance:- Office hours unless otherwise specified are from 10.A.M. to 5 P.M . with a half-an –hour lunch break from 1.30.P.M. to 2 P.M. .Any member of the staff may, however, be required to work beyond office hours or on holidays (except Independence Day and the Republic Day), if his work is not up-to-date or the business of the Department demands. The Branch/Section-in-charge is authorised to require him to do so on such occasions.

8.6.2 Biometric Attendance:- Biometric Attendance Guidelines on account of introduction of attendance of the Officers/officials on the Biometric machines in the H.P. Secretariat have been issued by Department of Personnel Secretariat Administration Services-I, No. Per (SAS-I) A (5)-9/2010 Date 26.05.2010. Marking of attendance in the Biometric machines which have been installed in the H.P. Secretariat is compulsory for all the officers/officials. It is the policy of the State Government to install biometric attendance system in all the Directorates, Collectorates, Regional and Zonal offices and other large office/ organizations in a time bound manner.

8.6.3 Attendance register Till Biometric attendance system is put in place, employee’s attendance register will be kept in each Branch/Unit. On arrival in office all employees will mark their attendance in this register. It will be removed from the office and placed before the Branch Officer at 10.10 A.M. Any member of the staff arriving after 10.10 A.M. will report himself to the Branch officer and give the reasons for his late attendance verbally or in writing. For late attendance or short leave, the following deductions should be made from the casual leave account of the official:- Upto 2 hours 1/3rd of a day Upto 3-1/2 hours ½ of a day. The deductions should be carried out at the end of each month from the casual leave account.

Checking of attendance:- In the Secretariat, apart from the Administrative Department, Secretariat Administration Department will conduct surprise checks in sections, branches, units etc. Similar checking is to be conducted in the Directorates/Collectorates etc. by the administrative sections. Appropriate action against late comers and absentees is to be taken by the Departments, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि संस्थास्तर पर Biometric Attendance का कोई भी प्रावधान नहीं था यद्यपि कुछ कर्मचारियों के लिये उपस्थिति रजिस्टर का संधारण किया गया था तथा निम्न कर्मचारियों के सम्बन्ध में कोई भी उपस्थिति रजिस्टर/अभिलेख संधारित नहीं किया गया था जोकि एक गम्भीर अनियमितता है:–

HIMUDA Division Nahan, Distt. Sirmour H.P.,				
Statement showing the detail of emplyee’s engagemd on regular and temporary basis for which the attendance register or related record for the period 04-2020 to 03-2022, was not maintained.				
Sr. No.	**Name of Employee**	**Status of Employees**	**Designation**	**Remarks**
1	Sh. Manoj Kumar,	Regular Employee	Junior Engineer	**Attendance**

2	Sh. Vinod Kumar	Regular Employee	Junior Engineer	**register and attendance related record for the employee was not maintained.**
1	Sh. Iqbal Mohhamad	Temporary Employee	Sweeper	
2	Sh. Dhiraj Kumar	Temporary Employee	Nighat Chowkidar	
3	Sh. Amreek Singh	Temporary Employee	Mortar Mate	
4	Miss Toyba Khan	Temporary Employee	Data Entry Operator	
5	Sh. Hem Dutt Joshi	Temporary Employee	Chowkidar	
6	Miss Priya Singh	Temporary Employee	Billing Clerk, water	
7	Sh. Rajinder Singh	Temporary Employee	Billing Clerk, water	
8	Sh. Chaman Lal	Temporary Employee	Chowkidar	

उक्त कर्मचारियों के सन्दर्भ में अपेक्षित अभिलेख एवं रजिस्टर को संधारित न करने के कारण कर्मचारियों को उपस्थिति हेतु देय/प्रदत वेतन की सत्यापना/पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः Biometric Attendance व उपस्थिति (Attendance) रजिस्टर रजिस्टर का नियमानुसार रखरखाव न करने के सम्दर्भ में नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा उक्त कर्मचारियों को बिना उपस्थिति अभिलेख के किये गये भुगतान हेतु सम्बन्धित अधिकारियों का उतरदायित्व निर्धारित करते हुये नियमानुसार कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये तथा अनियमितताओं के निराकरण हेतु समय–समय पर सक्षम अधिकारी से उपस्थिति रजिस्टर को सत्यापित करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि हि0प्र0 सरकार द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित हो सके।

60 Journal Book व ledger में प्रविष्टियों का सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापन न करना।

चयनित माह में समायोजन वाउचरों की पडताल के दौरान पाया गया कि मण्डल द्वारा संधारित Journal Book व ledger की गई प्रविष्टियों को सम्बन्धित अधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था। सत्यापन के अभाव में की गई प्रविष्टियों व दर्शाये गये शेष की सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकी। अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एसके–एसओ/स्टेट ऑडिट–2022–23–139 दिनाँक 15.10.2022 द्वारा वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में वस्तु स्थिति स्पष्ट करने बारे कहा गया था परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक संस्था द्वारा कोई भी उतर अंकेक्षण दल को प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः इस सन्दर्भ में तथ्यों सहित वस्तु स्थिति स्पष्ट की जाये तथा नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

61 **लघु आपत्ति विवरणिकाः—** यह अलग से जारी नहीं की गई है क्योकि लघु आपत्तियों का निपटारा अंकेक्षण के दौरान कर लिया गया।

62 **निष्कर्ष :—** लेखों के रख—रखाव में और सुधार की नितान्त आवश्यकता है।

हस्ता / —

(अनिल शर्मा)
संयुक्त निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला—171009
फोन नं0 0177—2620881

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(2)सी(15)(14)196 / 97—खण्ड—10 595—597 दिनांकः 03.02.23
शिमला—09

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :—

1 सचिव (आवास) हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला—2

2 सचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण निगम बिहार, शिमला—171002

पंजीकृत 3 अधिशासी अभियन्ता, हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण मण्डल—नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

हस्ता / —

(अनिल शर्मा)
संयुक्त निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला—171009
फोन नं0 0177—2620881

परिशिष्ट–क पैरा सं0 1 (ग) में सन्दर्भित

हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण निर्माण मण्डल नाहन जिला सिरमौर हि0 प्र0 के लेखाओं अवधि 4/1988 से 03/2020 तक के गत अकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिर्णीत पैरों की स्थिति

(1) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2015 से 3/2016

1	पैरा –21(iii)	अनिर्णीत

(2) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2016 से 3/2017

1	पैरा 5(क)	अनिर्णीत
2	पैरा 5(ख)	अनिर्णीत
3	पैरा 7	अनिर्णीत
4	पैरा 9(क)	अनिर्णीत
5	पैरा 9(ख)	अनिर्णीत
6	पैरा 9(ग)	अनिर्णीत
7	पैरा –11(v)	अनिर्णीत
8	पैरा –11(vi)	अनिर्णीत
9	पैरा –11(vii)	अनिर्णीत
10	पैरा –14	अनिर्णीत

(3) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2017 से 3/2018

1	पैरा 4(क)	निर्णीत	अंकेक्षण प्रतिवेदन 04/2018 से 03/2019 के पैरा सं0 6 में अद्यतन किये जाने के जाने के दृष्टिगत।
2	पैरा 4(ख)	निर्णीत	अंकेक्षण प्रतिवेदन 04/2018 से 03/2019 के पैरा सं0 6 में अद्यतन किये जाने के जाने के दृष्टिगत।
3	पैरा 5(क)	निर्णीत	अंकेक्षण प्रतिवेदन 04/2018 से 03/2019 के पैरा सं0 7(क) में अद्यतन किये जाने के जाने के दृष्टिगत।
4	पैरा 5(ख)	निर्णीत	अंकेक्षण प्रतिवेदन 04/2018 से 03/2019 के पैरा सं0 7(क) में अद्यतन किये जाने के जाने के दृष्टिगत।
5	पैरा 5(ग)	निर्णीत	प्रस्तुत उत्तर व दिये गये स्पष्टिकरण के दृष्टिगत।
6	पैरा 6	निर्णीत	अंकेक्षण प्रतिवेदन 04/2018 से 03/2019 के पैरा सं0 7(घ) में अद्यतन किये जाने के जाने के दृष्टिगत।
7	पैरा –7	निर्णीत	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में प्रारूपित किये

			जाने के दृष्टिगत।
8	पैरा –8(ख)	निर्णीत	प्रस्तुत उत्तर व दिये गये स्पष्टिकरण के दृष्टिगत।
9	पैरा –9(क)	अनिर्णीत	
10	पैरा –9(घ)	निर्णीत	अंकेक्षण प्रतिवेदन 04/2018 से 03/2019 में निर्णीत किये जाने के दृष्टिगत।
11	पैरा –9(ड.)	अनिर्णीत	
12	पैरा –9(च)	अनिर्णीत	
13	पैरा –9(छ)	अनिर्णीत	
14	पैरा –9(ज)	अनिर्णीत	
15	पैरा –9(झ)	अनिर्णीत	
16	पैरा –9(ञ)	अनिर्णीत	
17	पैरा –11(क)	अनिर्णीत	
18	पैरा –13(क)	अनिर्णीत	
19	पैरा –13(ख)	अनिर्णीत	
20	पैरा –13(ग)	अनिर्णीत	
21	पैरा –13(घ)	अनिर्णीत	
22	पैरा –13(ड.)	अनिर्णीत	
23	पैरा –13(च)	अनिर्णीत	
24	पैरा –13(छ)	अनिर्णीत	
25	पैरा –13(ज)	अनिर्णीत	
26	पैरा –15(क)	अनिर्णीत	
27	पैरा –16	अनिर्णीत	
28	पैरा –17	अनिर्णीत	
29	पैरा –19(क)	अनिर्णीत	
30	पैरा –19(ख)	अनिर्णीत	
31	पैरा –21	अनिर्णीत	
32	पैरा –22(क)	अनिर्णीत	
33	पैरा –22(ख)	अनिर्णीत	
34	पैरा –22(घ)	अनिर्णीत	
35	पैरा –22(ड.)	अनिर्णीत	

36	पैरा –22(च)	अनिर्णीत	
37	पैरा –22(छ)	अनिर्णीत	
38	पैरा –22(ज)	अनिर्णीत	
39	पैरा –22(झ)	अनिर्णीत	
40	पैरा –22(ञ)	निर्णीत	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में प्रारूपित किये जाने के दृष्टिगत।
41	पैरा –22(ट)	निर्णीत	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में प्रारूपित किये जाने के दृष्टिगत।
42	पैरा –23(क)	अनिर्णीत	
43	पैरा –23(ख)	अनिर्णीत	
44	पैरा –23(ग)	अनिर्णीत	
45	पैरा –24(ख)	अनिर्णीत	
46	पैरा –24(ग)	अनिर्णीत	
47	पैरा –25(क)	अनिर्णीत	
48	पैरा –25(ख)	अनिर्णीत	
49	पैरा –25(ग)	अनिर्णीत	
50	पैरा –25(घ)	अनिर्णीत	
51	पैरा –26(क)	अनिर्णीत	
52	पैरा –26(ख)	अनिर्णीत	
53	पैरा –27	अनिर्णीत	
54	पैरा –28	अनिर्णीत	
55	पैरा –29	अनिर्णीत	

(4) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2018 से 3/2019

1	पैरा 7(ख)	अनिर्णीत	
2	पैरा 7(ग)	अनिर्णीत	
3	पैरा 9(क)	निर्णीत	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में प्रारूपित किये जाने के दृष्टिगत।
4	पैरा 9(ख)	निर्णीत	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में प्रारूपित किये जाने के दृष्टिगत।
5	पैरा 10	निर्णीत	अधीक्षण अभियन्ता के पत्र संख्याः HIMUDA-15-contract case Nahan/94/SE(s) Tech. Vol-I-1406 Dated 31-10-2014.

के अन्तर्गत अपेक्षित स्वीकृति प्रदान किये जाने के दृष्टिगत।

6	पैरा 11	अनिर्णीत	
7	पैरा 12	अनिर्णीत	
8	पैरा 13(i)	अनिर्णीत	
9	पैरा 13(ii)	निर्णीत	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में प्रारूपित किये जाने के दृष्टिगत।
10	पैरा 14	निर्णीत	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में प्रारूपित किये जाने के दृष्टिगत।
11	पैरा 15	अनिर्णीत	
12	पैरा 17	अनिर्णीत	
13	पैरा 19	अनिर्णीत	
14	पैरा 20	निर्णीत	प्रस्तुत उत्तर व दिये गये स्पष्टिकरण के दृष्टिगत।
15	पैरा 21	अनिर्णीत	
16	पैरा 22	अनिर्णीत	
17	पैरा 23	अनिर्णीत	
18	पैरा 24	अनिर्णीत	
19	पैरा 25	अनिर्णीत	
20	पैरा 26	अनिर्णीत	
21	पैरा 27(क)	अनिर्णीत	
22	पैरा 27(ख)	अनिर्णीत	
23	पैरा 28	अनिर्णीत	
24	पैरा 29(क)	अनिर्णीत	
25	पैरा 29(ख)	अनिर्णीत	
26	पैरा 30(क)	अनिर्णीत	
27	पैरा 30(ख)	अनिर्णीत	
28	पैरा 30(ग)	अनिर्णीत	
29	पैरा 30(घ)	अनिर्णीत	
30	पैरा 30(ड.)	अनिर्णीत	
31	पैरा 31(क)	निर्णीत	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में प्रारूपित किये जाने के दृष्टिगत।

32	पैरा 31(ग)(ii)	अनिर्णीत	
33	पैरा 31(घ)	अनिर्णीत	
34	पैरा 31(ड.)(i)	निर्णीत	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में प्रारूपित किये जाने के दृष्टिगत।
35	पैरा 31(ड.)(ii)	निर्णीत	प्रस्तुत उत्तर व दिये गये स्पष्टिकरण के दृष्टिगत।
36	पैरा 31(ड.)(iii)	निर्णीत	प्रस्तुत उत्तर व दिये गये स्पष्टिकरण के दृष्टिगत।
37	पैरा 31(ड.)(iv)	अनिर्णीत	
38	पैरा 31(छ)(ii)	अनिर्णीत	
39	पैरा 32(क)(i)	निर्णीत	गत अंकेक्षण प्रतिवेदन में अद्यतन किये जाने के दृष्टिगत।
40	पैरा 32(ख)	अनिर्णीत	
41	पैरा 32(ग)	अनिर्णीत	
42	पैरा 32(घ)	अनिर्णीत	
43	पैरा 32(ड.)	अनिर्णीत	
44	पैरा 33(क)	अनिर्णीत	
45	पैरा 33(ख)	अनिर्णीत	
46	पैरा 33(ग)	अनिर्णीत	

(5) अंकेक्षण अवधि 4/2019 से 3/2020

1	पैरा 4 (क)(ख)	निर्णीत	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में प्रारूपित किये जाने के दृष्टिगत।
2	पैरा 5	निर्णीत	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में प्रारूपित किये जाने के दृष्टिगत।
3	पैरा 6(क)(ख)	निर्णीत	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में प्रारूपित किये जाने के दृष्टिगत।
4	पैरा 7	निर्णीत	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में प्रारूपित किये जाने के दृष्टिगत।
5	पैरा 8	निर्णीत	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में प्रारूपित किये जाने के दृष्टिगत।
6	पैरा 9	निर्णीत	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में प्रारूपित किये जाने के दृष्टिगत।
7	पैरा 10(क)	निर्णीत	₹400 की वसूली रसीद संख्याः 194816 दिनॉक 30.09.2022 व रोकड बही पृ.सं. 95 दिनॉक 30.09.2022 के अन्तर्गत दर्ज किये जाने दृष्टिगत।
8	पैरा 11	निर्णीत	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में प्रारूपित किये जाने के दृष्टिगत।
9	पैरा 12		₹13889 की वसूली वाउचर संख्याः 74 दिनॉक 27.08.2019 एवं रोकड बही पृ.सं. 142 व ₹20839 की वसूली जर्नल वाउचर संख्याः 4 दिनॉक 01.07.2021 तथा ₹2024 की वसूली वाउचर संख्याः 70

			दिनॉक 18.12.2021 एवं रोकड बही पृ.सं. 137 के अन्तर्गत दर्ज किये जाने दृष्टिगत।
10	पैरा 13	अनिर्णीत	
11	पैरा 14	अनिर्णीत	
12	पैरा 15(क)	निर्णीत	₹240 की वसूली रसीद संख्याः 194608 दिनॉक 19.03.2022 एवं रोकड बही पृ.सं. 184 दिनॉक 19.03.2022 तथा ₹60 की वसूली रसीद संख्याः 194607 दिनॉक 19.03.2022 एवं रोकड बही पृ.सं. 184 दिनॉक 19.03.2022 के अन्तर्गत दर्ज किये जाने दृष्टिगत।
13	पैरा 15 (ख)	निर्णीत	संपरीक्षा सुझावानुसार की गई कार्यवाही की सत्यापना उपरान्त।
14	पैरा 15 (ग)	निर्णीत	₹22 की वसूली रसीद संख्याः 194609 दिनॉक 21.03.2022 एवं रोकड बही पृ.सं. 185 दिनॉक 21.03.2022 के अन्तर्गत दर्ज किये जाने दृष्टिगत।
15	पैरा 16	निर्णीत	संपरीक्षा सुझावानुसार की गई कार्यवाही की सत्यापना उपरान्त।
16	पैरा 17(क)(ख)	निर्णीत	प्रस्तुत उत्तर व दिये गये स्पष्टिकरण के दृष्टिगत।
17	पैरा 18(क)(ख)(ग)	निर्णीत	संपरीक्षा सुझावानुसार की गई कार्यवाही की सत्यापना उपरान्त।
18	पैरा 19	निर्णीत	₹7920 की वसूली जर्नरल वाउचर संख्याः 09 दिनॉक 09/2022 अन्तर्गत किये जाने व संपरीक्षा सुझावानुसार की गई कार्यवाही की सत्यापना उपरान्त।
19	20	निर्णीत	अपेक्षित स्वीकृति Vide CEO-cum-Secretary letter No. HIMUDA/15-294/2007/SE(S)-Vol-II-13719-25 dt. 27-06-2018 and further in delegation of powers Vide CEO-Cum secretary letter No. HIMUDA/Accounts-22/95(Del of Powers)-Vol-V 33833-39 Dated 31-10-2014. के अन्तर्गत प्रदान किये जाने के दृष्टिगत।
20	21	निर्णीत	₹1800 की वसूली रसीद संख्याः 194692 दिनॉक 02.05.2022 एवं रोकड बही पृ.सं. 22 दिनॉक 02.05.2022 के अन्तर्गत दर्ज किये जाने दृष्टिगत।
21	22	अनिर्णीत	संपरीक्षा सुझावानुसार की गई कार्यवाही की सत्यापना उपरान्त।
22	पैरा 23(क) (ख)	निर्णीत	प्रस्तुत उत्तर व दिये गये स्पष्टिकरण के दृष्टिगत।
23	पैरा 24	अनिर्णीत	
24	पैरा 25 (क) (ख)	निर्णीत	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में प्रारूपित किये जाने के दृष्टिगत।
25	पैरा 24	अनिर्णीत	

पूर्व नगर विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण के मण्डल –2 से स्थानान्तरित पैरों की नवीनतम स्थिति–

(1) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1988 से 3/1989

1	पैरा 10	अनिर्णीत
2	पैरा 11(क)	अनिर्णीत

(2) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1989 से 3/1990

1	पैरा 23(ड.)(1)	अनिर्णीत

(3) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1990 से 3/1991

1	पैरा 10 (परिशिष्ट व)	अनिर्णीत
2	पैरा 29	अनिर्णीत

(4) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1991 से 3/1992

1	पैरा 9(घ)(1 से 4)	अनिर्णीत

(5) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1992 से 3/1993

1	पैरा 9	अनिर्णीत

(6) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1993 से 3/1994

1	पैरा 24(ए)	अनिर्णीत
2	पैरा 24(बी)	अनिर्णीत

(7) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1994 से 3/1995

1	पैरा 5(7)	अनिर्णीत
2	पैरा 5(8)	अनिर्णीत
3	पैरा 7(1)	अनिर्णीत
4	पैरा 7(2)	अनिर्णीत

(8) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1995 से 3/1996

1	पैरा 20	अनिर्णीत
2	पैरा 27	अनिर्णीत
3	पैरा 30	अनिर्णीत
4	पैरा 32(सी)	अनिर्णीत
5	पैरा 32(डी)	अनिर्णीत
6	पैरा 32(ई)	अनिर्णीत
7	पैरा –32(एफ)	अनिर्णीत
8	पैरा –32(जी)	अनिर्णीत
9	पैरा –32(एच)	अनिर्णीत
10	पैरा –33	अनिर्णीत
11	पैरा –36	अनिर्णीत

(9) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1996 से 3/1997

1	पैरा 13(ट)	अनिर्णीत

2	पैरा 12(ढ)(2)	अनिर्णीत
3	पैरा 19(ड.)	अनिर्णीत

(10) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1997 से 3/1998

1	पैरा 20 (10)(ख)	अनिर्णीत
2	पैरा 23(1)(क)	अनिर्णीत
3	पैरा 23(1)(ख)	अनिर्णीत
4	पैरा 23(1)(ग)	अनिर्णीत
5	पैरा 25(क)	अनिर्णीत
6	पैरा 25(ख)	अनिर्णीत

(11) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 1.4.1999 से 15.1.2001

1	पैरा 21 (दोंनों मण्डल)	अनिर्णीत
2	पैरा 22 (दोंनों मण्डल)	अनिर्णीत
3	पैरा 78 (दोंनों मण्डल)	अनिर्णीत
4	पैरा 79 (दोंनों मण्डल)	अनिर्णीत
5	पैरा 80 (दोंनों मण्डल)	अनिर्णीत
6	पैरा 81(दोंनों मण्डल)	अनिर्णीत